जनवरी 2020 | खंड 1 | अंक 4

महत्वपूर्ण है मत मेरा

भारत निर्वाचन आयोग की त्रैमासिक पत्रिका

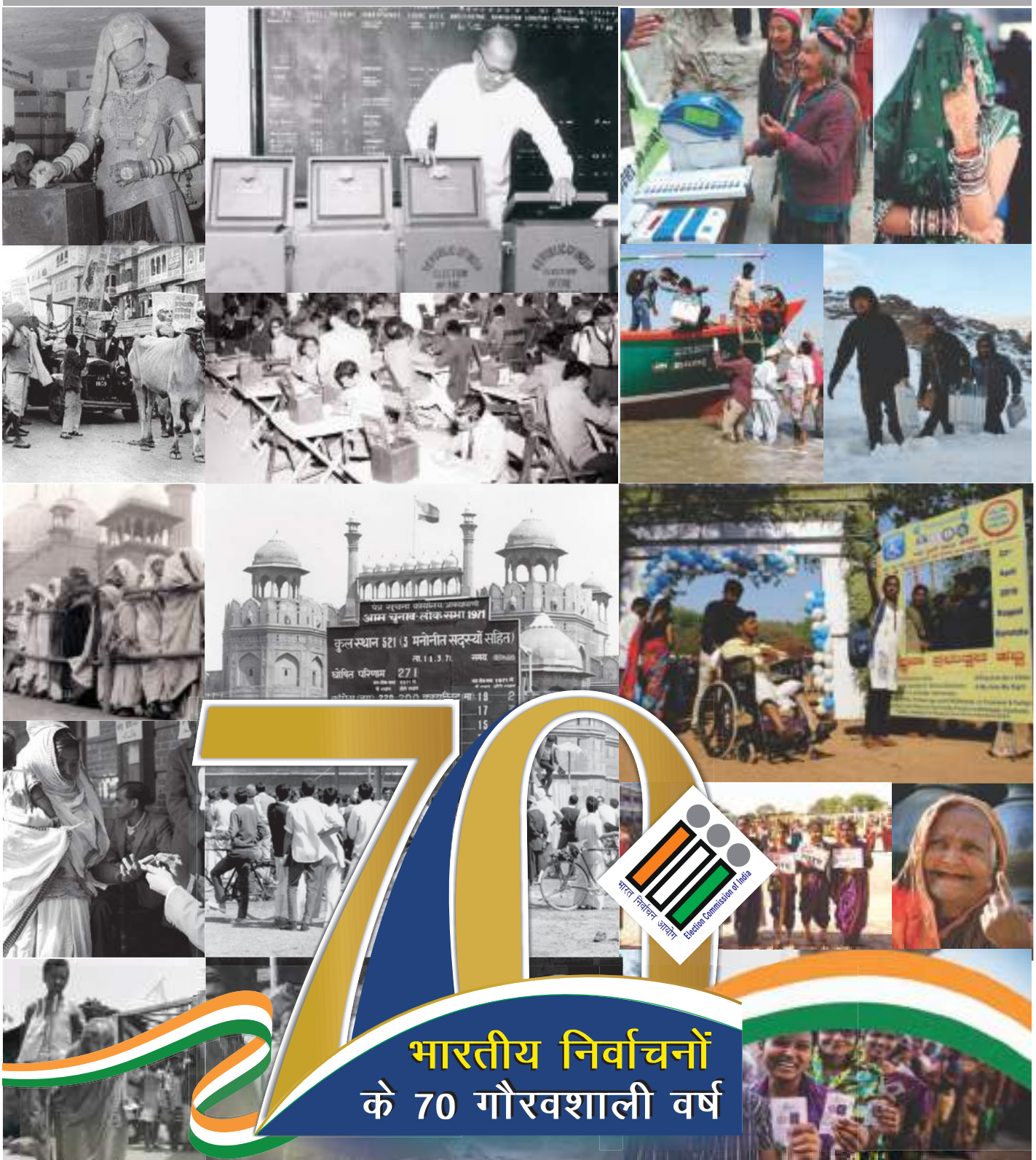

सुकुमार सेन का जन्म 2 जनवरी, 1898 को हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता और यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में हुई थी और इन्होंने 1922 में इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया था। अपनी सेवा के दौरान इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव (1947-1950) का पद भी शामिल है। इन्होंने 21 मार्च, 1950 से लेकर 19 दिसंबर, 1958 को हुई अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया। इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 1952 और 1957 में पहले दो लोक सभा निर्वाचनों के साथ-साथ विधान सभा निर्वाचनों का भी संचालन किया।

सुकुमार सेन को 1953 में अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के चेयरमैन के रूप में सूडान का प्रथम आम चुनाव संचालित करने का श्रेय भी दिया जाता है। सार्वजनिक जीवन के प्रति उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण (1954) से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रारंभिक लोगों में उनका नाम आता है।

भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन (1898-1963) को श्रद्धांजलि दिए जाने के रूप में एक वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले दो आम चुनावों का प्रशंसनीय रूप से संचालन किया, जिससे लोकतंत्र की दृढ़ नींव रखने में भारत का नाम भी शामिल हो गया।

व्याख्यान शुरू करने के पीछे तर्काधार यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिदेश के भीतर राष्ट्र के लोकतांत्रिक विमर्श में एक सकारात्मक और रचनात्मक पहल की जाए।

प्रथम सुकुमार सेन व्याख्यान श्रृंखला
23 जनवरी, 2020

भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सोपान

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित सेवा के सात दशक पूरे कर लिए हैं और जैसे कि हम भारत के इतिहास की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के जश्न की तैयारी कर रहे हैं, मुझे इन गौरव के क्षणों को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी और इसने पिछले सात दशकों के दौरान 'लोक सभा', यानि संसद के निचले सदन के सत्रह आम चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय रीति से संचालन किया है। आयोग ने अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए वर्ष 1950 से ही भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए 15 बार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए 15 बार, संसद के उच्च सदन के लिए सतत तरीके से निर्वाचनों का संचालन किया है। इसके अतिरिक्त, इसने 377 बार राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के अतिरिक्त) का संचालन किया है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आयोग के प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचकीय सहभागिता (स्वीप) ने भी अपने प्रचालनों के एक दशक को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन के भी एक दशक पूरे हो गए हैं। इसने मतदाताओं के लिए चुनावी अनुभव को यादगार बनाने में विश्व स्तर के नवाचार और पहल के माध्यम से मतदाता को समर्थ करने और चुनावी भागीदारी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मानवशक्ति और सामग्री प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक्स के अलावा इतने बड़े पैमाने, विविधता और जटिलता के साथ चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आयोग ने हमेशा ही बड़े पेशेवर दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श, कार्यनीतिक हस्तक्षेप करके और मतदान केन्द्र के स्तर तक अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजना बनाकर गर्व और सम्मान के साथ इन चुनौतियों का सामना किया है। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं और स्वतंत्रता के बाद से स्थापित संवैधानिक अधिदेश, विधायी दायित्व, संस्थागत मूल्यों और परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के सुचारू और यथासमय आयोजन के लिए एक व्यापक, कुशल और प्रभावी ढांचा स्थापित किया है।

'देश का महात्यौहार' के रूप में निरूपित 17वीं लोकसभा का आम चुनाव दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के बीच सबसे बड़ी चुनावी कवायद थी जिसमें 61.3 करोड़ मतदाताओं ने चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम चुनाव सजग, समावेशी, सुगम, पारदर्शी और नैतिक रूप से समय पर सम्पन्न हुआ। इस कार्य ने भारत निर्वाचन आयोग की नेतृत्व भूमिका स्थापित की और निस्संदेह, उसी के मान्यता स्वरूप बिरले मिलने वाले सम्मान के रूप में भारत को पिछले साल सितंबर में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की अध्यक्षता का दायित्व मिला है।

एक वर्ष पूर्व, नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे आयोग की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी, जो 'भारत के प्रथम नागरिक' हैं, को इस पत्रिका के प्रारंभिक अंक की पहली प्रति प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। यह अत्यन्त संतोष की बात है कि इस पत्रिका ने स्टेकहोल्डरों के साथ देश के चुनावों और चुनावी प्रक्रियाओं के वास्तविक जीवन के गहरे अनुभवों को साझा करने का एक वर्ष पूरा कर लिया है।

यह देखकर सचमुच खुशी मिलती है कि इस पत्रिका में देशभर के लोगों के और आयोग के हमारे सहकर्मियों के आलेख शामिल किए गए हैं। इन आलेखों में वर्ष 1950 से आगे हुए भारतीय निर्वाचनों के क्रमविकास की आकर्षक कहानियों के साथ-साथ हमारे वर्तमान चुनावों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को समेटा गया है। आख्यान और चित्र अत्यन्त सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और प्रेरक हैं।

आयोग, श्री उमेश सिन्हा, महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग एवं पत्रिका के प्रधान संपादक और उनकी पूरी टीम को इस अंक को प्रकाशित करने में उनके द्वारा किए गए शानदार कार्य के लिए उनकी सराहना करता है।

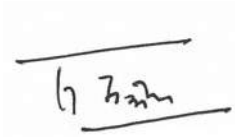

सुनील अरोड़ा
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

हमारी संपादकीय टीम

मुख्य संपादक
उमेश सिन्हा
महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग

संपादक - मंडल
संदीप सक्सेना
उप निर्वाचन आयुक्त

सुदीप जैन
उप निर्वाचन आयुक्त

चंद्रभूषण कुमार
उप निर्वाचन आयुक्त

धीरेंद्र ओझा
महानिदेशक

दिलीप शर्मा
महानिदेशक

के.एफ. विल्फ्रेड
वरि. प्रधान सचिव

शेफाली बी. शरण
अपर महानिदेशक, पीआईबी

मोना ए. श्रीनिवास
निदेशक

एस डी शर्मा
वरिष्ठ फेलो

संपादक
डॉ. आरती अग्रवाल
सीनियर कन्सल्टेंट, स्वीप

रचना गुप्ता
संयुक्त निदेशक (रा. भा.)

सह-संपादक
दिलीप के. वर्मा, सचिव
एस.के. मिश्रा, सचिव
नरेश कुमार, अवर सचिव
पवन दीवान, अवर सचिव

संपादकीय सहायता
सोनल गुप्ता, एग्ज़िक्यूटिव
नज़मा अहमद, एग्ज़िक्यूटिव

मुख्य संपादक की कलम से

प्रिय पाठक,

सबसे पहले, मैं नव-वर्ष 2020 के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।

मुझे राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह 2020 की पूर्व संध्या पर *'महत्वपूर्ण है मत मेरा'* (एमवीएम) का चौथा अंक आपके समक्ष पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इसके साथ ही, हमारी पत्रिका पूर्व के और वर्तमान भारतीय चुनावों के ज्ञान और अनुभव, *'देश का महात्यौहार'* आम चुनाव 2019 की सच्ची कहानियों, मतदाता शिक्षा अभियान, प्रौद्योगिकी के एकीकरण और चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम, पारदर्शी, कुशल और एक यादगार भागीदारी अनुभव बनाने के लिए की गई पहल को साझा करने की अपनी यात्रा का एक वर्ष पूरा करती है।

'महत्वपूर्ण है मत मेरा' का प्रत्येक अंक एक मंजिल तय करने की दास्तान है। इस बार, इस अंक का प्रकाशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के साथ पड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी और हम 'भारतीय चुनावों के सफर के सात दशक' पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस 7 दशक के दौरान आयोग ने अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए 'लोक सभा' के 17 आम चुनावों, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए 15 बार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए 15 बार, संसद के उच्च सदन के लिए सतत तरीके से निर्वाचनों का संचालन किया है। इसके अलावा, इसने 377 बार राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के चालू

साधारण निर्वाचन के अतिरिक्त) का संचालन किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) ने, जो आयोग का प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम है, अपना एक दशक पूरा कर लिया है। इसी प्रकार, 25 जनवरी, 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाना है।

इस संदर्भ में, यह अंक आपके लिए निर्वाचनों के विकास और हमारे देश में लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भांति-भांति के विषयों पर लिखे गए अत्यन्त रोचक लेख लेकर आया है। इसके अलावा, इस अंक में राज्य विधानमंडलों के साधारण निर्वाचनों पर उत्साहवर्धक फील्ड रिपोर्टें, राज्यों के फील्ड अनुभव, मतदाता अनुभव, अभियान, कार्यक्रम, नई पहल तथा और भी बहुत कुछ शामिल किया गया है।

जैसे-जैसे आप इस अंक के पन्ने पलटेंगे, आप 'भारतीय निर्वाचनों के 70 गौरवशाली वर्ष', 'स्वीप के 10 वर्ष', 'ईवीएम शत-प्रतिशत सुरक्षित', 'राष्ट्रपति निर्वाचनों के सात दशक', 'पेड न्यूज-निर्वाचनों के संचालन के लिए एक चुनौती और इस खतरे पर अंकुश लगाने में भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका का महत्व', 'राजनैतिक वित्त का संक्षिप्त इतिहास', 'एन्कोर: निर्वाचनों के संचालन की जीवन-रेखा: रूपांतरण कठिन हैं, और डिजिटल रूपांतरण तो और भी कठिन हैं', 'दुनिया तक पहुंचना: भारत निर्वाचन आयोग की वैश्विक मौजूदगी' और 'आजादी के बाद से भारतीय चुनावों का सफर (2): दूसरे आम चुनावों की कहानी' तथा और भी बहुत कुछ पर दिलचस्प लेखों के माध्यम से भारतीय चुनावों के बारे में और अधिक जानेंगे।

राज्यों के वृत्तांतों में आपको अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के प्रेरक अनुभव पढ़ने को मिलेंगे; और निर्वाचन की अद्यतन जानकारी आपको यह दिखाने के लिए फील्ड में घटने वाली घटनाओं से अवगत कराएगी कि 'राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों में भी *देश का महात्यौहार*' चल रहा है। इस अंक में बहुत सी गतिविधियां, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे, कार्यशालाओं के माध्यम से निर्वाचन मशीनरी के लिए क्षमता निर्माण, हमारे शीर्ष संस्थान आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण आदि के रूप में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई के बारे में बहुमूल्य जानकारी आपके साथ साझा की गई है।

मैं "*महत्वपूर्ण है मत मेरा*" टीम की ओर से माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ (ए-वेब) का अध्यक्ष चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। यह उस अवसर पर हुआ जब भारत द्वारा 2-4 सितंबर, 2019 को ए-वेब की चौथी जनरल एसेंबली की मेजबानी की गई। हमें उम्मीद है कि '*महत्वपूर्ण है मत मेरा*' पत्रिका को ए-वेब समुदाय के साथ साझा करने के विषय में माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। मैं माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा जी का भी अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने '*महत्वपूर्ण है मत मेरा*' को संवर्धित करने और इसे आगे ले जाने में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया।

मैं इस अंक में अपना योगदान देने वाले सभी सहयोगियों और संपादकीय टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनके एकनिष्ठ प्रयासों और समर्पण से '*महत्वपूर्ण है मत मेरा*' को आगे ले जाने में और इसकी विषय-वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाने में मदद मिली है।

मैं यह अंक देश के सभी मतदाताओं को समर्पित करता हूँ।

उमेश सिन्हा
महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग एव
प्रमुख सम्पादक, *महत्वपूर्ण है मत मेरा*

निर्वाचनों को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुगम बनाना

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

राष्ट्रीय सलाहकार समिति

सुगम और समावेशी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग में गठित

दिव्यांग समन्वयक

दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए सभी विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में नियुक्त

दिव्यांग मैपिंग

दिव्यांग व्यक्तियों का मतदान केन्द्रवार मैपिंग

सभी दिव्यांग मतदान केन्द्र

दिव्यांग मतदाताओं को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग अधिकारियों और कर्मियों द्वारा संचालित

परामर्श

चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए अनगनित राष्ट्रीय, राज्यकीय एवं जिला स्तरीय परामर्श

सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ)

अलग कतार, बैठने की व्यवस्था, व्हील चेयर, रैम्प, मतदान केंद्रों पर सहायता, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र पर लाने ले-जाने के लिए परिवहन-सुविधा

ब्रेल में एपिक

दृष्टिबाधित निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जाता है

ब्रेल मतदाता गाइड

मतदाता पर्ची के साथ वितरित, दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में तैयार

डाक मतपत्र

दिव्यांग एवं 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा

विषय-सूची

08-31

आवरण पृष्ठ

08 राष्ट्रीय मतदाता दिवस: भारत निर्वाचन आयोग की एक अनोखी पहल

12 ईवीएम 100 प्रतिशत सुरक्षित

16 राष्ट्रपति निर्वाचन: सात दशक

19 पेड न्यूज – निर्वाचनों के संचालन के लिए एक चुनौती

22 राजनैतिक वित्त-पोषण का संक्षिप्त इतिहास

25 एन्कोर: निर्वाचनों के संचालन की जीवन-रेखा

28 दुनिया तक पहुँच बनाना

32-53

70 वर्ष

32 भारतीय निर्वाचनों के गौरवशाली 70 वर्ष

40 भारतीय निर्वाचनों की विकास-यात्रा

54-61

निर्वाचन श्रृंखला

54 स्वतंत्रता के बाद से भारतीय निर्वाचनों का सफर(2)

62-63

स्वीप के 10 वर्ष

स्वीप ने एक दशक पूरा किया!

64-85

राज्य से

64 अरुणाचल प्रदेश

67 बिहार

69 छत्तीसगढ़

70 दिल्ली

71 झारखंड

73 कर्नाटक

74 केरल

75 महाराष्ट्र

77 मेघालय

80 ठड़ीसा

82 राजस्थान

84 पश्चिम बंगाल

88-94

सुगम निर्वाचन

88 अंडमान

89 अरुणाचल

90 असम

91 बिहार

91 गुजरात

92 महाराष्ट्र

93 मणिपुर

94 पुडुचेरी

94 पंजाब

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 6 20-03-2020 14:22:03

95
सोशल मीडिया क्रिएटिव्स

96-100
100+ क्लब
उम्र सिर्फ एक संख्या है!

101-113
गतिविधियां
101 एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ (ए-वेब) की चौथी जनरल असेम्बली

106 सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

109 आईआईआईडीईएम द्वारा अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण का संचालन

114-119
नई पहल
114 डाक मतपत्र: अनुपस्थित मतदाताओं के लिए यह सुविधा पहली बार शुरू की गई

115 पीपीआरटीएमएस: राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रबंधन

116 निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम-मतदाताओं के लिए एक मात्र समाधान

118 डिजिटल प्रौद्योगिकी: सहभागी निर्वाचनों के लिए

120-123
निर्वाचनों की अद्यतन सूचना

124-128
अद्यतन सूचना

129-132
अनुभव
129 समावेशी और नैतिक निर्वाचन

131 निर्वाचक साक्षरता क्लब: समय की मांग

133-134
प्रेरणा
133 देश के लिये: लोकतंत्र की धड़कन

134 धुन के पक्के

135-136
प्रकाशन

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन में प्रस्तुत सामग्री (यानि लेखन, कलाकृति और/या फोटो) का लेखक, उनके संस्थान, और भारत निर्वाचन आयोग में *'महत्वपूर्ण है मत मेरा'* की अभिस्वीकृति के साथ उपयोग किया जा सकता है या उसे पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। हालाँकि, *महत्वपूर्ण है मत मेरा* से डाउनलोड या कॉपी की गई कोई भी सामग्री हुबहू पुनर्प्रस्तुति और बिना किसी परिवर्तन के होनी चाहिए।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 7 20-03-2020 14:22:03

राष्ट्रीय मतदाता दिवस: भारत निर्वाचन आयोग की एक अनोखी पहल

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजनों का एक दशक

उमेश सिन्हा
महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग

भारत अत्यन्त गौरव के साथ पूरे देश में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) मना रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस में इस बार दस लाख से अधिक स्थानों पर मतदाता उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश के जिला और राज्य मुख्यालयों में मतदान केंद्र, सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। इस दिन, करोड़ों भारतीय मत देने के अपने अधिकार का जश्न मनाते हैं, इसलिए पूरा देश लोकतंत्र के आनंदोत्सव के साथ गुंजायमान हो उठता है!

चुनावों में प्रत्येक मत का महत्व है और लोकतंत्र में मत के मूल्य और प्रत्येक मत की महत्ता को उजागर करने के लिए आयोग द्वारा 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को अभिव्यक्त करता है, जिसे वर्ष 1950 में इस दिन स्थापित किया गया था। एनवीडी उत्सव का मुख्य उद्देश्य नामांकन को, विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए प्रोत्साहित करना, सुगम बनाना और अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। देश के मतदाताओं को समर्पित इस दिन का उपयोग मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी हेतु जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है।

2011 के बाद से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे भारत में धूम-धाम से मनाया जाता है और प्रत्येक बीतते साल के साथ यह और अधिक आनंदमय बन गया है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर से लेकर मतदान केन्द्र स्तर तक एक साथ समारोहों का आयोजन किया जाता है जो इसे दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव बनाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति समारोह की शोभा बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनवीडी समारोह में चुने गए जिले और राज्य के अधिकारियों, सरकारी विभागों, सिविल सोसायटी संगठनों, मीडिया हाउसों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुगम, समावेशी, नैतिक और सहभागी चुनाव कराने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों के प्रमुख क्षेत्र मतदाता शिक्षा, सुरक्षा प्रबंधन; अवसंरचना प्रबंधन; व्यय अनुवीक्षण, प्रौद्योगिकी का उपयोग; निर्वाचक नामावली का प्रबंधन और नई-नई पद्धतियां, नि:शक्तजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करना इत्यादि हैं। नए मतदाताओं (18+ वर्ष) को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रदान किए जाते हैं।

राज्य स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राज्य प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, मीडिया, सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि के सहयोग से इसी तरह के समारोह का आयोजन करते हैं। संबंधित राज्य के माननीय राज्यपाल राज्यस्तरीय समारोहों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यस्तरीय एनवीडी आयोजनों में निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्टता, प्रवीणता और नवाचार तथा असाधारण उपलब्धि के लिए राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं।

फिर जिला स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) मतदाता शिक्षा गतिविधियों सहित इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), मीडिया, युवा और समाज के सभी वर्गों और नागरिकों को शामिल किया जाता है। मतदान केंद्र क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 8 20-03-2020 14:22:03

(बीएलओ) एक संक्षिप्त समारोह में नए मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं और उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) सौंपते हैं। इसके अलावा, नए-नए पात्र बने और पंजीकृत मतदाताओं को

मतदाता शपथ

हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।'

'मतदाता बनने पर गर्व - मतदान के लिए तत्पर' स्लोगन के साथ बैज दिया जाता है; और सभी प्रतिभागियों को मतदाता शपथ दिलाई जाती है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए थीम

राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का आयोजन प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट थीम पर केंद्रित होता है जो पूरे वर्ष संचालित की जाने वाली गतिविधियों का स्वरूप तय करता है। वर्ष-वार थीम इस प्रकार हैं:

पहला एनवीडी 2011 'मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी'
दूसरा एनवीडी 2012 'महिला पंजीकरण'
तीसरा एनवीडी 2013 'समावेशन'
चौथा एनवीडी 2014 'नैतिक मतदान'
पांचवां एनवीडी 2015 'सहज पंजीकरण, सहज सुधार'
छठा एनवीडी 2016 'समावेशी और गुणात्मक भागीदारी'
सातवां एनवीडी 2017 'युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण'
आठवां एनवीडी 2018 'सुगम निर्वाचन'
नौवां एनवीडी 2019 'कोई भी मतदाता न छूटे'
दसवां एनवीडी 2020 'मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचक साक्षरता'

प्रत्येक स्तर के राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को मतदाता शपथ दिलाई जाती है। मतदाता शपथ 'सजग एवं नैतिक मतदान' सुनिश्चित करने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को सम्प्रेषित करती है।

एनवीडी 2020 का थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचक साक्षरता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वीप के तहत निर्वाचक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था और देश भर में अब तक लगभग 6.8 लाख निर्वाचन साक्षरता क्लबों, चुनाव पाठशालाओं, मतदाता जागरूकता फोरम की स्थापना की जा चुकी है। ये फ़ोरम लक्षित जनसंख्या को चुनावी प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष अनुभव दिलाकर जोड़ने के सिद्धांत पर काम करते हैं। निर्वाचन साक्षरता क्लब स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के स्तर पर काम करते हैं, चुनाव पाठशालाएं समुदाय के स्तरों पर और मतदाता जागरूकता फोरम सरकारी कार्यालयों सहित संगठनों के स्तर

यह वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सोपान है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) अपने सफर के 70 वर्ष पूरे कर रहा है और साथ ही, 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जा रहा है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 9 20-03-2020 14:22:04

2013

2014

2015

2016

2017

पर काम करते हैं। इस कार्यक्रम का विस्तार करने और इसके तहत सभी संस्थानों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।

सभी के लिए समान वयस्क मताधिकार का अधिदेश संविधान के अनुच्छेद 326 से उद्भूत होता है। इस अधिदेश को संविधान (इकसठवें संशोधन) अधिनियम, 1988 के साथ और अधिक पुष्ट किया गया जिसने मतदान करने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अपने अधिदेश के अनुसार आयोग ने सभी पात्र निर्वाचकों को नामांकित करने के लिए अनवरत प्रयास किए। फिर भी, मतदाता की उदासीनता और नामांकन की कमी तथा समाज के कुछ वर्गों, विशेषकर नए मतदाताओं (18+) की भागीदारी एक चुनौती थी। वर्ष 2010 में हीरक जयंती समारोह मनाए जाने के दौरान आयोग ने नामांकन और निर्वाचकीय भागीदारी का, विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच, गहन विश्लेषण किया।

आयोग ने देश के प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करने, उन्हें नामांकित करने और उन्हें 25 जनवरी को उनके निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) सौंपने का कठिन कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में निर्वाचन भागीदारी को लेकर नागरिकता, सशक्तिकरण और गौरव की भावना लाने के साथ-साथ उन्हें मतदान करने के नए-नए प्राप्त अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। इस तरह, लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के एक उपाय के रूप में आयोग ने अपने स्थापना दिवस, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया।

एनवीडी पहल और अन्य पहल के परिणामस्वरूप मतदाताओं के वर्षवार नामांकन

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 10 20-03-2020 14:22:05

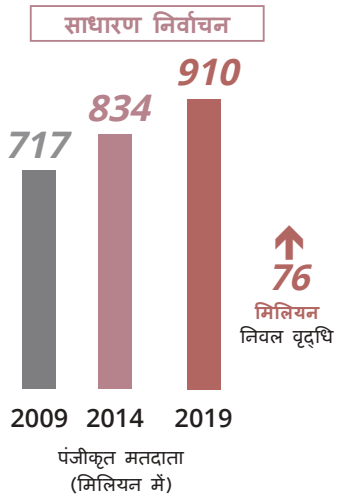

की दृष्टि से मिले नतीजे उत्साहजनक रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2019 में 67.47% का ऐतिहासिक मतदाता टर्नआउट देखा गया। 2009 में मतदाता टर्नआउट 58.19% था जो 2014 में बढ़कर 66.44% हो गया था। 2014 के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर निर्वाचकों की संख्या 83.4 करोड़ थी जो 2019 में बढ़कर 91 करोड़ हो गई। इस तरह, लगभग 7.46 करोड़ निर्वाचकों की वृद्धि हुई जिसमें 4.07 करोड़ महिलाएं और 3.3

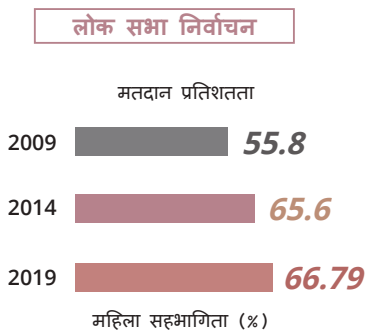

करोड़ पुरुष शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं की भागीदारी भी 2019 में ऐतिहासिक रूप से बढ़ कर 66.79% हो गई जिससे महिला-पुरुष अंतर घटकर 0.01% हो गया जबकि 2014 के चुनावों में यह अंतर 1.46% था। इसके अलावा, सुगम निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 62 लाख दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) निर्वाचकों की पहचान की गई।

आयोग ने 1950 से ही देश में क्रमिक निर्वाचनों के संचालन के माध्यम से अपने अधिदेश को पूरा करके दिखाया है। दुनिया के लोकतंत्र इसकी निर्वाचन प्रक्रियाओं का लोहा मानते हैं, वे इसे विस्मय और सम्मान के साथ देखते हैं। आज भारत का निर्वाचन संचालन दुनिया में सबसे बड़ा है जैसा कि लोकसभा चुनाव 2019 में देखा गया जिसमें लगभग 1.2 करोड़ मतदान कर्मियों ने देश के दस लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर कार्य किया।

मतदाता, लोकतंत्र और उसकी निर्वाचन प्रक्रियाओं की केंद्रीय इकाई होता है। एनवीडी, मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ता है और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रासंगिकता और योगदान दोनों को पुनर्स्थापित करता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं, जो लोकतांत्रिक राज-व्यवस्था में प्रमुख स्टेकहोल्डर हैं, के अतिरिक्त निर्वाचन मशीनरी सहित अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रेरित करता है। आज, एनवीडी पहल को देश में लोकतंत्र और निर्वाचक भागीदारी का उत्सव मनाने के लिए एक वार्षिक विशिष्टता के रूप में संस्थागत स्वरूप दे दिया गया है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 11
20-03-2020 14:22:08

ईवीएम 100 प्रतिशत सुरक्षित

ईवीएम में अब तक 315 करोड़ से अधिक मत दर्ज किए जा चुके हैं। एक भी मत गलत दर्ज नहीं किया गया है।

सुदीप जैन
उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2001 से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनावों में ईवीएम का उपयोग करता आ रहा है। ईवीएम में अब तक 315 करोड़ से अधिक मत दर्ज किए जा चुके हैं। एक भी मत गलत दर्ज नहीं किया गया है। फिर भी, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि कभी-कभी बेईमान चुनावी भेदियों या अन्य अपराधियों की मदद से मशीनों के कल-पुरजों को दुर्भावनापूर्ण मिलते-जुलते कल-पुरजों से बदल कर, या स्थानीय चुनाव अधिकारियों द्वारा मशीनों में संग्रहित मत रिकॉर्ड को बदलने के लिए पोर्टेबल हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग करके निर्वाचन परिणामों को बदला जा सकता है, जिसका पता भारत निर्वाचन आयोग या ईवीएम निर्माताओं को भी नहीं चलता।

ये भ्रामक आरोप परिकल्पित सिद्धांतों और कल्पना पर आधारित हैं और आरोप लगाने से पहले ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और सुरक्षा पर आयोग द्वारा लागू किए गए सुरक्षा के विविध प्रशासनिक स्तरों का ध्यान नहीं दिया गया है।

ईवीएम और वीवीपीएटी का भंडारण

ईवीएम और वीवीपीएटी को जिला मुख्यालयों पर ईवीएम वेयरहाउसों में संग्रहित किया जाता है। तथापि, अगर ईवीएम को वहां रखना संभव नहीं हो तो, ईवीएम वेयरहाउस को कम से कम तहसील मुख्यालय पर स्थित होना चाहिए। जिला चुनाव अधिकारी उनकी प्रत्यक्ष सुरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं।

- ईवीएम/वीवीपीएटी वेयरहाउस खोलने के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है:
- भारत निर्वाचन आयोग भी राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को शामिल किए बिना ईवीएम वेयरहाउस नहीं खोल सकता है।
- ईवीएम वेयरहाउस *केवल* राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के प्र तिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाते हैं।
- ईवीएम/वीवीपीएटी वेयरहाउसों की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जाते हैं।
- चुनाव और गैर-चुनाव अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में ऐसे सभी ईवीएम/वीवीपीएटी वेयरहाउस में सशस्त्र पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच (एफएलसी) शुरू करने से लेकर निर्वाचन याचिका अवधि पूरी होने तक सीसीटीवी से निगरानी करना अनिवार्य है।

ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जाँच

प्रत्येक चुनाव से पहले चुनाव में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच की जाती है। यह जांच राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों

जिला मुख्यालयों के वेयरहाउसों में संग्रहित ईवीएम और वीवीपीएटी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 12 20-03-2020 14:22:08

***(शीर्ष)* इंजीनियरों द्वारा की जा रही ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच**
***(ऊपर)* ईवीएम का याद्दच्छिकीकरण**

के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माताओं के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। कोई भी खराब ईवीएम/वीवीपीएटी अलग करके रखी जाती है और उसका चुनाव में उपयोग नहीं किया जाता है।

(i) निर्माता एफएलसी के समय यह प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम में सभी कल-पुरजे असली हैं। उसके बाद, ईवीएम की नियंत्रण इकाई (सीयू) की प्लास्टिक कैबिनेट को 'पिंक पेपर सील' का उपयोग करके सील कर दिया जाता है, जिस पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद, ईवीएम की नियंत्रण इकाई के प्लास्टिक कैबिनेट को नहीं खोला जा सकता और ईवीएम के भीतरी कल-पुरजे तक कोई नहीं पहुंच सकता।

(ii) प्रत्येक ईवीएम और वीवीपीएटी पर मॉक पोल के साथ इनका प्रत्यक्ष सत्यापन और कार्यात्मकता की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, वीवीपीएटी का उपयोग करके 5 प्रतिशत ईवीएम में उच्चतर संख्या में मॉक पोल किया जाता है, यानि 1,200 मतों वाले ईवीएम में 1 प्रतिशत, 1,000 मतों वाले ईवीएम में 2 प्रतिशत और 500 मतों वाले ईवीएम में 2 प्रतिशत। मॉक पोल के बाद, मुद्रित मतपत्र पर्चियों का सीयू के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से मिलान किया जाता है और एफएलसी में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है।

ईवीएम और वीवीपीएटी का याद्दच्छिकीकरण

ईवीएम/वीवीपीएटी को, ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का उपयोग करते हुए, दो बार याद्दच्छिकीकृत किया जाता है, एक बार विधानसभा के लिए और फिर मतदान केंद्र के लिए आवंटित करते समय। इस तरह, किसी भी नियत आवंटन की संभावना समाप्त कर दी जाती है। ईवीएम/वीवीपीएटी की सूची राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ भी साझा की जाती है। ईवीएम पर अभ्यर्थी सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान, बैलेटिंग यूनिट (बीयू) पर मतपत्र फिक्स किया जाता है और ईवीएम तैयार की जाती हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का अनुक्रम बैलेट पेपर पर वर्णानुक्रम में रखा जाता है, पहले राष्ट्रीय और राज्यीय पार्टियों के लिए, उसके बाद अन्य राज्य पंजीकृत पार्टियों के लिए, उसके बाद निर्दलीय और नोटा के लिए। इस तरह, बीयू पर उम्मीदवार जिस अनुक्रम में दिखाई देते हैं वह उम्मीदवारों के नामों और उनकी दलीय संबद्धता पर निर्भर करता है और उसका पहले से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी राजनैतिक दल के उम्मीदवार की क्रम संख्या राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नियत या पूर्व-निर्धारित नहीं होती है। इसलिए, जब तक कि अभ्यर्थी सेटिंग न हो जाए, तब तक कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या आयोग यह नहीं जान सकता है कि किस उम्मीदवार को किस बैलेटिंग यूनिट पर कौन-सा बटन निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईवीएम और वीवीपीएटी को चालू करना

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 13 20-03-2020 14:22:10

सूची को अंतिम रूप देने के बाद, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/ उनके प्र तिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग (उम्मीदवार सेटिंग) की जाती है। उसके बाद, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रत्येक ईवीएम और वीवीपीएटी में एक मत डाल कर मॉक पोल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यादृच्छिक रूप से चयनित 5 प्रतिशत ईवीएम और वीवीपीएटी में 1,000 मतों का मॉक पोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान पर्ची की गिनती के साथ किया जाता है।

मतदान दिवस पर मॉक पोल

चुनाव प्रक्रिया में मतदान का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होता है, तथा एक बार फिर ईवीएम और वीवीपीएटी की दोषमुक्तता एवं सुरक्षा इस दिन अभिनिश्चित होती है।

- मतदान के दिन, वास्तविक मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों की मौजूदगी में कम से कम 50 मत डालकर मॉक पोल किया जाता है, और सीयू के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम और वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती का मिलान किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।
- मॉक पोल के तुरंत बाद, मॉक पोल के डेटा को मिटाने के लिए और इस तथ्य के लिए कि सीयू में कोई मत दर्ज नहीं है, सीयू पर क्लीयर बटन दबाया जाता है और वहां मौजूद मतदान एजेंटों को दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि मतदान शुरू होने से पहले वीवीपीएटी से सभी मॉक पोल पर्चियां निकाल ली जाएं और एक अलग चिह्नित लिफाफे में रख दी जाएं।
- मॉक पोल के बाद, ईवीएम और वीवीपीएटी मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सील की जाती है और सील पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

मतदान दिवस और मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी का स्ट्रांग रूम में भंडारण

- मतदान के दिन, फॉर्म-17ग की एक प्रति, जिसमें कुल डाले गए मतों, सील (विशिष्ट संख्या) और मतदान के न्द्रों में प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपीएटी का विवरण होता है, उम्मीदवार के मतदान एजेंटों को प्रदान की जाती है।
- मतदान सम्पन्न होने के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी, मतदान एजेंटों की उपस्थिति में, संबंधित बक्सों (कैरिईंग केस) में सीलबंद किए जाते हैं और सील पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
- मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी उम्मीदवारों/ उनके प्र तिनिधियों की उपस्थिति में डबल लॉक सिस्टम के तहत भंडारण के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में वापस भेज दी जाती हैं और इसकी वीडियोग्राफी की जाती है।
- जिन स्ट्रांग रूम में मतदान के बाद ईवीएम/वीवीपीएटी संग्रहित की जाती हैं उन पर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अपनी स्वयं की सील लगा सकते हैं। वे स्टांग रूम के सामने ठहर

***(बाएं)* मॉक पोल के बाद सीलबंद ईवीएम/वीवीपीएटी *(नीचे)* मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम/वीवीपीएटी**

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 14 20-03-2020 14:22:15

भी सकते हैं। इन स्ट्रांग रूमों की विविध स्तरों पर 24x7 रखवाली की जाती है और साथ में, सीसीटीवी की सुविधाएं भी रहती हैं।

मतदान में प्रयुक्त ईवीएम/वीवीपीएटी की सुरक्षा के विभिन्न स्तरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करते हैं।
- बीयू, सीयू और वीवीपीएटी की विशिष्ट आईडी अक्रमिक रूप से मतदान-केन्द्र-वार तय की जाती है और राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ साझा की जाती हैं।
- सीयू और बीयूएस को क्रमश: एफएलसी और कमिशनिंग के समय पिंक पेपर सील के साथ सील कर दिया जाता है, जिस पर राजनैतिक दल और उम्मीदवार अपने हस्ताक्षर करते हैं।
- ईवीएम/वीवीपीएटी वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीलबंद की जाती है, और मतदान एजेंट भी सील पर अपने हस्ताक्षर करते हैं।
- मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम/वीवीपीएटी के बक्से सीलबंद किए जाते हैं, और यहां भी, मतदान एजेंट सील पर अपने हस्ताक्षर करते हैं।
- स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर डबल लॉक सिस्टम होता है।
- उम्मीदवारों के कैम्पिंग क्षेत्र में सीसीटीवी फीड दिया जाता है जहाँ से वे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं।
- दोहरे घेरे की सुरक्षा चौबीसो घंटे बनाए रखी जाती है; आंतरिक परिधि पर सीएपीएफ और बाहरी परिधि पर राज्य सशस्त्र पुलिस के कर्मी तैनात होते हैं।
- दोनों घेरों का प्रतिदिन निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की लॉग-बुक का रख-रखाव किया जाता है और वीडियोग्राफी की जाती है।

प्रेक्षक, आरओ एवं उम्मीदवारों की उपस्थिति में खोले गए स्ट्रांग रूम

मतगणना केंद्रों पर मतों की गणना

- मतदान में प्रयुक्त ईवीएम उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज के साथ मतगणना केंद्रों पर लाई जाती हैं।
- मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम वीडियोग्राफी करते हुए उम्मीदवारों, आरओ और प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला जाता है।
- लगातार सीसीटीवी कवरेज के तहत राउंड-वार सीयू स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबल पर लाई जाती है।
- मतगणना के दिन सीयू से परिणाम प्राप्त करने से पहले, सीलें सत्यापित की जाती हैं और उम्मीदवारों द्वारा तैनात किए गए मतगणना एजेंटों के सामने सीयू की विशिष्ट आईडी का मिलान किया जाता है।
- मतगणना एजेंट सीयू पर प्रदर्शित डाले गए मतों का सत्यापन फॉर्म-17ग के साथ कर सकते हैं। अभ्यर्थी-वार डाले गए मत फॉर्म-17ग के भाग II में दर्ज किए जाते हैं और उन पर मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
- ईवीएम और वीवीपीएटी निर्वाचन याचिका की अवधि पूरी होने तक उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वापस स्ट्रांग रूम में संग्रहित की जाती हैं।

ये प्रशासनिक सुरक्षा उपाय भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम को छेड़छाड़ से 100 फीसदी सुरक्षित बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के अपने मिशन को पूर्ण रूप से पूरा करे। इसमें कोई अचरज नहीं कि उन्हें 'भारतीय लोकतंत्र का गौरव' कहा जाता है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 15 20-03-2020 14:22:16

राष्ट्रपतीय निर्वाचन: सात दशक

भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन संचालित करता है। यहां 2017 में संचालित पिछले निर्वाचन के बारे में मूलभूत तथ्य दिए गए हैं।

चंद्र भूषण कुमार
उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (यथा-संशोधित) और राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित से मिलकर बने निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं:

- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य-क्षेत्र, पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

(राज्य सभा और लोकसभा के या राज्यों की विधानसभाओं के नामित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने हेतु पात्र नहीं होते हैं। इसी तरह, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नहीं होते हैं।)

संविधान के अनुच्छेद 55(3) में यह उपबंध किया गया है कि निर्वाचन एकल अंतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार आयोजित किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा किया जाएगा। इस पद्धति में, निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं चिह्नित करनी होती हैं।

वरीयता भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में, रोमन रूप में, या मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में चिह्नित की जा सकती है। वरीयता सिर्फ आंकड़ों में अंकित की जानी होती है। निर्वाचक उतनी संख्या में वरीयताएं चिह्नित

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए

प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1952

प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान 2 मई, 1952 को 4056 निर्वाचकों के साथ आयोजित किया गया था। विधिमान्य रूप से नामांकित पांच उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 5,07,400 मत हासिल किए, जो मतों के अपेक्षित कोटा से अधिक थे, इसलिए वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 16 20-03-2020 14:22:17

कर सकते हैं जितनी संख्या में उम्मीदवार हों। हांलाकि, मत पत्र के विधिमान्य होने के लिए पहली वरीयता का चिह्नित किया जाना अनिवार्य है, तथापि, अन्य वरीयताएँ वैकल्पिक हैं। विजेता उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने हेतु मतों का अपेक्षित कोटा हासिल करना होता है, यानि, डाले गए वैध मतों का 50 प्रतिशत +1.

आम तौर पर, संसद सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे संसद भवन, नई दिल्ली में मतदान स्थल पर अपने मत डालें, और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे संबंधित राज्य की राजधानी में मत डालें। तथापि, किसी भी अत्यावश्यकता या विशेष परिस्थितियों के मामले में संसद सदस्य राज्य की राजधानी/दिल्ली/पुडुचेरी में किसी भी मतदान केंद्र में मतदान कर सकते हैं। इसी प्रकार, कोई भी विधायक संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान करने के बजाय नई दिल्ली में मतदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित सांसदों/

डा. जाकिर हुसैन को 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाते हुए

Source: Hindustan Times

रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

15वां राष्ट्रपतीय निर्वाचन

रामनाथ कोविंद ने 17 जुलाई, 2017 को आयोजित इस निर्वाचन में 702,044 मत, जो मतों के अपेक्षित कोटा से अधिक थे, हासिल करके जीत हासिल की।

विधायकों को निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रारूप में अग्रिम रूप से आवेदन करना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदन मतदान की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग तक पहुंच जाए। इस प्रकार के आवेदन करने के फार्मेट, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के पास उपलब्ध होते हैं।

संविधान में इस बात का सुस्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव गुप्त मतपत्र के द्वारा किया जाएगा। इसलिए, निर्वाचकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अत्यन्त सतर्कतापूर्वक मत की गोपनीयता बनाए रखें। इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के मामले में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मतपत्र दिखाने की सख्त मनाही है। 1974 के नियमों में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में यह उपबंध किया गया है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में मत चिह्नित करने के बाद मतदाता के लिए अपेक्षित है कि वह मतपत्र को मोड़े और उसे मतपेटी में डाले। मतदान प्रक्रिया का किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

इस संबंध में, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान करने के मामले में राजनैतिक दल अपने

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 17 20-03-2020 14:22:17

सांसदों और विधायकों को कोई भी व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (यथा-संशोधित) की धारा 18 के अनुसार निर्वाचित उम्मीदवार या निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किसी भी व्यक्ति द्वारा, आईपीसी की धारा 171बी और 171सी में यथा-परिभाषित, 'रिश्वत' या 'अनुचित प्रभाव' का अपराध किया जाना उन आधारों में शामिल है जिन पर निर्वाचन याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता शर्तों की पूर्ति करनी चाहिए:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए;
2. 35 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर ली हो;
3. लोकसभा का सदस्य होने का पात्र होना चाहिए;
4. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के किसी पद को धारण नहीं करना चाहिए।

तथापि, उम्मीदवार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री का पद धारण कर सकता है और वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्रों को दो रंगों में मुद्रित किया जाना चाहिए - ससद सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हरे रंग में, और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए गुलाबी रंग में।

निर्वाचकों के मतों का मान संविधान के अनुच्छेद 55(2) में निर्धारित तरीके के अनुसार मूल रूप से राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 में यह उपबंध किया गया है कि जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते, तब तक राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतों के मान की गणना के प्रयोजनार्थ राज्यों की जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से होगा। निर्वाचक मंडल में शामिल राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मान संबंधित राज्य की जनसंख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा भाग देकर, और फिर भागफल को आगे 1000 से भाग देकर परिकलित किया जाता है। यदि इस प्रकार भाग देते समय शेष 500 या अधिक रहता है तो मान बढ़ जाता है।

2017 में आयोजित राष्ट्रपतीय निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद के लिए इस तरह का पन्द्रहवां निर्वाचन था।

मतों का मान : 2017

(क) संसद के सदस्यों के प्रत्येक मत का मान

कुल सदस्य

लोकसभा (543) + राज्यसभा (233) = 776

प्रत्येक मत का मान = $\frac{5,49,495}{776}$ = 708

(ख) संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मान = 708 x 776=5,49,408

(ग) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए कुल निर्वाचक = विधायक (4120) + सांसद (776) = 4896

(घ) राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए 4896 निर्वाचकों के मतों का कुल मान = 5,49,495 + 5,49,408 = 10,98,903

वेंकैय्या नायडू उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 18 20-03-2020 14:22:17

पेड न्यूज़ – निर्वाचनों के संचालन के लिए एक चुनौती

धीरेंद्र ओझा
महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के शानदार 70 वर्ष हाल ही में पूरे किए हैं। इन वर्षों के दौरान, आयोग ने अनेक चुनौतियों को पार किया, अपने दिशानिर्देशों को अद्यतन किया, चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल, त्रुटिरहित, समावेशी, पारदर्शी और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान द्वारा सौंपे गए संवैधानिक अधिदेश को बनाए रखने हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए अपने सशक्त तंत्र को और सुदृढ़ किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सुचारू संचालन का अनुवीक्षण करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर है।

"पेड न्यूज़" की घटनाओं ने गंभीर आयाम हासिल कर लिए हैं जिसकी वजह से सभी स्टेकहोल्डरों यथा मीडिया, राजनैतिक दलों, निर्वाचकों के अलावा स्वयं भारत निर्वाचन आयोग ने भी ऐसे कदाचारों के नुकसानदेह प्रभाव के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। कई मीडिया संगठनों, स्तंभकारों, प्रभावशाली व्यक्तियों और सिविल सोसायटी समूहों ने पेड न्यूज़ और इस बारे में अध्ययन किया है कि यह निर्वाचनों में सबको समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस कदाचार को रोकने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ भांति-भांति के सुधारात्मक उपायों वाले अनेक आलेख लिखे गए और अध्ययन किए गए। पेड न्यूज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन को प्रभावित करने वाली एक जटिल चुनौती है और इस पर काबू पाने के लिए निवारक उपाय अवश्य किए जाने चाहिए।

परिभाषा:

पेड न्यूज़ को नकदी या वस्तु की एवज़ में समाचार रिपोर्ट या आलेख की आड़ में किसी उम्मीदवार के पक्ष में किए गए प्रचार के रूप में संदर्भित किया गया है। यह व्यय सीमाओं को धता बताने के लिए उम्मीदवारों की ओर से किया गया एक "गंभीर चुनावी कदाचार" है। भारतीय प्रेस परिषद, जो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत काम करती है, चुनावों में पेड न्यूज़ पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी रही है। जैसा कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा परिभाषा दी गई है, पेड न्यूज़ "किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में आने वाली ऐसी कोई भी खबर या विश्लेषण है जो प्रतिफल के रूप में नकदी या वस्तु की कीमत पर दी गई हो"। पीसीआई ने भी माना है कि ऐसे पक्के साक्ष्य ढूंढना आसान नहीं है जो लोगों, पार्टियों और संगठनों को यह कबूल करवाए और इसके लिए जवाबदेह बनाए। प्रिंट मीडिया के लिए विनियामक प्राधिकरण होने के नाते पीसीआई की सुविज्ञता और निर्वाचनों के दौरान आयोग के साथ इसकी सहायक भूमिका को स्वीकारते हुए, आयोग ने पीसीआई द्वारा पेड न्यूज़ के लिए दी गई परिभाषा अभिस्वीकृत की है।

पेड न्यूज़ के लिए आयोग का तंत्र: एमसीएमसी

भारत निर्वाचन आयोग का मानना है कि 'पेड न्यूज़' चुनाव में सबको समान अवसर देने के सिद्धांत को बाधित करता

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 19
20-03-2020 14:22:18

'मीडिया संबंधी मामलों पर अनुदेशों का सार-संग्रह'। यह दस्तावेज़ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मीडिया से संबंधित अनुदेशों, दिशानिर्देशों, सिफारिशों और अपडेट्स तथा पीसीआई एवं एनबीए द्वारा विशेष रूप से चुनावों के दौरान मीडिया के अनुपालन के लिए जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों का संकलन है।

है और निर्वाचन व्यय नियमों को दरकिनार करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और साथ ही, इसके कारण मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। राजनैतिक दलों, मीडिया के प्रतिनिधियों और भारतीय प्रेस परिषद से उचित विनियामक कार्रवाई करने के लिए प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आयोग ने वर्ष 2010 में जिला और राज्य स्तरों पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया। राज्य स्तर पर इस समिति का नेतृत्व राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि जिला स्तर पर इस समिति का नेतृत्व जिला निर्वाचन अधिकारी या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ और एक सोशल मीडिया विशेषज्ञ शामिल होते हैं। आयोग एमसीएमसी को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करता है।

एमसीएमसी सभी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क आदि की जांच करती है और उम्मीदवारों एवं पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, विज्ञापनिकाओं, संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकॉर्ड रखती है। पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर रिटर्निंग अधिकारी एमसीएमसी की सिफारिश पर उम्मीदवारों को नोटिस जारी करती है। किसी मामले के पेड न्यूज के एक संपुष्ट मामले के रूप में सिद्ध होने के बाद डीएवीपी/डीआईपीआर दरों के आधार पर परिकलित कल्पित राशि उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में जोड़ी जाती है। उसे प्रिंट मीडिया के मामले में भारतीय प्रेस परिषद को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को संलिप्त मीडिया हाउस के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

निर्वाचन व्यय का समानांतर अनुवीक्षण-एक उपाय

मीडिया स्वामित्व की जटिलताओं और राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार के साथ मीडिया घरानों की संबद्धता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 2011 में चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों या उनके कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों पर एक उम्मीदवार को बढ़ावा देने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण एवं व्यापक दिशानिर्देश जारी किया था। इस दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय लोकसभा या राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र विधान सभा के चुनाव की नियत तारीख से कम से कम छह महीने पहले सभी टेलीविजन चैनलों/रेडियो चैनलों/समाचार पत्रों के मानक दर कार्ड प्राप्त करता है और उसे आयोग को

मीडिया के लिए हैंडबुक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के दौरान मुख्य रूप से मीडिया कर्मियों के लिए तैयार की जाती है। मीडिया से संबंधित आयोग द्वारा जारी किए गए सभी संभावित अपडेट, निर्देश और दिशा-निर्देश और चुनाव के दौरान चुनाव रिपोर्टिंग और समग्र मीडिया कवरेज से संबंधित मुद्दे प्रत्येक लोकसभा चुनाव से पहले संक्षेप में समाविष्ट किए जाते हैं।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 20 20-03-2020 14:22:18

प्रस्तुत करता है। इन दिशानिर्देशों में उम्मीदवारों को अनुचित लाभ देने वाले राजनैतिक रूप से पक्षपाती समाचार कवरेज पर ध्यान देने की अपेक्षा है, भले ही उसमें भुगतान शामिल न हो, जो 'नकदी या वस्तु' रूप में पेड न्यूज की परिभाषा में ही निर्दिष्ट है।

वर्ष 2016 में, आयोग ने ऐसे विज्ञापनों के खर्च को शामिल करने के लिए उम्मीदवारों के चुनाव व्यय विवरण में एक अलग कॉलम जोड़कर एक नए उपबंध का चलन शुरू किया, जिसने मौजूदा तंत्र को और भी प्रभावी बना दिया है। एमसीएमसी दुर्भावनापूर्ण सामग्री की पहचान करने के लिए ऐसे चैनलों पर कड़ी नजर रखती है और टीवी चैनलों/समाचार पत्रों के मानक दर कार्ड के अनुसार उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय खाते में कल्पित व्यय को जोड़ने के लिए इसी प्रक्रिया को लागू करती है, भले ही वे मौद्रिक दृष्टि से चैनलों/समाचार पत्रों को किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं करते हों।

पेड न्यूज मामलों की जटिलता और इसकी संभावित खामियों को देखते हुए आयोग ने चुनावों के दौरान इस खतरे पर लगाम लगाने के लिए एमसीएमसी के प्रकार्यों के बारे में एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया है। ये दिशानिर्देश इस बात के सख्त अनुपालन पर जोर देते हैं कि पेड न्यूज मामले और इनके साथ जुड़े उम्मीदवारों के चुनाव व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत किए जाएं।

सोशल मीडिया के अभ्युदय के साथ पेड न्यूज की पहचान का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस दायरे में सोशल मीडिया को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया को मीडिया के अन्य माध्यम की तरह स्कैन करने और सोशल मीडिया पर विज्ञापन के खर्च को शामिल करने के अनुदेश जारी किए गए ताकि खर्च का ठीक-ठीक लेखा बनाए रखा जा सके और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जा सके। वर्ष 2013 में जारी किए गए दिशानिर्देशों ने उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया एकाउंट के बारे में जानकारी दें। इससे इन सोशल मीडिया अकाउंटों के माध्यम से खर्चों पर नजर रखने में मदद मिली है।

भागीदारियां

भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पत्रकारों/मीडिया कर्मियों द्वारा पालन किए जाने के लिए पेड न्यूज के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2012 से, आयोग मीडिया द्वारा चुनावों के दौरान पालन किए जाने हेतु एक प्रारंभिक प्रेस रिलीज सभी आम चुनावों से पहले जारी करता है ताकि दिशानिर्देश नए सिरे से बने रहे और इन्हें बार-बार दोहराया जा सके। इस प्रेस नोट में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्रमशः भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए सभी आवश्यक दिशानिर्देश शामिल होते हैं।

पेड न्यूज़ के मामले

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान, पेड न्यूज़ के 1200 से अधिक संपुष्ट मामलों की पहचान की गई थी, जबकि 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ के संपुष्ट मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो गई।

सभी के लिए एकसमान अवसर उपलब्ध कराने का सिद्धांत

चुनाव के दौरान पेड न्यूज हमेशा भारत निर्वाचन आयोग के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है, हालांकि पेड न्यूज को अभी तक चुनावी अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह महसूस किया गया है कि यदि इसे चुनावी अपराध बना दिया जाए तो यह कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा। इसलिए आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से सिफारिश की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करके पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध माना जाए जिसमें न्यूनतम दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान हो। निर्वाचन सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 255 दिनांक 12 मार्च, 2015 में पेड न्यूज के खतरे पर लगाम लगाने के लिए कानूनों में संशोधन करने की मांग की गई है। हांलाकि, मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते वह सभी परिस्थितियों में वस्तुनिष्ठ बना रहे, विशेषकर तब जबकि चुनावों के दौरान सही सूचना के प्रति नागरिक के अधिकार को प्रभावित करने वाले पेड न्यूज जैसे खतरे की संभावना हो, तथापि पेड न्यूज के खतरे पर राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और निर्वाचकों को सचेत किए जाने की बहुत अधिक जरूरत है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 21 20-03-2020 14:22:18

राजनैतिक वित्तपोषण का संक्षिप्त इतिहास

यह जाहिर है कि दुनिया के महानतम लोकतंत्र से लेकर दुनिया के विशालतम लोकतंत्र तक धन और इसकी बहुत बड़ी मात्रा, लोकतंत्र के पहिये को चलायमान रखने के लिए जरूरी है।

विक्रम बत्रा
निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग

लगभग 70 साल पहले हमारे गणतंत्र के संस्थापकों ने अधिदेश दिया था कि प्रत्येक वयस्क भारतीय, चाहे उसका लिंग, औपचारिक शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक हैसियत या स्थान कुछ भी क्यों न हो, को मतदान का अधिकार होगा और प्रत्येक मत को समान महत्व दिया जाएगा। अनेक लोगों को यह अंधेरे में एक छलांग की तरह लग रहा था, एक दुस्साहसी आकांक्षा, यहां तक कि हमारे जैसे विशाल देश – जिसमें सीमित भौतिक अवसंरचना और निम्न साक्षरता और अत्यधिक विविधता है – में अव्यावहारिक।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का अत्यन्त छोटे सचिवालय के साथ दिल्ली में मुख्यालय है। हालाँकि, इसने निर्वाचनों का सूक्ष्मता से प्रबंधन करने का एक विशिष्ट तरीका विकसित कर लिया है जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 12 मिलियन निर्वाचन कार्मिक शामिल थे।

यहां, आयोग और राजनैतिक दलों, जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक संभावित मतदाता तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं, की पहुंच के बीच की तुलना करने के लिए विराम लेना सुसंगत होगा। राजनैतिक दलों के मामले में, जमीनी स्तर तक की ऐसी पैठ बनाने के लिए पूंजी की दृष्टि से भारी मात्रा में संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में, यह व्यावहारिक रूप से असंभव है कि वे अपने पास मौजूद प्रचुर 'धनराशि' और 'वॉर रूम' के बिना चुनाव अभियान चलाएं या चुनाव लड़ें।

राजनैतिक दलों को अपने दिन-प्रतिदिन का कामकाज चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और चुनावों का वित्त-पोषण करने के लिए बहुत बड़ी रकम की दरकार होती है। राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़े जा रहे हैं, उसके लिए निरंतर बढ़ती मात्रा में रुपयों-पैसों की जरूरत पड़ती है, और परिणामत: राजनैतिक दलों को बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की दरकार होती है। एक अमेरिकी राजनेता द्वारा कहा गया है कि "पैसा राजनीति की धुरी है"। दुनिया के महानतम लोकतंत्र से लेकर दुनिया के विशालतम लोकतंत्र तक यह जाहिर है कि धन और इसकी बहुत बड़ी मात्रा, लोकतंत्र के पहिये को चलायमान रखने के लिए जरूरी है।

'धन शक्ति' के उपयोग से कई सवाल उठते हैं: पैसा कहाँ से आता है? वे कौन से लोग/संगठन हैं जो इतनी बड़ी रकम का योगदान कर रहे हैं? क्या कुछेक बड़े सहयोगी हैं, या ऐसे अनेक सहयोगी हैं जो चुनाव प्रचार के लिए छोटी-छोटी धनराशि दान करते हैं? क्या बड़े सहयोगी बदले में कुछ मांगते हैं? क्या ये बड़े सहयोगी नीति-निर्माण के कार्य को निरंतर प्रभावित करते हैं? क्या कामगारों को भाड़े पर लेने, मीडिया के सभी रूपों में विज्ञापन देने और बड़ी संख्या में सार्वजनिक रैलियों और सभाओं का आयोजन करने और मतदाताओं को नकदी और महंगे उपहार देने के लिए बड़ी मात्रा में रुपया-पैसा लगाने से सबको समान अवसर देने के सिद्धांत की अनदेखी नहीं होती है।

निर्वाचन वित्त का विकास

भारत में राजनैतिक दलों के वित्तपोषण की प्रकृति कालांतर में भिन्न-भिन्न रही है। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में एक प्रभुत्वशाली राजनैतिक दल था, जिसे मुख्य रूप से सदस्यता अंशदानों के द्वारा वित्तपोषण मिलता था और ऐसे बड़े व्यावसायिक घरानों

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 22 20-03-2020 14:22:18

से भी कुछ सहायता मिलती थी जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान इसकी मदद की थी। चुनावों के बढ़ते लोकतंत्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट अंशदान भी बढ़े और इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत घोषित किया जाना था। 1960 के दशक में नीति-निर्माण में बिजनेस के प्रभाव के बारे में सवाल उठाए जाने लगे और 1964 में, संथानम समिति ने व्यावसायियों और राजनेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण निर्वाचन वित्त के प्रतिकूल प्रभावों की संभावना को उजागर किया। राजनैतिक दलों के कॉर्पोरेट वित्तपोषण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 1969 में कंपनी अधिनियम को संशोधित किया गया था।

कानूनी और सूचित कॉर्पोरेट डोनेशनों पर प्रतिबंध लगने के कारण "ब्रीफ़केस पॉलिटिक्स" का दौर आया, जो राजनैतिक प्रणाली में 'काले धन' के प्रवेश द्वारा अभिलक्षित हुआ। कॉर्पोरेट फंडिंग को 1985 में फिर से विधिमान्य किए जाने के बावजूद, राजनैतिक वित्तपोषण की पद्धति विकृत हो गई और यह बेहिसाबी नकदी पर निर्भरता से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाई है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राजनैतिक वित्तपोषण की प्रणाली को - धन जुटाने के विंदु से लेकर उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों द्वारा किस प्रकार खर्च किया जाता है तक, - साफ-सुथरा बनाने या बेहतर तरीके से विनियमित करने के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। ये मुद्दे चुनावों के दौरान और चुनाव संबंधी मामलों में गैर-चुनाव अवधि के दौरान सामने आए हैं - चाहे वे अदालत में उठाए गए हों या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाए गए हों - और इनका चुनाव खर्च और राजनैतिक वित्तपोषण के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और परिपत्रों को तैयार करने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

राजनैतिक वित्तपोषण के संबंध में विचारों को मूर्त रूप देने वाले और नियमों के निर्धारण में सहायक कुछ प्रमुख निर्णय नीचे दिए गए हैं:

i) ***उच्चतम न्यायालय ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला*** (एआईआर 1975 एससी 308) दिनांक 10-04-1974 के अपने फैसले में अभिनिर्धारित किया कि राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसे अभ्यर्थी विशेष के निर्वाचन पर हुए व्यय से पहचाना जा सकता है, जो दल के आम प्रचार-प्रसार पर हुए व्यय से अलग होता है, और जिसे अभ्यर्थी विशेष द्वारा अधिकृत किया माना जाएगा और उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा।

ii) भारत का उच्चतम न्यायालय, 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 24, दिनांक 4.4.1996, *कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य:* यह पाया गया था कि अधिकांश राजनैतिक दल आयकर अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

iii) **एल.आर. शिवरामगौडे बनाम टी.एम. चंद्रशेखर** (एआईआर1999एससी252) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयोग उम्मीदवार द्वारा दायर चुनाव संबंधी खर्च के लेखे की यथातथ्यता की जांच कर सकता है और यदि लेखा गलत या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत उम्मीदवार को निरर्हित कर सकता है।

iv) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2005 में ***कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में*** निर्देश दिया था कि राजनैतिक दलों को निर्वाचनों के व्यय का विवरण भी भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना चाहिए और इस तरह के विवरण विधानसभा चुनावों के 75 दिनों और लोकसभा चुनावों के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

> "न्यायालय ने वित्त मंत्रालय और आयकर प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक दल आयकर अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।"

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वार्षिक विवरणी दायर करने में चूक करते थे। न्यायालय ने वित्त मंत्रालय और आयकर प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक दल आयकर

आगामी वर्षों में निजी कारपोरेट समूहों की स्वयं की ग्रुप कंपनियों से प्राप्त डोनेशन के माध्यम से, सार्वजनिक रूप से प्रकट किए बिना या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वार्षिक लेखे में सूचना छिपाकर राजनैतिक दलों को वित्तपोषित करने के

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 23 20-03-2020 14:22:18

लिए प्राइवेट कॉरपोरेट समूहों द्वारा स्थापित न्यास अस्तित्व में आए। इससे निपटने के लिए जनवरी 2013 में निर्वाचन न्यास योजना शुरू की गई थी। राजनैतिक दलों के वित्तपोषण के लिए स्थापित सभी न्यास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ पंजीकृत होने चाहिए और उनके लिए अपेक्षित है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के पास अपनी वार्षिक रिपोर्टें दाखिल करें।

पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धता

आयोग ने अपनी ओर से वर्ष 2014 में पार्टी फंड और चुनावी खर्च के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में दिशानिर्देश जारी करके राजनैतिक वित्तपोषण और इसकी रिपोर्टिंग को यथा-संभव अधिकाधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। ये 'पारदर्शिता दिशानिर्देश' राजनैतिक दलों द्वारा अंशदान रिपोर्टें, वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे और चुनावी खर्च के विवरण दायर करने की समयसीमा विहित करते हैं। आयोग के विधिपूर्ण निदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16क में यथा-परिकल्पित कार्रवाई की जा सकती है। अंशदान रिपोर्ट में रु. 20,000 से अधिक के अंशदानों के विवरण शामिल होते हैं। दानकर्ताओं के विवरण - नाम, पैन, राशि और भुगतान की विधि सहित - सार्वजनिक डोमेन में डाले जाते हैं। विहित समय-सीमा के भीतर यह रिपोर्ट दायर करने में विफल रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 13क के अधीन छूट देने से इंकार किया जा सकता है।

ये सभी रिपोर्टें - अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखा, चुनावी ट्रस्टों से रिपोर्टें और चुनावी व्यय के विवरण – भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाले जाते हैं जो जनता के लिए पूरी तरह से सुलभ हैं। यह नागरिकों और सिविल सोसायटी संगठनों को उपलब्ध कराई गई सूचना के बारे में अपने स्वयं का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। आयोग पारदर्शिता को बढ़ावा देने और राजनैतिक वित्तपोषण के बारे में बहस एवं चर्चा शुरू करने के लिए नागरिकों को बल प्रवधक मानता है। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि नागरिक और नागरिक निकाय इन मुद्दों के बारे में बहुत जागरूक हैं और ऑनलाइन प्रदर्शित की गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्न पूछने और जनहित में रिट याचिकाएं दायर करने में सहायक होती है। हांलाकि आयोग सभी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखने का प्रयास करता है, इलेक्टोरल बांड स्कीम जैसी योजनाएं इन सिद्धांतों को कमजोर कर सकती हैं; तथापि आयोग का यह अभिमत बना हुआ है कि राजनैतिक वित्तपोषण के बारे में सम्पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए।

> "अंशदान रिपोर्ट में रु. 20,000 से अधिक के अंशदानों के विवरण शामिल होते हैं। दानकर्ताओं के विवरण - नाम, पैन, राशि और भुगतान की विधि सहित - सार्वजनिक डोमेन में डाले जाते हैं।"

आयोग ने हमेशा राजनैतिक दलों के साथ सक्रिय संवाद किया है क्योंकि यह उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में देखता है और ये दिशानिर्देश उनसे प्राप्त सुझावों और इनपुट पर आधारित थे।

राजनैतिक वित्तपोषण के क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के सामने मौजूदा चुनौती अग्रलिखित है:- (क) चुनावी खर्च में मची 'जबरदस्त होड़' को रोकना; (ख) मौद्रिक दृष्टि से राजनैतिक एवं निर्वाचन संबंधी एकसमान अवसर सुनिश्चित करना; (ग) अवैध और आपराधिक धन को राजनीति और चुनावों से बाहर रखना और (घ) राजनैतिक वित्तपोषण विनियमों के जरिए अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

निर्वाचन आयोग ने 70 साल पहले मिले अधिदेश को सफलतापूर्वक एक हकीकत में बदल दिया है और यह बारम्बार चुनौती पर खरा उतरता है। आयोग को इस बात का श्रेय जाता है कि इन भारी कठिनाइयों के बावजूद, पूरी दुनिया भारत की चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में मान्यता देती है। मुझे यकीन है कि राजनैतिक दलों के वित्तीय संसाधनों में बेरोक-टोक बढ़ोतरी और निर्वाचक-वर्ग को प्रभावित करने के लिए उनके बेलगाम उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों से आने वाले समय में उतने ही जोश और इरादे के साथ निपटा जाएगा।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 24 20-03-2020 14:22:18

एन्कोर: निर्वाचनों के संचालन की जीवन रेखा

'होते हैं परिवर्तन मुश्किल, लेकिन डिजीटल परिवर्तन होते हैं और भी मुश्किल'

डॉ. कुशल कुमार पाठक
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी (परियोजनाएं) और सीआईएसओ, भारत निर्वाचन आयोग

चुनाव अधिकारी किस प्रकार काम करें और मतदाताओं को फायदा पहुंचाएं, उसे मूल रूप से बदलते हुए एन्कोर ने चुनाव प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण द्वारा चुनावों के संचालन में सही मायनों में डिजीटल रूपांतरण का सूत्रपात किया है।

एन्कोर 'रियल-टाइम परिवेश पर संचार सक्षम करना' का द्योतक है। योजना बनाने से लेकर मतदान करने तक और उम्मीदवारों से मतगणना तक, एन्कोर चुनावों के संचालन के लिए संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। 4,902 निर्वाचन अधिकारी, जो इस प्रणाली का प्रचालन करते हैं, एन्कोर इकोसिस्टम के अंग हैं, जबकि उम्मीदवार और मतदाता इसके प्रमुख स्टेकहोल्डर बन जाते हैं।

एन्कोर ने अपनी स्थापना से, 43,396 उम्मीदवारों के नामांकन किए, 3,25,830 चुनावी अनुमतियां देने में राज्यों की मदद की, और लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इसके परिणाम प्रबंधन मॉड्यूल पर एक दिन में 890 मिलियन हिट हुए। इस परियोजना के कई डिलीवरी केंद्र पूरे भारत में स्थित हैं और लगभग 36 मुख्य निर्वाचन कार्यालयों, 700 जिला कार्यालयों, 4,120 रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों और 10,00,000 मतदान केंद्रों को कवर करते हैं।

यह एप्लीकेशन भारत में चुनावों के संचालन में एकल केंद्र-बिंदु बन गया है। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार शपथ-पत्र को डिजीटल रूप देने के लिए इस प्रणाली का सहारा लेते हैं, मतदाता प्रतिशत संख्याएं प्रविष्ट करते हैं और परिणामों की गणना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस एप्लीकेशन ने एकल इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए असमान एप्लीकेशनों को एक में शामिल कर दिया है।

पहला मॉड्यूल उम्मीदवार नॉमिनेशन है। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार के मेटाडाटा को डिजीटल रूप देता है और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र को अपलोड करता है। भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपलोड/ डिजीटलकृत यथातथ्य डाटा https://affidavit.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। नागरिक, चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवार का पूर्ववृत्त मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल एप पर भी देख सकते हैं। वे अपने उम्मीदवारों की पूरी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं और फिर उनके आवेदन की वस्तुस्थिति और बाद में, उनके परिणामों को देखने के लिए उन्हें बुकमार्क कर सकते हैं।

दूसरा मॉड्यूल कैंडिडेट

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 25 20-03-2020 14:22:19

स्क्रूटनी है। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारी की सार्थक जांच कर सकते हैं, और उनके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है, और मतदाता रियल-टाइम में अपने उम्मीदवार की अनुमोदन स्थिति के बारे में जानते हैं।

तीसरा मॉड्यूल चुनावी अनुमतियां है। चुनाव के दौरान स्थान, रैलियों, लाउडस्पीकरों, अभियान आदि का उपयोग करने के लिए, उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों को अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उम्मीदवार/ राजनैतिक दल या उम्मीदवार का कोई प्रतिनिधि सीधे https://suvidha.eci.gov.in पर आवेदन कर सकता है और उसके बाद विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'सुविधा उम्मीदवार एप' पर अनुमति के लिए अनुमोदन की स्थिति ज्ञात होती है। प्रत्येक अनुमति के साथ एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया क्यूआर कोड आवंटित किया जाता है, और अब कोई भी नागरिक, सी-विजिल एप का उपयोग करके उसकी वैधता के बारे में सीधे एन्कोर सर्वर से रिस्पांस प्राप्त कर सकता है।

चौथा मॉड्यूल मतदाता प्रतिशत है। जब मतदान चल रहा हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केंद्र से प्रत्येक दो घंटे में प्रणाली में दर्ज किए गए मतदाता डाटा को भरता है। एन्कोर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिला और राज्य स्तर के आधार पर मतदाता टर्नआउट की गणना करता है। तब यह जानकारी वेब और विशेष रूप से डिजाइन किए गए मतदाता टर्नआउट एप पर उपलब्ध कराई जाती है।

पांचवा मॉड्यूल बैलट जनरेशन है। उम्मीदवारों और

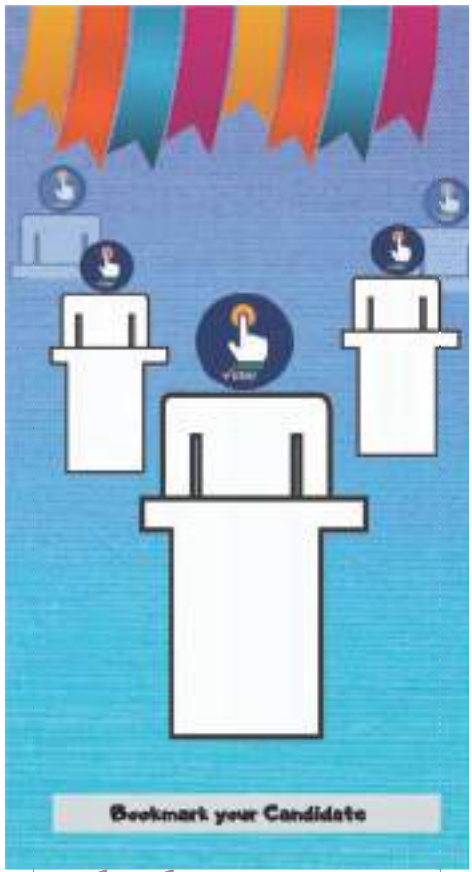

> एन्कोर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों जिला और राज्य स्तर के आधार पर मतदाता की प्रतिशत गणना करता है। तत्पश्चात यह जानकारी वेब और विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'वोटर टर्नआउट ' एप पर उपलब्ध कराई जाती है।

प्रतीकों के लिए प्रविष्ट किए गए डाटा के आधार पर, प्रणाली स्वचालित रूप से मतपत्र (बैलट) सृजित करता है। इन मतपत्रों का उपयोग सेवा मतदाताओं के लिए और ईवीएम के लिए भी सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट प्रणाली के लिए किया जा सकता है। इसने मतपत्रों का सृजन करना सरल कर दिया है और इसमें होने वाली गलतियों को कम कर दिया है।

छठा मॉड्यूल मतगणना प्रबंधन प्रणाली है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक राउंड के लिए मतगणना डाटा एन्कोर में दर्ज करते हैं। डाटा टेबल-वार दर्ज किया जाता है और परिणाम प्रणाली में स्वचालित रूप से परिकलित होता है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रणाली से प्रिंटआउट केवल 'राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म' नामक एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फॉर्म से लेता है। चूँकि राउंड घोषणा, स्थानीय घोषणा के साथ सहयोजित होती है, इसलिए परिणाम वास्तविक समय में भारत निर्वाचन आयोग की परिणाम वेबसाइटों पर अपडेट हो जाते हैं। दुनिया में कहीं भी चुनाव परिणाम जितना वास्तविक समय में भारतीय चुनाव प्रणाली में है उतना कहीं नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर को, अन्य के साथ-साथ, सभी सांविधिक रिपोर्टें जैसे कि फॉर्म 20, फॉर्म 21सी, फॉर्म 21ई तैयार करने की सुविधा मिलती है।

सातवाँ मॉड्यूल रिजल्ट डिस्प्ले प्रणाली है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक राउंड के लिए जैसे ही मतगणना डाटा दर्ज किया जाता है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है, वैसे ही परिणाम http://results.eci.gov.in वेबसाइट से और मतदाता

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 26 20-03-2020 14:22:20

हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं। हाल ही में, परिणाम प्रदर्शित करने का एक नया तरीका विकसित किया गया है, जिसे 'इलेक्शन ट्रेंड टीवी' कहा गया है। ये मतगणना केंद्रों के बाहर और इसी तरह के अन्य सार्वजनिक-रुचि वाले स्थानों में लगे बड़े होर्डिंग्स के लिए परिणामों के स्व-विन्यास-योग्य रीयल-टाइम डिस्प्ले होते हैं। परिणाम वेबसाइट पर प्रति सेकंड 50,000 हिट हुए और इसलिए, इस मॉड्यूल को कन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क या सरल सीडीएन के उपयोग द्वारा प्रवर्धित किया गया है।

आठवां मॉड्यूल व्यय अनुवीक्षण है। उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की दिन-प्रति-दिन जांच करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव व्यय अनुवीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। एन्कोर, उम्मीदवार के कुल खर्चों, राजनैतिक पार्टी द्वारा उम्मीदवार को दी गई धनराशि, उम्मीदवार को दूसरों द्वारा दी गई धनराशि, खर्च कम करके बताए गए हैं या नहीं, और उम्मीदवार ने खर्च उच्चतम सीमा से अधिक किया है या नहीं, को कवर करता है।

नौवां मॉड्यूल इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्टें हैं। चुनावों के सम्पूर्ण संचालन का अंतिम संकलन इंडेक्स कार्ड एप्लीकेशनों में किया जाता है: उदाहरण के लिए, उम्मीदवार-वार रिपोर्टें, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार रिपोर्टें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार टर्नआउट से लेकर परिणाम रिपोर्टें, इत्यादि। यह 46 प्रकार की महत्वपूर्ण रिपोर्टें तैयार करता है जो वेबसाइट पर प्रकाशित होती हैं।

हाल ही में शुरू किया गया बूथ पीपी, एन्कोर का

एक अभिन्न अंग है। बूथ एप और मतदान केंद्रों से दर्ज किया गया डाटा सीधे दर्ज किया जाता है और इसे रिटर्निंग ऑफिसर के डैशबोर्ड में और फिर वहां से मतदाता टर्नआउट एप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह, एन्कोर, शिकायत प्रबंधन प्रणालियों और चुनाव योजना प्रणालियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इसे जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग करने के लिए और अधिक विकसित किया जा रहा है ताकि विभिन्न चुनावी प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सके।

एन्कोर के आगामी मॉड्यूलों में से एक मॉड्यूल उम्मीदवार के लिए सम्पूर्ण ऑनलाइन नॉमिनेशन सुविधा है। उम्मीदवार सीधे घर बैठे अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं, अंतिम आवेदन सृजित कर सकते हैं और उसे जमा करने के लिए प्रिंट कर सकते हैं। यह प्रणाली आवेदन फॉर्म में क्यूआर कोड देगी, जिसके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर आवेदन प्राप्ति प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से देखरेख कर सकते हैं और आवेदन की पूर्व-संवीक्षा कर सकते हैं। डिजीटल हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण के विभिन्न प्लगइन्स के उपयोग से नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया चुनावी परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल देगी।

एन्कोर कामयाब रहा है क्योंकि एक सुदृढ़ आंतरिक प्रशिक्षण टीम के साथ डिजिटल-समझ रखने वाला सही नेतृत्व था जिसने कार्यबल के लिए क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अनथक कार्य किया। प्रशासन ने अधिकारियों को नए तरीकों से काम करने के लिए समर्थ किया। तकनीकी टीम ने दिन-प्रतिदिन के साधनों को डिजीटल रूप से स्तरोन्नत किया और इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शुरू करने के दौरान एक व्यापक संचार नेटवर्क स्थापित किया गया।

अधिकाधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकियों, जैसे कि कृत्रिम आसूचना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उन्नत न्यूरल मशीन-लर्निंग तकनीकों को एन्कोर में सम्मिलित करने के लिए आधार तैयार कर लिया गया है। इससे चुनावों को जिस तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाता है उसमें सही मायनों में आमूल बदलाव लाया जा सकेगा।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 27 20-03-2020 14:22:21

दुनिया तक पहुँच बनाना

भारत निर्वाचन आयोग की वैश्विक उपस्थिति

वी.के. शर्मा और डॉ. आरती अग्रवाल
भारत निर्वाचन आयोग

भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए थे और तभी से दुनिया की नजर भारत में होने वाले आम चुनावों पर टिकी रहती है। विभिन्न देशों में लोकतंत्र को अपनाए जाने की वजह से सुचारू और साफ-सुथरा चुनाव कराने की मांग भी बढ़ रही है। बीते वर्षों में अनेक देशों के पत्रकार, राजनेता और प्रेक्षक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारत के अभिनव प्रयोग को देखने और जानने के लिए भारत आए हैं। इसके अलावा, कई देशों की सरकारों ने भारत के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं, और चुनौतियों के गहन अध्ययन के लिए आधिकारिक दलों को भारत भेजा है।

साथ ही साथ, भारत निर्वाचन आयोग ने अन्य पहल के साथ अध्ययन और प्रेक्षण मिशनों, विदेशी प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भागीदारी, और विचार-विनिमय के माध्यम से दुनिया तक अपनी पहुंच बनाई हैं। विदेशी प्रतिनिधियों ने आयोग द्वारा संचालित कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। आयोग ने जानकारी प्रदान करने और अपने सशक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से अन्य चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के साथ सर्वोत्तम पद्धतियां और कौशल साझा करके एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाया है।

आयोग दुनिया भर में लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सबसे आगे रहा है और लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से निकटता से जुड़ा हुआ है। ये मंच इस प्रकार हैं:

- **एसोसिएशन ऑफ़ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ (ए-वेब):** ए-वेब विश्व के सभी पांचों महाद्वीपों के 115 निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) का सबसे बड़ा संघ है। भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2011-12 के दौरान ए-वेब के गठन की प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा रहा है। आयोग अक्तूबर 2013 में इसकी स्थापना से, लगातार दो कार्यकालों (2013-15 और 2015-17) के लिए ए-वेब के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य रहा है; 2017-19 की अवधि के लिए इसका उपसभापति रहा है और 3 सितंबर, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित ए-वेब की चौथी महासभा में आयोग ने 2019-2021 के कार्यकाल के लिए ए-वेब के सभापति के रूप में पदभार संभाला।
- **दक्षिण एशियाई निर्वाचन प्रबंधन निकायों का फोरम (फेम्बोसा):** भारत निर्वाचन आयोग फेम्बोसा का संस्थापक सदस्य था और 2012-13 में इसका सभापति रहा। फेम्बोसा की 9वीं बैठक ढाका, बांग्लादेश में सितंबर 2018 में आयोजित की गई थी। आयोग 24 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित फोरम की 10वीं वार्षिक बैठक का मेजबान है और 2020 के लिए इसके सभापति का पदभार संभालेगा।
- **एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण संघ (एएईए):** आयोग एएईए का संस्थापक सदस्य था और 2014-2016 के दौरान इसका सभापति भी रहा। वर्तमान में, आयोग इसके

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 28 20-03-2020 14:22:21

दक्षिण एशियाई निर्वाचन प्रबंधन निकायों का फोरम (फेम्बोसा)

एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण संघ

भारत निर्वाचन आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह

कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है।

- **राष्ट्रमंडल निर्वाचक नेटवर्क (सीईएन):** भारत निर्वाचन आयोग 2010 में इसकी स्थापना के बाद से और 2014 तक इसकी संचालन समिति का सदस्य था और वर्तमान में यह सीईएनआई का सदस्य है।
- **इंटरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेंस:** भारत निर्वाचन आयोग इंटरनेशनल आइडिया, स्टॉकहोम का संस्थापक सदस्य रहा है।

अपनी अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच के भाग के रूप में भारत निर्वाचन आयोग ने दुनिया भर के 27 निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, बोस्निया-हर्ज़ेगोविना, ब्राजील, चिली, फिजी, जॉर्जिया, आइवरी कोस्ट, गिनी, कोरिया गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, लीबिया, मालदीव, मॉरीशस, मैक्सिको, माल्डोवा, म्यांमार, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यमन, जाम्बिया और संयुक्त राष्ट्रसंघ, इंटरनेशनल आइडिया और आईएफईएस के साथ चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन संस्थागत अन्योन्यक्रिया (इंटरएक्शन) और सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

दुनिया भर में निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ अन्योन्यक्रिया के माध्यम से आयोग ने अन्य देशों में अपने समकक्षों से बहुमूल्य ज्ञान अर्जित किया है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आउटरीच को भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के संयोजन में तैयार किया गया है, जिसमें लोकतंत्र को बढ़ावा देना और दुनिया भर में निर्वाचन प्रशासन को सुदृढ करना शामिल है।

2010-11 में आयोग के हीरक जयंती समारोह के दौरान प्रतिभागी देशों के कई निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संचालन सहित निर्वाचन प्रौद्योगिकी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। आयोग ने इस संबंध में जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र, भूटान और नेपाल को **तकनीकी सहायता** प्रदान की है। ज्ञान साझा करने के नतीजे भी मिले हैं और आज, नेपाल, भूटान और नामीबिया अपने चुनावों में भारत में विनिर्मित ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं।

आयोग द्वारा वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अपने **राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी)** के वार्षिक समारोहों का आयोजन शुरू करने के बाद पाकिस्तान, भूटान और कोरिया गणराज्य जैसे देशों ने भी इस प्रथा का अनुकरण किया है, और वे मतदाता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाते हैं। संयोग से, हम इस वर्ष 25 जनवरी, 2020 को एनवीडी आयोजनों का एक दशक

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 29 20-03-2020 14:22:26

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

मना रहे हैं।

बात यहीं पूरी नहीं हो जाती! निर्वाचनों के लिए **प्रेक्षण मिशन** तंजानिया, रूस, श्रीलंका, मिस्र, लेसोथो, इक्वाडोर, कंबोडिया, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, कोरिया गणराज्य, नॉर्वे, नेपाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया-हर्ज़ेगोविना और यूएसए जैसे देशों में भेजे गए हैं । 2018 के दौरान आयोग के अधिकारियों ने 12 देशों (यथा, श्रीलंका, रूस, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, मलेशिया, इराक, कोरिया गणराज्य, जिम्बाब्वे, कंबोडिया, भूटान, फिजी और बांग्लादेश) में अध्ययन/प्रेक्षण मिशन संचालित किया।

निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (ईवीपी) 2019: आयोग द्वारा यह आम चुनाव 2019 के दौरान आयोजित किया गया था जिसमें 19 देशों, यथा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, बोस्निया-हर्ज़ेगोविना, फिजी, जॉर्जिया, केन्या, कोरिया गणराज्य, किर्गिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, म्यांमार, रोमानिया, रूस, श्रीलंका, सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आइडिया) के 65 प्रतिनिधियों ने लोकसभा चुनाव, 2019 का अवलोकन करने के लिए 10-13 मई तक दिल्ली का दौरा किया। आयोग द्वारा इसी तरह के निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (ईवीपी) 2014 के लोकसभा चुनावों और पाँच राज्यों यथा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2017 में आयोजित हुए विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान आयोजित किए गए थे।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुभव और कौशल, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी सहायता, सम्मेलनों/कार्यशालाओं और लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए 200 से अधिक दौरे (उनमें से लगभग आधे इनकमिंग विजिट थे) आयोजित किए गए। वर्ष 2019 में आयोग के प्रतिनिधियों ने स्वीडन, जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कैम्ब्रिज (यूके), श्रीलंका, ढाका (बांग्लादेश) और मनीला (फिलीपींस) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

अध्ययन / प्रेक्षण मिशन

11 जून 2018 को चुनावों पर सियोल इंटरनेशनल फोरम

विदेश मंत्रालय और लोक सभा सचिवालय द्वारा आमंत्रित किए गए विदेशी राजनयिक, पत्रकार और अधिकारी भारतीय चुनावी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से आयोग में आते हैं। 2018 और 2019 के दौरान आयोग ने विदेशों के 50 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र में कई देशों के स्थायी प्रतिनिधि, 250 आसियान छात्रों का एक समूह, कई विदेशी राजनयिक, 40 से अधिक देशों के सांसद और अधिकारी शामिल थे। ये इंटरएक्शन भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को बढ़ावा देने और दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान करते हैं।

निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत आयोग ने जून 2011 में **भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम)** की स्थापना की थी। इस संस्थान को सहभागी लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के एक उन्नत संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक नए अत्याधुनिक परिसर से कार्य करता है। 35,300 से अधिक राष्ट्रीय स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा, आईआईआईडीईएम ने अपनी स्थापना के बाद से 71 अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया है, जिसमें 97 देशों के 1,440 से अधिक निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया है। आईआईआईडीईएम के अंतर्राष्ट्रीय

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 30 20-03-2020 14:22:29

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम)

पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या वाशिंगटन डीसी, यूएसए में स्थित इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के सहयोग से तैयार की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने अक्तूबर 2016 में **मतदाता शिक्षा** से संबंधित पहले **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** की मेजबानी की, जिसमें छह महाद्वीपों से 25 देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकाय ने भागीदारी की। इसके अलावा, इस सम्मेलन में यूएनडीपी, इंटरनेशनल आइडिया और आईएफईएस जैसे प्रसिद्ध संगठनों ने भी भाग लिया। सम्मेलन के समापन सत्र में सर्वसम्मति से एक वैश्विक पहल–**वॉयस.नेट,** का शुभारंभ किया गया। प्रतिभागी निर्वाचन प्रबंधन निकाय (ईएमबी) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक नए डिजिटल ज्ञान मंच वॉयस.नेट के शुभारंभ के साक्षी रहे, जिसके माध्यम से मतदाता शिक्षा के लिए वे एक दूसरे से तथा आगे चलकर दुनिया के लोकतंत्रों से जुड़े रह सकते हैं।

वर्तमान में, वॉयस.नेट में 32 सदस्य हैं, जिसमें दुनिया भर में कई एसोशिएट के अलावा ईएमबी और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। वॉयस.नेट की विषय-वस्तु सदस्य ईएमबी/संगठनों, और इन-हाउस रिसर्च और प्रैक्टिस द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पोर्टल का रखरखाव आयोग द्वारा किया जाता है।

वॉयस.नेट पर सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में मतदाता शिक्षा पर एक त्रैमासिक ई-पत्रिका, **वॉयस.इंटरनेशनल** 24 जनवरी, 2017 को लांच की गई। यह पत्रिका प्रत्येक अंक के लिए एक विशिष्ट विषयगत फोकस के साथ पेश की जाती है। इसका संपादक मंडल विषय का चयन करता है और अन्य बातों के अलावा सदस्यों को आलेखों के रूप में योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। मतदाता शिक्षा पर विषयगत फोकस के साथ संयोजित विपुल संसाधन पेश करते हुए प्रकाशन सूक्ष्मदर्शी आलेखों, केस स्टडी, सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचार और निर्वाचन भागीदारी की सशक्त संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल के माध्यम से मतदाता शिक्षा में सामयिक अभिरुचि के विषयों का जीवंत वैश्विक कवरेज भी प्रस्तुत करता है।

आयोग ने अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की भी मेजबानी की है। जनवरी 2017 में 'युवा एवं भावी मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यनीति' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जनवरी 2018 में 'निर्वाचन प्रक्रियाओं में दिव्यांगजनों के समावेशन' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद जनवरी 2019 में 'निर्वाचनों को समावेशी एवं सुगम बनाने' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में, ए-वेब की चौथी महासभा में 'निर्वाचनों में सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की पहल और चुनौतियों' पर 2 सितंबर से 4 सितंबर, 2019 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। चौथी महासभा में नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम को ए-वेब के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में घोषित किया गया, जहां सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने के लिए प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा ए-वेब सदस्यों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण का कार्य किया जाएगा। आयोग ए-वेब केंद्र के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा। इसके अलावा, वॉयस इंटरनेशनल को ए-वेब की पत्रिका के रूप में घोषित किया गया।

आयोग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और निर्वाचन प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संयोजन में संचालित किया जाता है और इस प्रकार भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भारत निर्वाचन आयोग का निरंतर प्रयास रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करते हुए विदेशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ घनिष्ठ निर्वाचन सहयोग कायम किया जाए।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 31 20-03-2020 14:22:31

भारतीय निर्वाचनों के गौरवशाली 70 वर्ष

उमेश सिन्हा
महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ ही भारत में निर्वाचकों की संख्या की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह एक सशक्त और समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति, जो चुनावी प्रक्रिया में भारत के नागरिकों के विश्वास और अपने गैर-पक्षपाती स्वरूप के द्वारा अभिलक्षित होती है, और मतदाताओं की सभी श्रेणियों के समावेशन के लिए अपने मूल उद्देश्य - 'कोई भी मतदाता न छूटे' – के साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। यह पिछले सात दशकों में जीवंत चुनावी भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ा है। यह लेख पिछले सात दशकों के दौरान भारतीय चुनावों के कामयाब सफर की कहानी बयान करता है।

संवैधानिक प्रावधान सशक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करते हैं

राष्ट्र के संस्थापकों ने एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, नि:शुल्क एवं एकसमान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी प्रकार के भेदभाव के खात्मे, निर्वाचक नामावलियों के रख-रखाव, चुनावी मामलों में विवाद समाधान की एक सशक्त प्रणाली और स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करके हमारे संविधान में निर्वाचनों के लिए एक मजबूत नींव रखी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 निर्वाचनों के संचालन और संबंधित मामलों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं।

आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, जागरूक, समावेशी, सुगम, नैतिक और पारदर्शी चुनावों के संचालन के लिए व्यापक अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से प्राप्त मार्गदर्शन देश में चुनावों के संचालन के लिए आयोग के ढांचे को और पुख़्ता करते हैं।

इस मजबूत नींव ने भारत में लोकतांत्रिक राजव्यवस्था और संस्कृति को बनाए रखने, तथा विकसित करके दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्थिर एवं भरोसेमंद लोकतंत्रों में से एक के रूप में इसे आकार देने तथा हमारी चुनाव प्रणाली को स्वर्ण मानक के रूप में स्थापित करने में मदद की है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, भारत का प्रत्येक नागरिक, जो अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है (उन्हें छोड़कर जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या जिन्हें अन्यथा अयोग्य घोषित किया गया है) को मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार मूल रूप से 21 वर्ष की आयु होने पर दिया गया था जिसे इकसठवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 के माध्यम से 1 अप्रैल 1989 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए अर्हता उस वर्ष की पहली जनवरी है जब नामावली संशोधित की जाती है। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा।

'प्रचुर आस्था का एक कार्य'

प्रत्येक भारतीय को सार्वभौमिक और प्रत्यक्ष मताधिकार की पद्धति के तहत मत देने के अधिकार का संविधान सभा का निर्णय, जैसा कि अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने इसे वर्णित किया, आम आदमी में 'प्रचुर आस्था' का कार्य था और यह लोकतांत्रिक शासन की निर्णायक सफलता थी।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का संदेश, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में उल्लिखित है, प्रभावशाली और स्पष्ट था और यह भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया का मूल आधार है।

समग्र कार्यनीति: 'कोई भी मतदाता न छूटे'

संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। सभी श्रेणियों के मतदाताओं को चुनावी भागीदारी में शामिल करना राजनैतिक लोकतंत्र का मूल आधार है और यह भावना एक सर्वनिष्ठ विशेषता के रूप में संविधि के माध्यम से प्रवाहित होती है। संविधान का भाग XV निर्वाचन में भारत में चुनावों की पूर्ण रूपरेखा दी गई है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 32 20-03-2020 14:22:31

संवैधानिक अधिदेश और विधायी ढांचे का अवलंब लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग 'कोई भी मतदाता न छूटे' – के आधार-वाक्य पर काम करता है, जो समावेशी और सुगम निर्वाचनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है - आयोग सभी श्रेणियों के निर्वाचकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और सुविधाजनक बनाता है।

भारत निर्वाचन आयोग

आयोग सरकार से स्वतंत्र, एक स्थायी निकाय है जो संविधान के प्रावधानों और चुनावों से संबंधित कानून के अनुसार कार्य करता है। उपर्युक्त के द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों में अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में शक्ति के एक विशाल स्रोत के रूप में काम करता है ताकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए अपने अधिदेश का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, और उनके संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्तियां निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत का गणतंत्र बनने से एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। आयोग का मूल स्टाफ वास्तव में संविधान सभा के सचिवालय से लिया गया था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ने 21 मार्च, 1950 को कार्यभार संभाला। अक्तूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय बना रहा। अक्तूबर, 1989 में निर्वाचन आयोग में दो आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अक्तूबर 1993 तक, राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयुक्तों की संख्या दो नियत कर दी और 07 अक्तूबर 1993 को दो आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी गई और इस तरह, भारत निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया।

अब तक संचालित निर्वाचन

अपनी यात्रा के सात दशकों में, आयोग ने अपने संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पहली लोकसभा के लिए 1952 में हुए पहले आम चुनाव से निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया – आयोजना, तैयारी, संचालन, मतगणना और परिणाम घोषित करना – को अत्यन्त सावधानीपूर्वक, सुचारू रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से संभाला है। आयोग ने पिछले सात दशकों के दौरान 'लोक सभा' यानि संसद के निचले सदन के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय तरीके से सत्रह आम चुनाव सफलतापूर्वक करवाए हैं। आयोग ने इसी तरह अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए 15 बार भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए, 15 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए, संसद के उच्च सदन के लिए सतत तरीके से निर्वाचनों का संचालन किया है। इसके अलावा, इसने 377 बार राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचन के अलावा) का संचालन किया है।

पहला आम चुनाव: मुद्दे, चुनौतियां और समाधान

1952 में पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में एक मील का पत्थर था। निर्वाचन आयोग द्वारा यह आम चुनाव लोक सभा की 489 सीटों के लिए और विभिन्न राज्य विधानसभाओं की लगभग 3,283 सीटों के लिए 1951-52 में संचालित किया गया था। यह चुनाव फर्स्ट–पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम (एफपीटीपीएस) के तहत आयोजित हुआ था। 176 मिलियन से अधिक मतदाताओं से बने निर्वाचक-मंडल के साथ निर्वाचकों के रूप में उनके पंजीकरण की प्रक्रिया, चुनावी भागीदारी के लिए रसद-व्यवस्था ने नवगठित गणराज्य और नवगठित निर्वाचन आयोग दोनों के लिए जटिल और विशाल चुनौती पेश की। आयोग ने विश्वास और उच्च कोटि की पेशेवर भावना के साथ विविध उभरती चुनौतियों और जटिल मुद्दों का समाधान किया।

मतदाताओं का **पंजीकरण** एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया, जो भाषाई जटिलताओं से उत्पन्न बाधाओं, उपनामों के बारे

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 33 20-03-2020 14:22:36

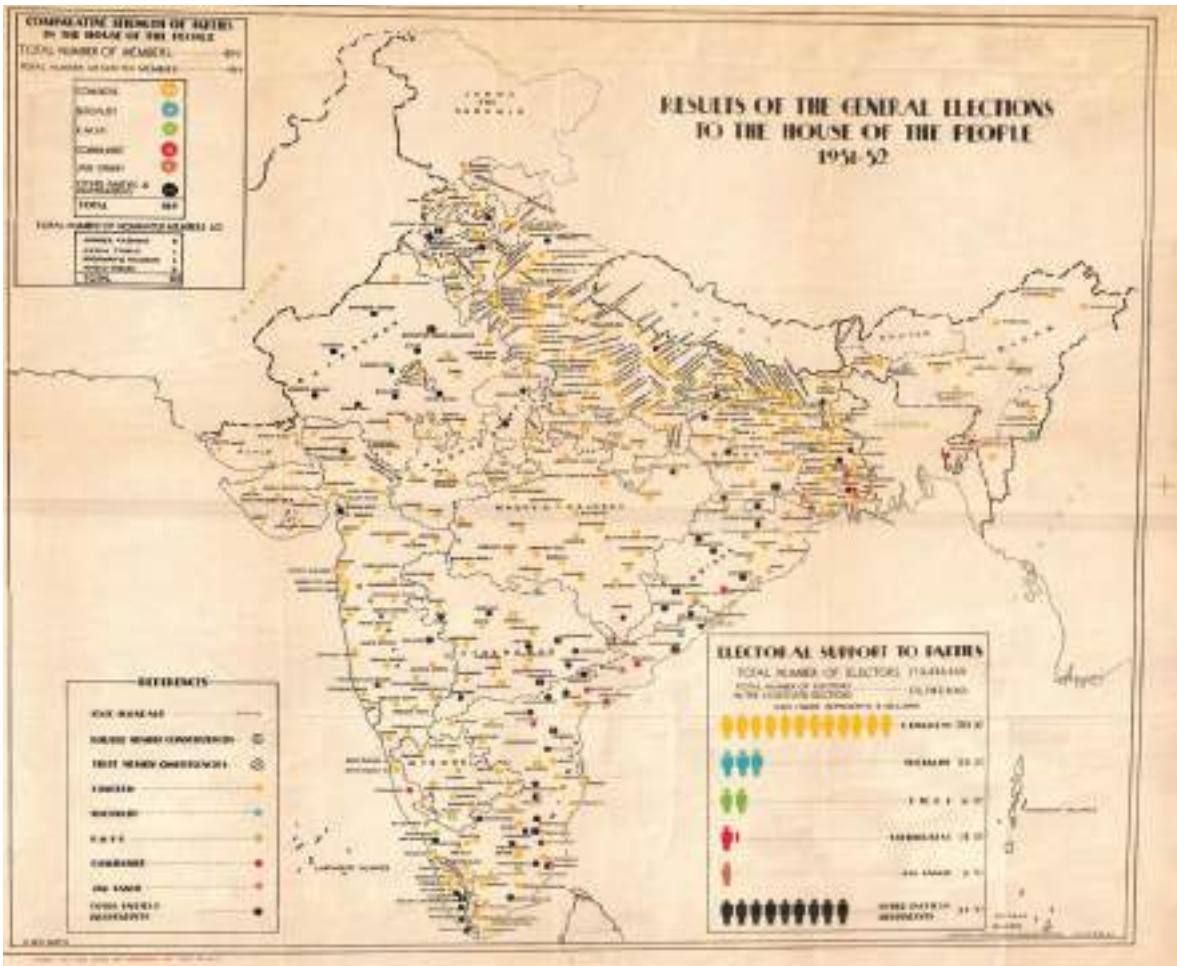

में विविध परंपराओं की समस्याओं, महिलाओं में धार्मिक निषेधों के कारण अपने पति का नाम बताने की दिक्कत और शरणार्थियों की बड़ी प्रवासी आबादी की अस्पष्ट नागरिकता की स्थिति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य, संविधान सभा के अनुदेशों और मार्गदर्शन के अधीन निर्वाचन यथासंभव यथाशीघ्र करवाने के उद्देश्य से अत्यंत सावधानी के साथ काफी पहले शुरू कर दिया गया था। निर्वाचक नामावली तैयार करने का संकल्प 8 जनवरी, 1949 को पारित कर दिया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 20 अप्रैल, 1950 को पारित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 01 मार्च, 1950 को ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं थी, और जो 01 अप्रैल, 1947 से 31 दिसंबर, 1949 की अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों के लिए रहे थे, मतदाताओं के रूप में पंजीकरण के हकदार थे।

17 जुलाई, 1951 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया गया और इसने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के कार्य को सुविधाजनक बनाया। 10 अगस्त, 1950 को अनुसूचित जाति आदेश, 06 सितंबर, 1950 को अनुसूचित जनजाति आदेश के जारी होने के साथ-साथ नवंबर, 1950 के मध्य तक निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश का जारी होना देश में प्रथम आम चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे।

प्रतीकों का उपयोग: पहले आम चुनावों में एक पहल

सामान्य तौर पर, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम के साथ एक मतपत्र और मतदाता द्वारा अपनी पसंद के सामने निशान लगाकर अपने मत को दर्ज करना पर्याप्त होता था। 16.6% का साक्षरता का अति निम्न स्तर, प्रमुख चुनौतियों में से एक था। सभी पहलुओं से विभिन्न विकल्पों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, आयोग ने प्रतीक प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया। इस प्रणाली के अनुसार मतपेटियों को, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार के अलग-अगल प्रतीक थे, मतदान कक्ष में रखा गया था। मत डालने के लिए पहले से मुद्रित मतपत्र

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 34 20-03-2020 14:22:46

पर कोई निशान लगाना जरूरी नहीं था। इसे केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक वाले बॉक्स में रखा जाना था। इससे मत की गोपनीयता के साथ-साथ निरक्षर मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने में मदद मिली। समय बीतने के साथ, प्रतीक प्रणाली चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई है। प्रतीक न केवल मत डालने के लिए एक अमूल्य साधन साबित हुआ है अपितु यह अभियानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

पहले आम चुनाव पर कुछ तथ्य

निर्वाचन आयोग ने 176 मिलियन मतदाताओं के लिए 1,96,084 मतदान केंद्रों के साथ 1,32,560 मतदान केंद्र बनाए और लगभग ढाई मिलियन मतपेटियों का उपयोग किया। वास्तविक मतदान की निगरानी करने के लिए लगभग एक मिलियन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। 600 मिलियन मतपत्रों के लिए एक मिलियन रुपये (रुपये 10,77,401-13-0) की लागत पर कुल 180 टन कागज का उपयोग किया गया था। 2,27,460 रुपये की लागत से अमिट स्याही की कुल 3,89,816 शीशियों का इस्तेमाल किया गया था। इतने वृहद पैमाने पर निर्वाचनों का संचालन ही केवल एक चुनौती नहीं थी; बल्कि प्रत्यक्ष आवाजाही ने विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में दुष्कर कठिनाइयों से भरी एक बड़ी चुनौती पेश की। दुर्गम भू-भाग में परिवहन के लिए हाथियों, बैलगाड़ियों, ऊँटों का उपयोग किया गया।

पहले आम चुनाव के दौरान आयोग ने निम्नलिखित की स्थापना की:

- **1,32,560** मतदान केंद्र
- **1,96,084** मतदान बूथ
- **2.5** मिलियन मतपेटी,

इस प्रकार 176 मिलियन निर्वाचकों की निर्वाचन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

मतदान 25 अक्तूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक चार महीनों के लिए जारी रहा। कठिन जलवायु और भूभौतिकीय परिस्थितियों के बावजूद, मतदाताओं ने मौसम और दूरी दोनों का सामना किया। सभी महिला और पुरुष शानदार परिधानों में, पैदल या सार्वजनिक सवारी से और परिवहन के लगभग प्रत्येक कल्पनीय साधनों का उपयोग करके मतदान केंद्रों पर आए और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर मतदाताओं ने सराहनीय रूप से मतदान किया। 176 मिलियन निर्वाचकों में से 88.6 मिलियन, यानि 50 प्रतिशत से थोड़े अधिक ने वास्तव में मतदान किया। इस प्रकार, भारतीय निर्वाचक पर संस्थापकों ने जो 'भरोसा' व्यक्त किया था उस पर वह खरा उतरा। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के प्रथम आम चुनाव ने लोकतंत्र और कानून के शासन का सूत्रपात किया। पहले आम चुनावों की असंदिग्ध सफलता और उसने वृहत रूप से देश में और विशेष रूप में राज्व्यवस्था में जो संतुष्टि लाई, वे एक सुखद आश्चर्य थे। इस उपलब्धि और अनुभव को देश और विदेश दोनों में लोकतंत्र में विश्वास के एक उल्लेखनीय कार्य, आदर्श रूप से परिकल्पित और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित, के रूप में सराहा गया।

यह लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रकिया थी। पश्चिमी प्रेक्षकों ने इसे अविश्वास और अचंभे के साथ देखा। उन्होंने सोचा कि यह विशाल प्रयोग एक नए लोकतंत्र में कैसे सफल होगा, जो बड़े पैमाने पर प्रवासन, निम्न साक्षरता दर से जूझ रहा है, परंपरा से बंधा हुआ है, मताधिकार से अनजान है और एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के साथ लोकतंत्र के तरीकों और सिद्धांतों से अपरिचित है।

दूसरा आम चुनाव

लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के पुनर्गठन के लिए दूसरा आम चुनाव मार्च, 1957 तक पूरा हो गया था। चुनावों से ठीक पहले, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के कारण गंभीर अनिश्चितता का पहलू सामने आया था। यह किंचित संदिग्ध हो गया कि क्या समय पर चुनावों का संचालन करने के लिए कानूनी बाध्यताओं और प्रशासनिक साधनों को मुकम्मल करना वास्तव में संभव हो पाएगा। निर्वाचन आयोग स्थगन के ऐसे किसी भी प्रस्ताव के विरोध में था क्योंकि इससे एक बहुत खराब मिसाल कायम करता। सरकार द्वारा समयबद्ध कार्रवाई करने के साथ अनेक कार्यनीतिक संवैधानिक और विधायी संशोधन एवं प्रशासनिक उपाय किए गए।

1960 के दशक में 1962 और 1967 में दो लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। चुनावों में बढ़ती भागीदारी और चुनाव लड़ने के प्रति लोगों की बढ़ती दिलचस्पी परिलक्षित हुई और इसका निश्चित रूप से यह अर्थ था कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुईं। लोक सभा के 1957 और 1967 के आम चुनावों के बीच चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या दोगुनी हो गई। 1968 तक, निर्दिष्ट न्यूनतम चुनावी आधार वाले सभी राजनैतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। 1960 के दशक की प्रमुख विशेषताओं में से

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 35 20-03-2020 14:22:46

एक 'निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन आदेश), 1968 का प्रख्यापन था। इसका उद्देश्य राजनैतिक दलों की मान्यता के लिए संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में प्रतीकों का विनिर्देशन, आरक्षण, विकल्प और आबंटन करना था।

आदर्श आचार संहिता

1960 का दशक निर्वाचन अभियानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम का गवाह बना। फरवरी 1960 में केरल विधान सभा के आम चुनावों की पूर्व संध्या पर राज्य प्रशासन ने राज्य में राजनैतिक दलों द्वारा पालन किए जाने के लिए आचार संहिता तैयार करने के लिए कार्य किया। राजनैतिक दलों द्वारा एक मसौदा कोड तैयार किया गया, उस पर चर्चा की गई, उसे अनुमोदित किया गया और उसे अंगीकार किया गया। इस कोड ने सत्तासीन पार्टी सहित निर्वाचन लड़ने वाली राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के अभियान, आचरण और अनुशासन के विभिन्न पहलुओं को कवर किया। आयोग ने कोड को राज्य सरकारों और सभी राजनैतिक दलों में परिचालित किया। विभिन्न हितधारकों द्वारा सामान्य रूप से कोड स्वीकृत किए जाने और उसे अपनाने से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित अभियानों में योगदान मिला। इस कोड में 1979 में व्यापक संशोधन किया गया और बाद में राजनैतिक दलों के परामर्श से कुछ पहलुओं में इसे और बेहतर किया गया और 1991 में फिर से जारी किया गया।

1970 के दशक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनैतिक दलों के परामर्श से चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान कदाचारों को रोकने के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित किया, जो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अभिन्न अंग थे। एमसीसी को मजबूत करने से राजनैतिक दलों को चुनावी प्रतिस्पर्धा में राजव्यवस्था के लिए एकसमान अवसर प्रदान करने में मदद मिली है, इसने आयोग को अपने संवैधानिक अधिदेश के भाग के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद की है।

1980 का दशक चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के चलन का साक्षी बना। 1982 में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का पहली बार केरल में 70-पारुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रायोगिक आधार पर चलन शुरू किया गया था। इससे मशीनों के तकनीकी पहलुओं के परीक्षण की प्रक्रिया और कैसे वे मतदान, मिलान और मतगणना की प्रक्रिया को कुशल और सटीक बना सकती हैं, की विस्तृत कानूनी जांच शुरू हुई। इस दशक में 1988 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से

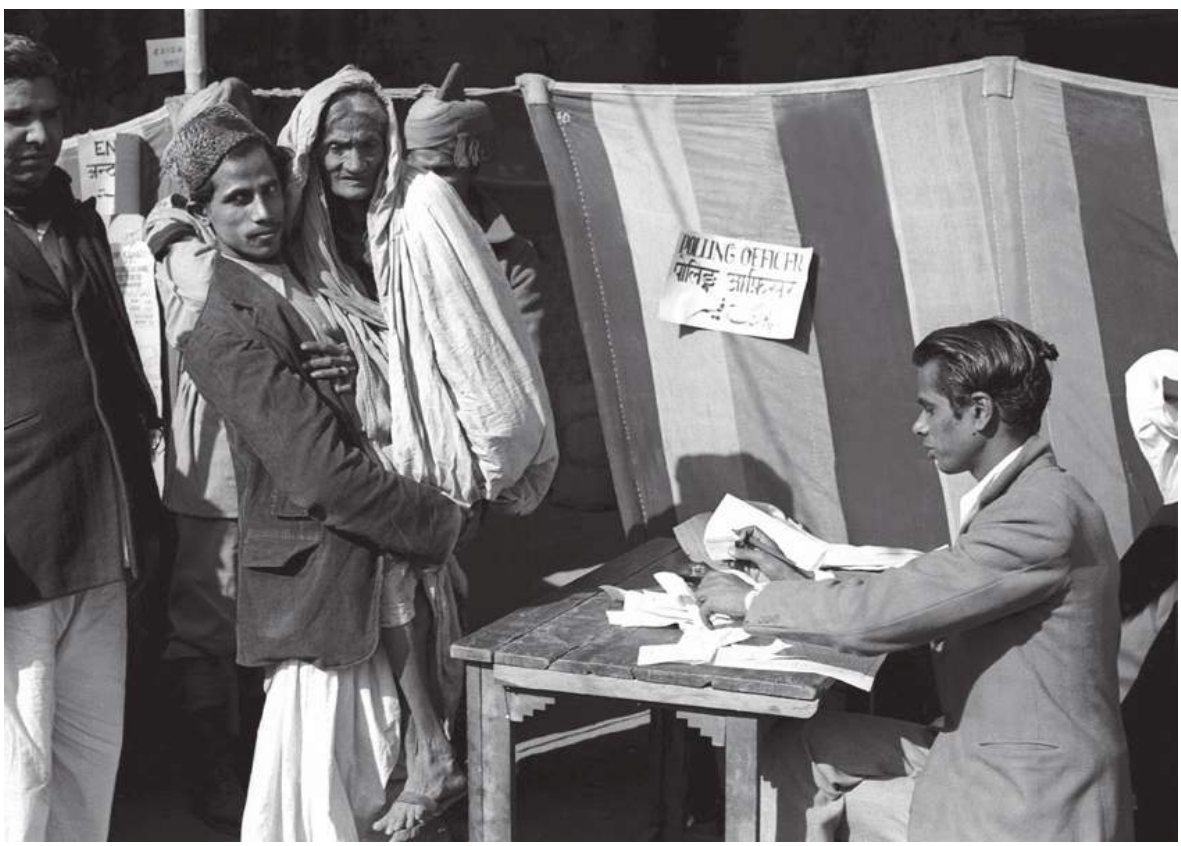

मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो युवा पीढ़ी की चुनावी भागीदारी में सहायक सिद्ध हुई।

1990 के दशक में आदर्श आचार संहिता को व्यापक बनाया गया और प्रभावी रूप से लागू किया गया जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए और शक्ति मिली। निर्वाचन आयोग ने उचित पहचान की प्रक्रिया शुरू करने और मतदाताओं के किसी भी प्रतिरूपण को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने का आदेश दिया। जिस ईवीएम को शुरू में प्रायोगिक आधार पर आजमाया गया था, वह 1998 के बाद से राज्य विधानसभा चुनाव का अभिन्न अंग बन गई।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग

बीसवीं शताब्दी के पिछले दो दशकों में, देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में हुए विकास का लाभ उठाते हुए, निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में मतदान और मतगणना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की शुरुआत की। वर्ष 1982 में प्रायोगिक रूप से शुरू करने, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 16 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू करने, वर्ष 2000 से अलग-अलग राज्यों में ईवीएम के उपयोग का क्रमिक विस्तार करने और वर्ष 2004 से भारत में सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण उनका देशव्यापी उपयोग करने के बाद से हमारी चुनावी प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। ईवीएम के उपयोग के कई फायदे हैं जैसे कि यह मतों को अमान्य होने से रोकता है, भारी मात्रा में कागज बचाता है, इससे कुशलतापूर्वक मतदान और मतगणना संपन्न होती है।

वर्ष 2004 के बाद से देश में वर्ष 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए तीन देशव्यापी आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के 107 से अधिक आम चुनाव ईवीएम का उपयोग करके सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं। ईवीएम की भेद्यता और सुरक्षा के बारे में आरोप लगाए गए हैं लेकिन वे निराधार पाए गए हैं। स्टेकहोल्डर परामर्श, खुली ईवीएम चुनौती, उच्च स्तर की तकनीकी सहायता, यादृच्छिकीकरण, और सुरक्षा प्रोटोकॉल ने स्टेकहोल्डरों का भरोसा बढ़ाने और ईवीएम प्रणाली को सर्व स्वीकृत बनाए रखने में मदद की है।

मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का उपयोग

जब कोई निर्वाचक बैलेटिंग यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने बटन दबाकर अपना वोट रिकॉर्ड करता है, तो संलग्न वीवीपीएटी मशीन एक छोटी सी मुद्रित पर्ची तैयार करती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम और प्रतीक दर्शित होता है जिसे उसने मत दिया है। मतदाता एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से उस मुद्रित पर्ची को सात सेकंड के लिए अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए देख सकता है कि वोट उसकी पसंद के उम्मीदवार के लिए दर्ज हुआ है और तदुपरांत मुद्रित पेपर पर्ची वीवीपीएटी यूनिट के बॉक्स में स्वचालित रूप से गिर जाती है। मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के संबंध में हुए किसी भी विवाद के मामले में, बॉक्स में अंतर्विष्ट मुद्रित पर्चियों को ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों के साथ सत्यापन और मिलान के लिए गिना जा सकता है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग किया गया था।

धन शक्ति का विनियमन: निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण

आयोग, चुनावों में धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग में एक निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण डिवीजन स्थापित किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के लिए व्यय की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। नकद लेन-देन के लिए भी उच्चतम सीमा निर्धारित की

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 37 20-03-2020 14:22:50

गई है। चुनावों के दौरान प्रत्याशियों या राजनैतिक दलों से जुड़े कैश, निर्वाचकों को प्रलोभित करने, जिसमें शराब और अन्य अवैध वस्तुएं शामिल हैं, के निमित्त रिश्वत की वस्तुओं की आवा-जाही पर नजर रखने और उन्हें जब्त करने के लिए व्यय प्रेक्षकों (ईओ), उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों को तैनात किया जाता है। बड़ी मात्रा में नकद धनराशि और अन्य समान की बरामदगियां की गई हैं और मुकदमा चलाया गया है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसर भी आए हैं जब चुनावों में दुरुपयोग के निमित्त रखी गई नकदी की बड़ी मात्रा में जब्ती होने की दशा में आयोग की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव अधिसूचना निरस्त की गई है।

संहिता उपबंधों के उल्लंघन के मामले में जाली खबरों, न्यूज, पेड न्यूज और मीडिया विज्ञापनों पर दंडात्मक कार्रवाई के निमित्त निगरानी रखी जाती है। व्यय प्रेक्षक प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च पर कड़ी नजर रखते हैं और व्यय की प्रमुख मदों की निगरानी के लिए वीडियो निगरानी टीमों के कामकाज की देखरेख करते हैं। आयकर विभाग आयोग के साथ गहन समन्वय करके निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में हवाई अड्डों, होटलों, वित्तीय दलालों आदि के माध्यम से नकदी की आवाजाही पर सतर्कता रखता है।

मतदाता शिक्षा

ऐसा नहीं है कि मतदाता सूचना और जागरूकता का कार्यक्रम पहले मौजूद नहीं था, मतदाताओं को सूचना देने, प्रेरित करने और सुविधा देने की परिपाटी वर्ष 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सरायकेला में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। बिहार में 2010 के राज्य विधानसभा चुनावों में मतदाता शिक्षा को पूरी तरह से एक नया अभिविन्यास दिया गया और 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)' के रूप में लांच किया गया। यह कार्यक्रम आयोग के प्रतिष्ठित प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम में पूर्ण विकसित हो गया है जो देश में 10.36 लाख मतदान केंद्रों पर फैले 91 करोड़ से अधिक मतदाताओं को जोड़ने का काम करता है। स्वीप दरअसल एक आउटरीच उन्मुख कार्यक्रम है जो 2010 से शुरू होकर देश में लोकतांत्रिक और चुनावी भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यकलाप के रूप में विकसित हुआ है।

यह कार्यक्रम वर्ष 2009 से 2016 तक तीन चरणों से गुजरा है। इस कार्यक्रम के पहले चरण (वर्ष 2009-2013) के तहत, मतदाता पंजीकरण और वास्तविक मतदाता प्रतिशत में अंतरों को गंभीर चिंता के विषयों के रूप में देखा गया और इन चिंताओं को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2010 में भारत निर्वाचन आयोग के हीरक जयंती वर्ष के लिए चुना गया थीम 'मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी' था।

दूसरा चरण (वर्ष 2013-2014) नागरिक शिक्षा के व्यापक ढांचे के तहत संसूचित, समावेशी, भय मुक्त और प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए जागरूकता पर केंद्रित था। इसमें आउटरीच के प्रभाव को अधिक से अधिक करने के लिए साझेदारियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन ढांचे को सांस्थानिक रूप लेते हुए देखा गया।

तीसरे चरण (वर्ष 2016-2020) में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी के लिए समावेशी मतदाता शिक्षा की अखिल भारतीय कवरेज के लिए एक दीर्घकालिक

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 38 20-03-2020 14:22:52

स्थायी तंत्र बनाने का लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है। इस चरण की एक बड़ी पहल पाठ्यक्रमपरक, सह-पाठयक्रमपरक और पाठ्येतर कार्यकलापों के माध्यम से 'चुनावी साक्षरता को मुख्यधारा' में लाने से संबंधित है।

निर्वाचक नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण

वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों के पहले, निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया था और राष्ट्रव्यापी आधार पर फोटो निर्वाचक नामावलियां तैयार की गईं थी। प्रत्येक मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) के साथ-साथ सहभागिता की सुविधा देने के लिए फोटो मतदाता पर्चियां दी जाती हैं।

नोटा

लोकतंत्र में निर्वाचक भागीदारी में विकल्प की स्वतंत्रता निहित होती है। अपने विकल्प का प्रयोग करते समय, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, किसी को भी मत न देने की पद्धति जीवंत लोकतंत्र का एक बहुत ही मौलिक और आवश्यक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, ईवीएम में एक नोटा बटन जोड़ा गया है, जिससे निर्वाचकों को चयन का विकल्प प्रदान किया गया है।

***'देश का महात्यौहार'* 17वीं लोकसभा का आम चुनाव 2019**

आम चुनाव 2019 ने भारतीय चुनाव प्रणाली की ताकत के साथ-साथ उस तालमेल को प्रदर्शित किया, जो पिछले 7 दशकों में आयोग द्वारा की गई पहल से उभर कर सामने आया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च, 2019 से 27 मई, 2019 तक चार राज्यों के प्रांतीय विधानमंडलों के साथ 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव करवाए। *'देश का महात्यौहार'* के रूप में निरूपित यह चुनाव, लोकतंत्र की दुनिया में सबसे बड़ा, एक अनूठा आयोजन था जिसने देश में 10.36 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर फैले लगभग 91 करोड़ निर्वाचकों को जोड़ा।

आम चुनाव, 2019 चुनावी भागीदारी में भारी बढ़ोतरी से अभिलक्षित हुआ है। उदाहरण के लिए, 7.6 करोड़ अतिरिक्त निर्वाचकों को पंजीकृत किया गया, लगभग 1 लाख नए मतदान केंद्र जोड़े गए और 61.3 करोड़ मतदाताओं ने मत डाले जबकि आम चुनाव 2014 में देश के 9.28 लाख मतदान केंद्रों पर 55.38 करोड़ मतदाताओं ने अपना मत डाला था। इस तरह, आम चुनाव, वर्ष 2019 में 66.44% मतदान हुआ और लगभग 5.9 करोड़ मतदाताओं की संख्या बढ़ी।

उपर्युक्त संवर्धित भागीदारी अपने चुनावों को मतदाता अनुकूल और सुगम बनाने; सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप), नवाचार और चुनाव प्रक्रिया एवं प्रचालन प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण के जरिए मतदाताओं की सभी श्रेणियों को शामिल करने, हेतु संकेंद्रित पहल के माध्यम से हासिल की गई।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 39 20-03-2020 14:22:57

70 वर्ष

भारतीय निर्वाचनों की विकास-यात्रा

1950 — 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना

1951-52 — पहले आम चुनाव का संचालन

1960 का दशक — प्रतीक आदेश लागू हुआ

1982 — ईवीएम के उपयोग की शुरुआत

1996 — प्रचार मुक्त (साइलेंस) अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक प्रचार पर प्रतिबंध

2000 — ईवीएम का सर्वव्यापी उपयोग

2003 — उम्मीदवारों द्वारा शपथ-पत्र दाखिल करना

2010 — स्वीप का शुभारंभ

2011 — प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन

2013 — 'नोटा' विकल्प की शुरुआत

2015 — राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) का शुभारंभ

2017 — वीवीपीएटी का सर्वव्यापी उपयोग, सेवा निर्वाचकों के लिए ईटीपीबीएस की शुरुआत

2018 — निर्वाचक साक्षरता क्लब का शुभारंभ, अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार की शुरुआत

2019 — झारखंड विधान सभा निर्वाचनों में दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र की शुरुआत

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 40 20-03-2020 14:22:57

स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान प्रतिनिधिक सरकार की खोज

'प्रतिनिधिक सरकार' के लिए निरंतर आधार पर लड़ी गई संवैधानिक लड़ाई से भारत में चुनावों का विकास हुआ। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में पारित संकल्प में निर्वाचित सदस्यों के यथेष्ट अनुपात को स्वीकृत करने की मांग की गई। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में 'स्व-शासन संस्थान के क्रमिक विकास' की परिकल्पना की गई।'

▲ मुंबई, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में प्रतिनिधि-काउंसिलों में निर्वाचन सिद्धांतों को लागू करने का आह्वान करते हुए एक संकल्प किया गया।

▲ भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत वर्ष 1937 में आयोजित विधानसभा चुनावों के विजेता।

तथ्य

चूंकि बड़ी संख्या में मतदाता निरक्षर थे, इसलिए चुनाव चिह्न जैसे कि साइकिल, घोड़ा, पेड़, हाथ और झंडा आदि शुरू किए गए थे और मतपत्र डालने के लिए विभिन्न रंगों के बक्सों के साथ एक प्रयोग किया गया था।

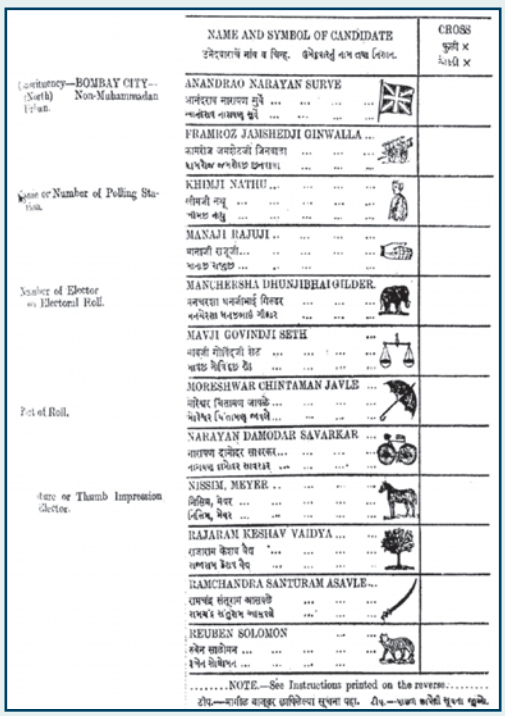

Constituency—BOMBAY CITY—(North) Non-Muhammadan Urban.

Name or Number of Polling Station.

Number of Elector on Electoral Roll.

Part of Roll.

Signature or Thumb Impression of Elector.

NAME AND SYMBOL OF CANDIDATE	CROSS ×
ANANDRAO NARAYAN SURVE	
FRAMROZ JAMSHEDJI GINWALLA	
KHIMJI NATHU	
MANAJI RAJUJI	
MANCHERSHA DHUNJIBHAI GILDER	
MAVJI GOVINDJI SETH	
MORESHWAR CHINTAMAN JAVLE	
NARAYAN DAMODAR SAVARKAR	
NISSIM, MEYER	
RAJARAM KESHAV VAIDYA	
RAMCHANDRA SANTURAM ASAVLE	
REUBEN SOLOMON	

NOTE.—See Instructions printed on the reverse.

▲ 1920 के दशक में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में प्रयुक्त एक विशिष्ट मतपत्र - मतदाता को अपनी पसंद के सामने एक क्रॉस मार्क लगाना पड़ता था।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 41 20-03-2020 14:23:01

आजादी के उपरांत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की घोषणा

लोक सभा के प्रथम आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 के दौरान आयोजित किए गए थे। दोनों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संचालित किए गए थे। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 ने अर्हक तारीख को 21 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार दिया। निर्वाचक-वर्ग में 173.2 मिलियन मतदाता थे।

◄ दिल्ली, में वर्ष 1952 में मतदान केंद्र पर एक मतदाता।

तथ्य

विधान सभा चुनावों के साथ समकालिक रूप से आयोजित प्रथम आम चुनावों में मतपत्र डालने के लिए 24,73,850 धातु के बक्सों और 1,11,095 लकड़ी के बक्सों का उपयोग किया गया था। चूंकि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बॉक्स निर्दिष्ट किया गया था, इसलिए ऐसा किया गया था।

किंवदंती

मद्रास, मैसूर और उड़ीसा से रिपोर्टें मिलीं कि कुछ मतदाताओं ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से उपकृत करने की कोशिश की थी और 225 मतदाताओं ने अपने मतपत्रों को टुकड़ों में फाड़कर और प्रत्येक उम्मीदवारों की मतपेटी में एक-एक टुकड़ा डालकर ऐसा करने की कोशिश की।

▼ प्रथम आम चुनाव 1952 में एक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी की पहचान करता हुआ - प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी निर्दिष्ट की गई थी।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 42 20-03-2020 14:23:02

तथ्य

वर्ष 1951-52 में अधिकांश भारतीयों के लिए चुनाव एक नई परिघटना थी। उन्हें शिक्षित करने में मीडिया ने बहुत अधिक सहायता की। दिलचस्प बात यह है कि 1951-52 में पहले आम चुनाव के दौरान 397 समाचार-पत्र शुरू किए गए थे और इसके समाप्त होते ही उनमें से अधिकांश का प्रकाशन बंद हो गया था।

▲ जब मतों की गणना में कई-कई दिन लगते थे।

◀ मतगणना से पहले मतपत्रों का मिलाया जाना, दिल्ली 1998

▼ 24x7 समाचार चैनल शुरू होने से पहले - दिल्ली में वर्ष 1971 में लाल किले के बाहर चुनाव परिणामों का प्रदर्शन।

◀ दिव्यांगजनों को समर्थ बनाना: सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 43 20-03-2020 14:23:12

मतपत्रों से लेकर ईवीएम-वीवीपीएटी तक

ईवीएम का एक सामान्य डिजाइन विकसित किया गया था जिसका वर्ष 1982-83 के दौरान नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों में और दिल्ली में महानगर परिषद चुनावों में सीमित संख्या में उपयोग किया गया था। वीवीपीएटी या मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल, ईवीएम पर मतदान करने वाले मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। इसका पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के तुएनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में उपयोग किया गया था।

◄ लोकतंत्र का जश्न: एक नई-नवेली दुल्हन अपना मत डालते हुए, राजस्थान

▼ लोकतंत्र की सेवा में: मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में एक वरिष्ठ नागरिक की सहायता करते हुए।

◄ मतपत्र युग के दौरान मतगणना प्रक्रिया, आंध्र प्रदेश

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 44 20-03-2020 14:23:21

तथ्य

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) नए मतपत्र हैं।

◄ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंतिम जीवित आदिवासी जनजातियों में से एक, शोम्पेन जनजाति ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान पहली बार भाग लिया था। ईवीएम किस तरह दिखती है, इस उत्सुकता ने उन्हें मतदान बूथ पर आने और मत देने के लिए प्रेरित किया!

▲ मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड में 51-नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में उपयोग किया गया था। यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाता है कि उनका मत उनकी पसंद के उम्मीदवार को ही गया है।

▼ आयोग ने उच्चतम न्यायालय के 27 सितंबर, 2013 के आदेशों के अनुसार ईवीएम और मतपत्रों पर 'इनमें से कोई नहीं (नोटा)' विकल्प शुरू किया। इसने मतदाताओं को अपना मत डालने का विकल्प दिया, चाहे वे किसी भी उम्मीदवार को पसंद करें या न करें।

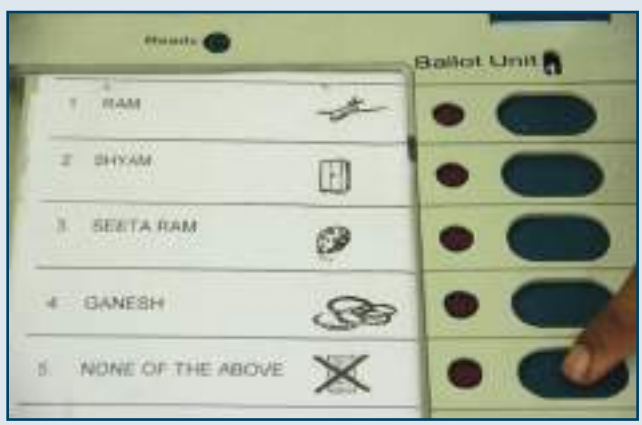

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 45 20-03-2020 14:23:29

ईवीएम-वीवीपीएटी की यात्रा

ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) नए मतपत्र हैं। उनके उपयोग ने चुनाव सामग्री का परिमाण और लागत कम कर दी है, जनशक्ति की आवश्यकता कम कर दी है, अमान्य मतदान को समाप्त कर दिया है और मतगणना प्रक्रिया में तेजी ला दी है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के साथ किया गया है।

▲ आंध्र प्रदेश, 2014

चाहे उन्हें ऊंचे-ऊंचे पर्वत पार करने पड़े हों या गहरी नदियों से गुजरना पड़ा हो, हमारे निर्वाचन पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई भी मतदाता न छूटे।

▼ जम्मू और कश्मीर, 2019

▼ असम, 2014

▼ अरुणाचल प्रदेश, 2019

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 46 20-03-2020 14:23:43

एपिक की यात्रा

निर्वाचक नामावली में सूचीबद्ध मतदाताओं के रूप में छद्म प्रतिरूपण ऐसे खतरे थे जिनकी काफी पहले पहचान कर ली गई थी। इसका उपाय अति-संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता के लिए फोटो पहचान कार्ड या एपिक जारी करने में निहित है।

राजस्थान ►

◄ मेघालय

▲ कर्नाटक

▲ सिक्किम

हिमाचल प्रदेश ►

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 47 20-03-2020 14:23:57

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

भारतीय संघ के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदों, यथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संचालित किए जाते हैं। दोनों चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

◄ भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण समारोह

तथ्य

राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए किसी व्यक्ति को प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा नामित किया जाना चाहिए और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

▲ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए।

▲ भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह 2017

Source: The Asian Age

◄ वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 48 20-03-2020 14:24:00

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों पर लागू नियमों का एक सेट है। इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रचार, मतदान और मतगणना को नियमबद्ध रखना और शांति भंग होने से रोकना है। यह निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से परिणामों की आधिकारिक घोषणा होने तक लागू रहती है।

तथ्य

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 में एक नई धारा 126क अंतर्विष्ट करके मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाई गई।

▲ निर्वाचन अवधि के दौरान बार पर प्रतिबंध, शिमला, हिमाचल प्रदेश 2014

▲ नकदी की जब्ती: निर्वाचन के दौरान सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू करना

▲ दीवारों से राजनैतिक चित्रणों को हटाना, चैन्नई 2014

किंवदंती

2008 के निर्वाचनों के दौरान मेघालय में 57-रंगासाकोना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से खड़े 'एडोल्फ लु हिटलर मारक' नाम के एक अभ्यर्थी को उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम जॉन एफ कैनेडी था द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी कि एडॉल्फ ला हिटलर को जॉन एफ कैनेडी ने गिरफ्तार किया। हिटलर उस निर्वाचन में विजयी रहे।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 49 20-03-2020 14:24:05

दुनिया के साथ साझा करना

भारत 2019 से 2021 की अवधि के लिए ए-वेब का अध्यक्ष है। भारत निर्वाचन आयोग अध्ययन और प्रेक्षण मिशन, विदेशी प्रदर्शनियों और सम्मेलनों और एक्सचेंज दौरों आदि में भाग लेकर दुनिया भर में अपनी पहुँच बना चुका है। विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वायस.नेट का संचालन आयोग द्वारा किया जाता है। यह अनेक सहयोगियों एवं निर्वाचन प्रबंध निकायों (ईएमबी) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 32 सक्रिय सदस्यों के साथ मतदाता शिक्षा पर एक वैश्विक ज्ञान नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।

▲ भारत ने 2019-21 कार्यकाल के लिए ए-वेब के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला

तथ्य

दक्षिण एशियाई निर्वाचन प्रबंधन निकाय फोरम (फेम्बोसा) सार्क निर्वाचन प्रबंध निकायों के बीच सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है जिसे औपचारिक रूप से नई दिल्ली में 2012 में शुरू किया गया था जहां फेम्बोसा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग, फेम्बोसा का संस्थापक सदस्य है और इसका पहला अध्यक्ष भी।

▲ फेम्बोसा की वार्षिक बैठक का सत्र

◄ आईआईआईडीईएम-आयोग का उन्नत प्रशिक्षण और संसाधन स्कंध

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 50 20-03-2020 14:24:14

VoICE.NET

◄▲
वायस.नेट पर मतदाता सूचना, संचार और शिक्षा पर त्रैमासिक पत्रिका को ए-वेब की पत्रिका के रूप में घोषित किया गया है

▲ स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचनों को बढ़ावा देने के लिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकार संघ (एएईए) की स्थापना की गई थी

▲ आयोग ने 20 निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ▼

▼ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बेंगलुरु

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 51 20-03-2020 14:24:21

लोक सभा निर्वाचन

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय निर्वाचन का आयोजन करता है। 2014 का निर्वाचक आकार 834 मिलियन से थोड़ा अधिक था और 17वीं लोकसभा निर्वाचनों के लिए यह बढ़कर 910 मिलियन तक हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग पिछले छह दशकों में परिपक्व हुआ है और आगे बढ़ा है। एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। निर्वाचन मशीनरी की व्यापकता और इसके आयाम आश्चर्य और विस्मय से परिपूर्ण हैं!

तथ्य

लोकसभा निर्वाचन 2014 में मलकाजगिरी, आंध्र प्रदेश, वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें सबसे अधिक 31.08 लाख निर्वाचक थे। लोक सभा 2014 में केवल 49,922 मतदाताओं के साथ लक्षद्वीप सबसे कम निर्वाचकों वाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था।

2014

▲ स्याही का निशान लगाते हुए, उत्तर प्रदेश

▲ मतदाताओं की कतार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 2014

◀ पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी. एस. संपत, निर्वाचन आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा, और निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी लोकसभा 2014 के लिए नव निर्वाचित सदस्यों की सूची भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पेश करते हुए

▼ उत्सुकता के पल: महाराष्ट्र के पुणे में एक मतगणना केंद्र के बाहर निर्वाचन परिणामों के लिए बेसब्री से इंतजार करती जनता

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 52 20-03-2020 14:24:36

2019

◄ क्रैच की सुविधा उपलब्ध होने के कारण महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया, कर्नाटक, 2019

◄ कोई भी मतदाता न छूटे, उत्तराखंड

▲ कच्छ, गुजरात की महिला मतदाता

▲ सिक्किम में अपना मत डालते हुए एक शतवर्षीय मतदाता

तथ्य

लोकसभा निर्वाचन 2019 *देश का महात्यौहार* 0.1% के निम्नतम महिला-पुरूष अंतर के साथ 67.4% के अब तक के सबसे अधिक मतदाता टर्नआउट का साक्षी रहा ।

▼ ईवीएम-वीवीपीएटी प्रदर्शन, तेलंगाना

▼ भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान का सबसे बड़ा मानव लोगो

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 53 20-03-2020 14:24:56

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय निर्वाचनों का सफर (2)

भारत के दूसरे आम चुनावों की कहानी

एस डी शर्मा
सीनियर फेलो, भारत निर्वाचन आयोग

आजादी के बाद से भारतीय निर्वाचनों के सफर का उद्देश्य लोक सभा के सत्रह आम चुनाव, और इस दौरान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिन उभरते मुद्दों और चुनौतियों ने लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में सतत रूप से योगदान दिया है, उनके अनुरुप भारतीय निर्वाचन पद्धति के विकास को कवर करने के लिए आलेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से पाठकों के साथ इस गहन अनुभव को साझा करना है। पहले आम चुनाव का अनुभव (1951-52) 'महत्वपूर्ण है मत मेरा' के पिछले अंक में पाठकों के साथ साझा किया गया था। इस आलेख में मैंने पाठकों के साथ दूसरे आम चुनाव के अनुभवों को साझा करने की कोशिश की है।

गंभीर चुनौतियों के बावजूद पहले आम चुनावों का सफल संचालन नवोदित भारतीय गणराज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसने सामान्य रूप से राजनैतिक कार्यकर्ताओं के बीच संतुष्टि की भावना के साथ-साथ निर्वाचन आयोग और इसकी मशीनरी में विश्वसनीयता और भरोसा दोनों उत्पन्न किया। इस उपलब्धि को देश और विदेश में आदर्श रूप से परिकल्पित और कुशलता से कार्यान्वित आस्था के एक असाधारण कारनामें के रूप में सराहा गया।

1952 और 1957 के बीच की अवधि तत्कालीन पीईपीएसयू, त्रावणकोर-कोचीन और आंध्र की राज्य विधानसभाओं के तीन अन्य आम चुनावों के साथ-साथ कई उप निर्वाचनों के सफल संचालन की गवाह बनी। इसलिए, पूरे भरोसे के साथ यह उम्मीद की जा रही थी कि 1957 का दूसरा आम चुनाव भी सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा।

पहले आम चुनावों की तुलना में दूसरा आम चुनाव भी किसी रोमांच या अजूबे से कम नहीं था, जब अत्यंत आशावादी लोगों को भी यह संदेह था कि एक विशाल देश जिसने अभी-अभी स्वतंत्रता हासिल की है और जिसे अभी सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में व्यवस्थित होना है, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक निर्वाचनों के देशव्यापी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता है।

लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए दूसरे आम चुनावों को, तत्कालीन हिमांचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र और कांगड़ा जिले (तत्कालीन पंजाब का हिस्सा) को छोड़कर, जहां बर्फ से ढके इलाकों के कारण चुनाव करवाना लगभग असंभव था, मार्च 1957 तक, समय पर पूरा कर लिया गया। ऐसे स्थानों पर मतदान टालना पड़ा।

संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधारात्मक परिवर्तन

राज्यों के पुनर्गठन, 1956 से उत्पन्न चुनौतियाँ

पहले आम चुनाव के आयोजन का अनुभव यह भरोसा और उम्मीद लेकर आया कि 1957 के दूसरे आम चुनाव को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक आयोजित करने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहले आम चुनाव और अनुवर्ती राज्य विधानमंडलों के लिए आम चुनाव से प्राप्त अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्ती वर्षों के दौरान निर्वाचन विधि और मशीनरी को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया गया था ताकि पहले आम चुनावों में पाई गई कमियों को दूर किया जा सके।

यद्यपि निर्वाचनों से कुछ समय पहले, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के कारण गंभीर अनिश्चितता उत्पन्न हुई जिसके कारण भारत के राजनैतिक मानचित्र का काफी हद तक पुनः आरेखन किया

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 54 20-03-2020 14:24:56

गया। यह संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या समय पर चुनाव कराने के लिए कानूनी दायित्वों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करना संभव होगा। विचारकों के प्रभावशाली वर्ग ने संवैधानिक और विधायी संशोधनों के माध्यम से चुनावों के स्थगन की बात कही। लेकिन निर्वाचन आयोग ऐसे किसी प्रस्ताव के विरोध में था क्योंकि स्थगन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत खराब दृष्टांत माना जाता था।

सरकार, परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से की गई कार्रवाई के साथ-साथ कार्यनीतिपरक संवैधानिक और विधायी संशोधनों और प्रशासनिक उपायों की एक श्रृंखला ने समय पर निर्वाचन होना सुनिश्चित किया। केंद्र और राज्यों की पूरी निर्वाचन मशीनरी इस चुनौती पर खरी उतरी और अन्यथा असंभव कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए।

यहां सभी परिवर्तनों को सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो सकता लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार रहे:

प्रचालनात्मक अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में संशोधन

प्रचालनात्मक अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में संशोधन किए गए। संविधान के अनुच्छेद 81 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक 7,50,000 जनसंख्या के लिए लोक सभा का एक सदस्य होगा। दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 81(1) (क) ने सदन के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 नियत की थी। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया था कि यह अंतर्विरोध गतिरोध उत्पन्न करेगा और परिसीमन में समस्याएं पैदा करेगा तथा जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचनो के संचालन में गंभीर परिणामी विवक्षाएं उत्पन्न होंगी। संविधान को 1953 में संशोधित किया गया था और यह प्रतिबंध कि एक सदस्य का निर्वाचन करने वाले संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या 750000 से अधिक नहीं होगी, हटा दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 170 में मूल रूप से यह प्रावधान किया गया था कि विधान सभा में एक सीट के लिए न्यूनतम जनसंख्या 75,000 से कम नहीं होगी। कुछ राज्यों में जहां प्रत्येक संसदीय सीट में 9 विधानसभा सीटें शामिल थीं, इस न्यूनतम जनसंख्या ने वास्तविक परिसीमन में गंभीर व्यावहारिक कठिनाईयाँ पैदा कीं और यहां तक कि इससे अक्सर लघुतम प्रशासनिक इकाई के विभाजन की भी आवश्यकता पड़ी। इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 170 को संशोधित करके हल किया गया जिसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया, जो उपरोक्त न्यूनतम जनसंख्या को निर्धारित करता था।

> पिछड़े जिले में एक अंधविश्वासी मतदाता मतपेटियों को प्रकट रूप से उपासना की वस्तु के रूप में देखता था और अपना मत डालने से पहले उसको मतपेटियों की पूजा करते हुए देखा गया

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को 1951-52 के साधारण निर्वाचनों के दौरान और बाद में प्राप्त अनुभव के आलोक में समय-समय पर बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। अधिनियम में हुए संशोधनों ने इस दोहराव को समाप्त कर दिया। तब से, विधानसभा निर्वाचन- क्षेत्र की नामावली को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए आधारभूत नामावली बनाया गया। इसके अलावा निर्वाचक नामावली को हरेक वर्ष नए सिरे से तैयार किया जाना आवश्यक नहीं था, किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली को केवल तभी तैयार किया जाना जरूरी होता था जब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाए, बाद के वर्षों में नामावली को केवल संशोधित किए जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने की 180 दिनों की न्यूनतम अर्हक अवधि को भी रजिस्ट्रेशन में बाधक मानते हुए हटा दिया गया। नामावली में नाम शामिल किए जाने की अर्हक तिथि को 1 अप्रैल से 1 जनवरी कर दिया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक मान्यता प्रदान की गई।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

संविधान में अपेक्षित है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दिए गए प्रतिनिधित्व को अंतिम प्रकाशित जनगणना आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक पंचवार्षिक जनगणना कार्य के बाद फिर से तैयार किया जाए। 1951 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े अंतिम रूप

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 55 20-03-2020 14:24:56

राज्यीय दलों और निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए प्रतीकों के डिज़ाइन

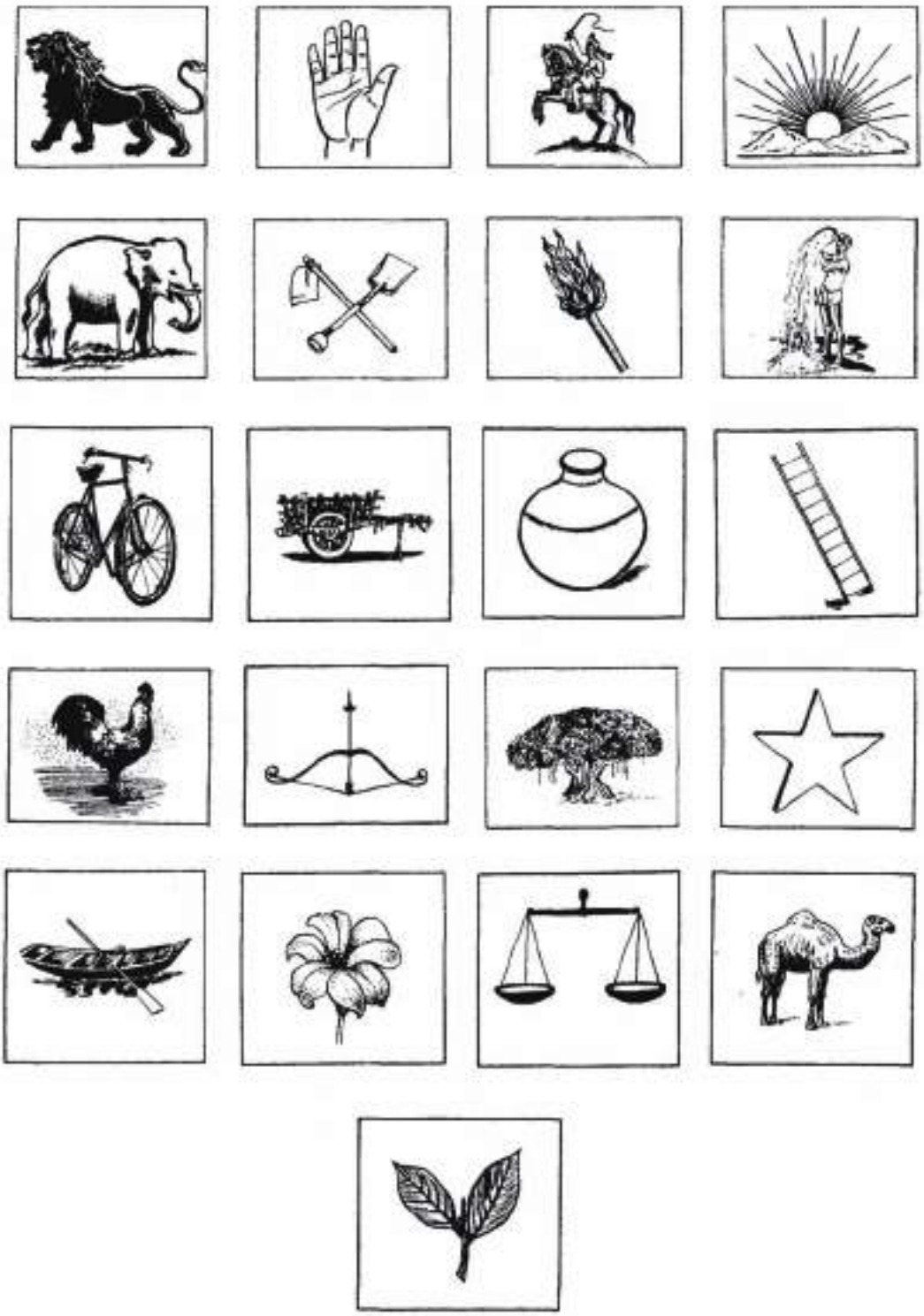

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 56 20-03-2020 14:24:58

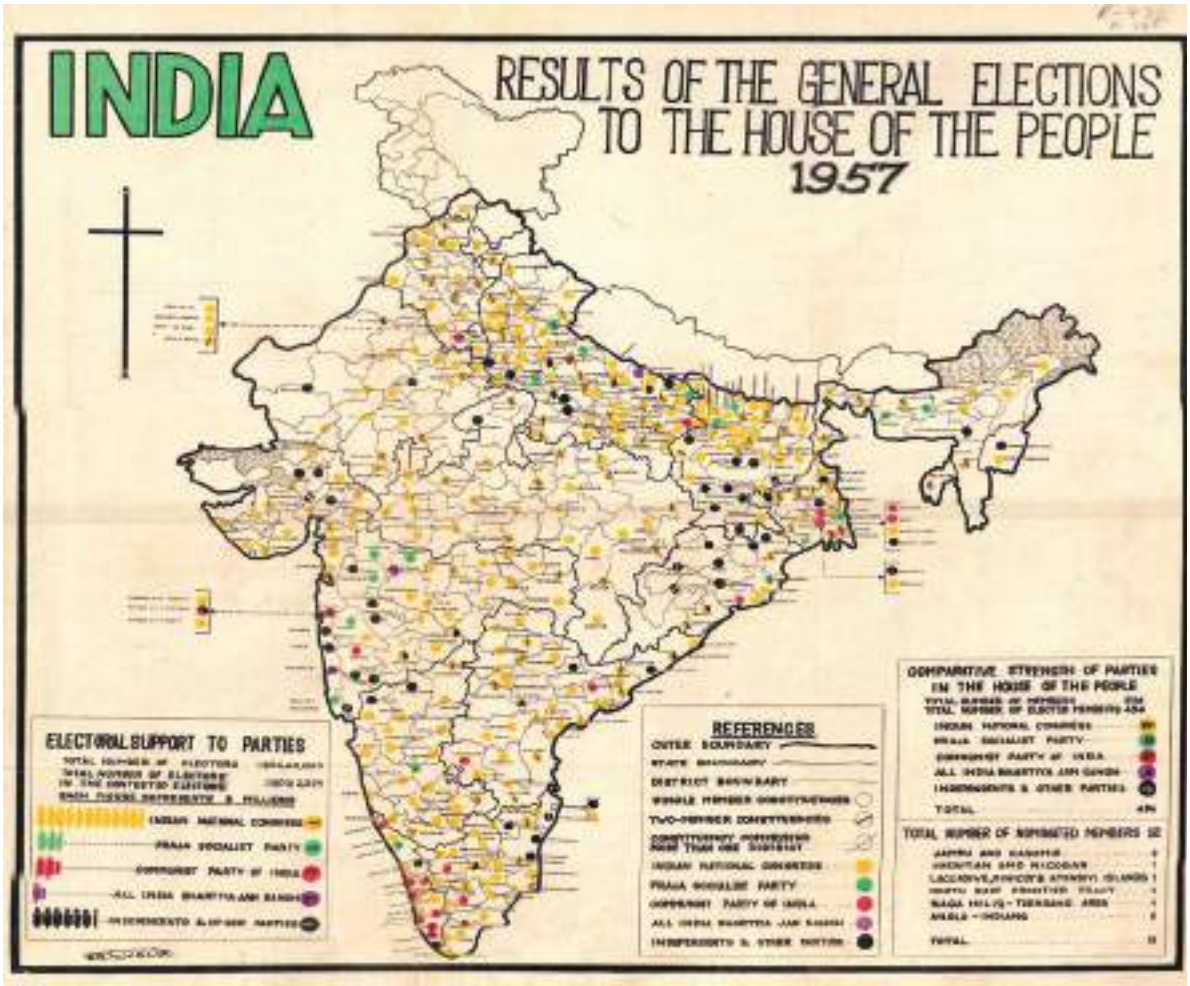

▲ लोक सभा के साधारण निर्वाचन 1957 के परिणाम

से 1953 में प्रकाशित हुए थे, इसलिए निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनर्संयोजन आवश्यक हो गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13 परिसीमन की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। वास्तव में इस प्रक्रिया ने काम नहीं किया क्योंकि राष्ट्रपतीय आदेश की उप-धारा ने आदेश को संसद के संशोधनों के अध्यधीन बना दिया और इस तरह कई आदेशों का संशोधन संसद द्वारा किया गया। तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि निर्वाचन-क्षेत्रों का भावी परिसीमन एक स्वतंत्र निकाय, जो संरचना में कमोबेश न्यायिक हो, द्वारा किया जाना चाहिए और इसके द्वारा तैयार परिसीमन की योजना को कानून के जरिए निर्णायक बनाया जाना चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 81) अधिनियमित किया गया। परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन कार्य करने में इस हद तक छूट दी गई कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय छोटी प्रशासनिक इकाईयों को विभाजित न करें।

> सिंदूर लगे फूलों की पंखुड़ियाँ कुछ मतपेटियों पर छोड़ दी गई थीं जो यह दर्शाता था कि कुछ मतदाताओं ने मतपेटियों को पूजा की वस्तु माना था।

इस कवायद के अंत में लोकसभा के लिए 409 निर्वाचन क्षेत्र: 82 द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में, एक त्रिसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और 326 एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और कुल मिलाकर लोकसभा में सभी 493 सीटों की परिकल्पना की गई।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 57 20-03-2020 14:25:21

सीटों और अभ्यर्थियों की कुल संख्या

लोकसभा की 494 सीटों के लिए कुल मिलाकर 1,594 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा। देश में कुल 3,102 राज्य विधान सभा सीटों के लिए कुल मिलाकर 10,794 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा।

मतपत्र:

पहले साधारण चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिसमें पीठासीन अधिकारी विधान सभा निर्वाचनों के मतपत्रों का संसदीय निर्वाचनों से विभेद करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं को उन्हे जारी करते समय दो प्रकारों के मतपत्रों की अदला-बदली हो गई। 1953 में, निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों के नए डिजाइन पेश किए जो पहले साधारण निर्वाचनों में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों से कुछ मायनों में अलग थे और जिन्हे अलग से पहचानना आसान था।

पहले साधारण निर्वाचन की तरह मतपत्रों की छपाई और आपूर्ति सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड द्वारा की गई थी। कागजों का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य को मतपत्रों की आपूर्ति, न्यूनतम रखी गई थी। मतदाताओं की संख्या में 11% से अधिक की वृद्धि होने के बावजूद दूसरे आम चुनावों के लिए आपूरित किए गए मतपत्रों की कुल संख्या पहले साधारण निर्वाचन के 60 करोड़ की तुलना में लगभग 57.94 करोड़ थी।

मतपत्र के चिह्नांकन के अनुदेश: केवल उप-निर्वाचन में

निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि वह लोकसभा या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के लिए मतपत्र को चिह्नित कर मतदान करने की विधि के बारे में निर्देश दे। मतदान की 'चिह्नांकन पद्धति' के तहत प्रयुक्त बैलेट पेपर, पहले प्रयुक्त बैलेट पेपर से काफी अलग था। नए प्रकार के बैलट पेपर में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम के साथ उसकी दलीय संबद्धता और उसके प्रतीक का चित्रमय निरूपण था। लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम, 1956 में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया था। हालांकि, राजनैतिक दलों के साथ बैठक में तुरंत परिवर्तन के प्रति गंभीर विरोध को देखते हुए आयोग ने दूसरे साधारण निर्वाचनों के बाद तक मतदान की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया। दूसरे साधारण निर्वाचनों के दौरान भी मतदान की 'प्रतीक' प्रणाली बिना किसी बदलाव के जारी रही। आयोग ने मतदान की चिह्नांकन (मार्किंग) प्रणाली को शुरू करने के अपने निर्णय का कार्यान्वयन करने के लिए एक योजना बनाई। मतदान की मार्किंग प्रणाली के तहत 28 उपनिर्वाचन पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके थे, एक सदस्यीय निर्वाचन के लिए 26 और द्विसदस्यीय निर्वाचन के लिए 2, जबकि एक सदस्य का निर्वाचन करने के लिए एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उपनिर्वाचन हुआ था।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 58 20-03-2020 14:25:24

पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या: दूसरे साधारण निर्वाचन के लिए पूरे देश में लगभग 92,141,597 महिला मतदाता निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत थे।

मतदाताओं की कुल संख्या: 193,646,069

डाले गए मत: 92,064,682

मतदान केंद्रों की संख्या: 2,20,478

संसदीय सीटों की संख्या: 494

विधानसभा सीटों की संख्या: 3,102

निर्वाचनों पर खर्च की गई कुल राशि: 1956-57 के साधारण निर्वाचनों के दौरान खर्च की गई राशि रु. 5,90,21,786 थी। प्रत्येक मतदाता के संबंध में प्रत्येक मतदाता पर समग्र व्यय, साधारण निर्वाचन (संसदीय और विधानसभा) 1951-52 में पहले साधारण निर्वाचन के दौरान हुए 4.8 आना खर्च की तुलना में 2.4 आना था।

मतदान कार्मिक की संख्या: 9,26,328

पुलिसकर्मियों को छोड़कर

अभ्यर्थियों की संख्या: लोक सभा: 1,594
राज्य विधानसभा -10,794

उपयोग की गई स्याही की मात्रा: दूसरे साधारण निर्वाचनों में अमिट स्याही की 3,16,707 शीशियों का उपयोग किया गया था, जबकि पहले साधारण निर्वाचनों में 3,89,816 शीशियों का उपयोग किया गया था।

मतदाता टर्नआउट: कुल 193,646,069 मतदाताओं में से 92,064,682 मतदाताओं ने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचनों में अपने वोट डाले। मतदान का प्रतिशत 47.54% था।

पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या: दूसरे आम चुनावों के लिए पूरे देश की निर्वाचक नामावलियों में लगभग 92,141,597 महिला मतदाता पंजीकृत थीं।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम: उद्देश्यपरक प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं की राजनैतिक शिक्षा, ब्रॉडशीट, पोस्टर और फ़ोल्डर, लघु फिल्में, सिनेमा स्लाइड, रेडियो प्रसारण।

अतिरिक्त सुरक्षा: बैलट बॉक्स में दूसरी पेपर सील का प्रयोग

मतदान शुरू होने से पहले, अभ्यर्थियों के मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर या मुहर एक पेपर सील पर लिए जाते हैं, जिसे बाद में मतपेटी में फिक्स किया जाता है। पेपर सील में किसी भी छेड़छाड़ के प्रति एक रक्षोपाय के रूप में जटिल डिजाइन दिया रहता है। हालाँकि, अभ्यर्थी और उनके मतगणना एजेंटों को अक्सर मतगणना के समय पेपर सीलों पर उनके कई पोलिंग एजेंटों में से प्रत्येक के हस्ताक्षर की पहचान या जाँच करना मुश्किल होता था। इसलिए, मतपेटी से छेड़छाड़ के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करने के संबंध में मतदान एजेंटों के हस्ताक्षरों के साथ पेपर सील्स का प्रावधान अंततः विफल हो जाता। एक सुरक्षा उपाय के रूप में आयोग ने मतपेटिकाओं में उपयोग के लिए अतिरिक्त पेपर सील का चलन शुरू किया। दोनों पेपर सील; नया हरा सील और पूर्ववर्ती गुलाबी, विशिष्ट सीरियल नंबरों और एक लेजेंड के साथ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया था। पीठासीन अधिकारियों को मतपेटियों में प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या का पूरी सावधानी से सही रिकॉर्ड रखना आवश्यक था। मतदान अभिकर्ताओं को इनकी क्रम संख्याओं को नोट करने की अनुमति दी गई ताकि मतगणना के समय जब बॉक्स खुले तो उनका मिलान किया जा सके। वास्तव में, मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर या मुहरों से युक्त गुलाबी मुहर द्वारा और भी जांच करने की व्यवस्था की गई थी।

इन रक्षोपायों ने हितधारकों का भरोसा बढ़ाया था। दूसरे साधारण निर्वाचनों के दौरान मतपेटियों से छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं मिली।

निर्वाचन की अवधि

मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तत्कालीन हिमाचल प्रदेश जहां यह 24 मई से 7 जून, 1957 और तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा जिले जहां यह जून-जुलाई के बीच आयोजित किया गया था, को छोड़कर सभी राज्यों में मतदान कार्यक्रम के अनुसार 25 फरवरी से 12 मार्च के बीच अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किया गया था। इस प्रकार एक उल्लेखनीय सुधार के रूप में, मतदान की कुल अवधि 1951-52 में आयोजित प्रथम आम चुनाव के 17 सप्ताह की तुलना में केवल एक पखवाड़े तक सीमित रह गई थी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा में भी काफी तेजी देखने को मिली। दो आम चुनावों के बीच के वर्षों में निर्वाचन मशीनरी में जनता का विश्वास भी काफी बढ़ा था और यह उन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था जिसने दूसरे आम चुनावों के सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 59 20-03-2020 14:25:24

निर्वाचक
देश में 1956 में नामांकित मतदाताओं (जम्मू और कश्मीर, अंडमान और मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर) की कुल संख्या 193,646,069 थी। उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर उस समय देश की अनुमानित कुल जनसंख्या 384,370,000 थी। इस प्रकार कुल जनसंख्या का लगभग 50.4% हिस्सा मतदाता सूची में दर्ज किया गया था। वयस्क जनसंख्या के अनुमानित लगभग 51 प्रतिशत होने के साथ {अर्थात, 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति) मतदाताओं का नामांकन लगभग संपूर्ण होने का दावा किया गया। तुलनात्मक रूप से 1951-52 के पहले आम चुनावों में मतदाताओं की संख्या 173,213,635 थी। इसने लगभग 96% वयस्क आबादी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 1957 में आयोजित दूसरे आम चुनावों में, लगभग 98.8% वयस्क आबादी को मतदाताओं के रूप में नामांकित किया गया था।

पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या
दूसरे आम चुनाव के लिए लगभग 92,141,597 महिला मतदाताओं को निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किया गया। नामावली में महिलाओं को शामिल करने में सामने आये कई मुद्दों में से एक यह था कि उस समय एक प्रथा के रूप में महिलाएं, सही नाम बताने के लिए तैयार नहीं थीं। राजनैतिक दलों और स्थानीय जेंडर आधारित सिविल सोसायटी संगठनों को यह विसंगति दूर करने में लगाया गया। परिणामस्वरूप, गलत नाम हटा दिए गए और सही नाम दर्ज किए गए। इससे महिला भागीदारी को बढ़ावा मिला। परिणामस्वरूप 94% महिला आबादी को मतदाता के रूप में नामांकित किया गया।

मतदान केन्द्र
मतदान करने के लिए देश में कुल मिलाकर 2,20,478 मतदान केंद्र बनाए गए थे।

मतदाता टर्नआउट
देश में कुल 19,36,46,069 पंजीकृत मतदाताओं में से 9,20,64,682 मतदाताओं ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में अपना मत डाला। मतदान का प्रतिशत 47.54 था।

तैनात कार्मिक
दूसरे आम चुनाव के लिए पुलिसकर्मियों को छोड़कर कुल 9,26,328 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था।

प्रयुक्त अमिट स्याही की मात्रा
पहले आम चुनावों में 3,89,816 शीशियों की तुलना में दूसरे साधारण निर्वाचन में अमिट स्याही की कुल 3,16,707 शीशियों का उपयोग किया गया था।

मतों की तत्परतापूर्वक गणना
आयोग ने महसूस किया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके, मतगणना उतनी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि देरी होने से शिकायतें और कदाचार के संदेह अर्थात बैलट बॉक्स से छेड़छाड़ के संदेह उत्पन्न होते हैं। मतगणना में इस तरह की देरी होने पर साधारण जनता और प्रेस द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाता था। पहले साधारण निर्वाचनों के अनुभवों को देखते हुए आयोग ने 1956 में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। राजनैतिक दल मामले में आयोग के विचारों से पूरी तरह सहमत थे। आयोग ने दूसरे साधारण निर्वाचनों के दौरान अपने निर्देश को दोहराया कि मतगणना का कार्य, जैसे ही ऐसा करना प्रत्यक्ष रूप से संभव हो, हर निर्वाचन क्षेत्र में जल्द से जल्द होना चाहिए,

मतदान केंद्र, स्पीति के बाहर मतदाताओं की कतार

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 60 20-03-2020 14:25:26

और यह कि इसे केवल इस कारण से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए कि पूरे राज्य में मतदान पूरा नहीं हुआ है।

निर्वाचन पर खर्च की गई कुल राशि

आम चुनाव 1956-57 के दौरान कुल मिलाकर 5,90,21,786 रुपये का खर्च आया। प्रति मतदाता प्रत्येक की लागत के संबंध में प्रत्येक मतदाता पर समग्र व्यय, आम चुनाव (संसदीय और विधानसभा) 1951-52 में पहले आम चुनाव के दौरान हुए 4.8 आना (आज का 30 पैसा) खर्च की तुलना में 2.4 आना (आज का 15 पैसा) था।

स्पीति नदी के पार रोपवे द्वारा पहुंचाई जा रही निर्वाचन सामग्री

पहले और दूसरे आम चुनावों के बीच यानी 1952-53 से 1956-57 तक निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संशोधन के लिए उपगत समग्र व्यय केवल लगभग 5,99,55,719 रुपये था।

व्यय विवरणियों की प्रणाली स्थापित और क्रियान्वित की गई थी।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

भारत जैसे नवोदित लोकतंत्र, जिसमें मतदाताओं के बीच साक्षरता का अनुपात अत्यंत कम है, जनता के बड़े वर्गों के बीच हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं, राज्य विधानमंडलों और संसद की संरचना, प्रकार्यों और शक्तियों के साथ-साथ, निर्वाचनों के अर्थ और उद्देश्य के अलावा इन विधानमंडलों को अपने वोट के माध्यम से अस्तित्व में लाने में मतदाता की भूमिका का ज्ञान न होना एक बड़ी समस्या है। जब तक कि साधारण नागरिक विधानमंडलों की भूमिका, प्रकृति और प्रकार्यों को नहीं समझेगा तब तक वह न तो इसके मूल्य और महत्व को समझेगा और न ही वह इसमें शामिल मुद्दों पर आवश्यक नैतिक विचार-विमर्श किए जाने और इसकी सुस्पष्ट समझ के साथ इसका उपयोग कर सकता है।

इसलिए, यह महसूस किया गया कि गैर-पक्षपाती मतदाता शिक्षा देना अनिवार्य है। तदनुसार, आयोग ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि दूसरे आम चुनावों के संबंध में इन मामलों में जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के प्रचार कार्य की योजना एवं निष्पादन आयोग के निर्देशन में किए जाने चाहिए। सरकार ने सहमति व्यक्त की और तदनुसार निर्वाचन और इसकी प्रक्रियाओं पर निम्नलिखित साधनों के माध्यम से सभी प्रकार के गैर-पक्षपाती प्रचार किए गए:

- उद्देश्यपरक प्रचार के माध्यम से निर्वाचकों की राजनैतिक शिक्षा।
- ब्रॉडशीट, पोस्टर और फ़ोल्डर
- लघु फ़िल्में
- सिनेमा स्लाइड
- रेडियो प्रसारण

उपसंहार

मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि इस लेख में इस विशाल कार्य के प्रत्येक पहलू का वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन यह प्रयास किया गया है कि भारतीय निर्वाचनों के सफर में एक कामयाब कहानी की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की जाएं। गंभीर मुद्दों और चुनौतियों के बावजूद, दूसरा आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के नेतृत्व और निभाई गई कार्यनीतिक भूमिका और विधायी ढांचे, कार्यविधियों और प्रक्रियाओं में हुए बदलावों और सबसे बढकर पूरी निर्वाचन मशीनरी के समर्पण ने इस अन्यथा असंभव कार्य को संभव बना दिया। यह निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और दरअसल देश में लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के प्रभाव को सशक्त करने के लिए उठाया गया और एक कदम था।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 61 20-03-2020 14:25:29

स्वीप ने एक दशक पूरा किया!

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप), भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम है जो आयोग के आधार वाक्य 'कोई भी मतदाता न छूटे' के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचकों को जागरूक करने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया पहल के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करने के लिए उनके पास पहुँचता है। इसने सुगम, समावेशी और नैतिक मतदान के लिए सभी श्रेणी के मतदाताओं को सशक्त करने के लिए सूचना, प्रेरणा, सुविधा की दृष्टि से गुणात्मक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। स्वीप, आज देश के 91 करोड़ मतदाताओं को आयोग के साथ जोड़ता है और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, जागरूक, समावेशी, सुगम, पारदर्शी और नैतिक निर्वाचनों के संचालन में आयोग का उल्लेखनीय रूप से सहयोग करता है।

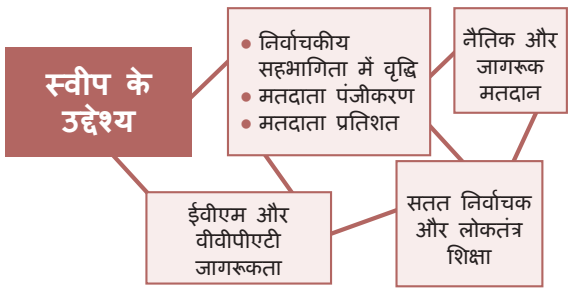

स्वीप का विकास

स्वीप I (2010-2013)
लोकसभा चुनाव 2009 में कम मतदाता प्रतिशत ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की ओर अग्रसर किया जिसे बाद में 2010 में स्वीप के रूप में बदल दिया गया था।

स्वीप II (2013-2014)
स्वीप के पहले चरण में पहचानी गई विभिन्न कमियों को पूरा करने के लिए दूसरे चरण में लक्षित दृष्टिकोण हेतु एक योजनाबद्ध कार्यनीति शामिल की गई थी।

स्वीप III (2015-2020)
लोकसभा निर्वाचन 2014 के बाद, एक कारगर योजना बनाई गई जिसमें पहल के माध्यम से निर्वाचन जानकारी को मुख्यधारा में शामिल करना, डिजिटल कनेक्ट को बढ़ाया जाना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शामिल था।

निम्नलिखित के लिए लक्षित गतिविधियां:

- ▶ महिलाएं
- ▶ युवा और भावी मतदाता
- ▶ दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक
- ▶ जनजातीय समूह
- ▶ थर्ड जेंडर
- ▶ सेवा मतदाता
- ▶ विदेशी मतदाता
- ▶ शहरी मतदाता
- ▶ उपेक्षित वर्ग

कार्यनीतिक गतिविधियां

- मतदान के लिए निमंत्रण, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाना,
- फील्ड वर्करों, मिड-मीडिया और मतदान शपथ के माध्यम से सीधे पहुंच बनाना
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी), मतदाता हेल्पलाइन एप, स्वीप पोर्टल और ऑडियो-वीडियो क्रिएटिव्स जैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग
- निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं पर रेडियो शो, संवादात्मक खेल, या कॉमिक स्ट्रिप्स जैसे शिक्षापरक मनोरंजन

कार्य योजना

आईएमएफ (सूचना-प्रेरणा-सुविधा) की तीन-स्तरीय कार्यनीति

प्रेरणा - मतदाताओं को चुनावी प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना

सूचना - अन्तरवैयक्तिक और जन संचार के माध्यम से निर्वाचकीय प्रक्रिया के क्या, कहाँ और कैसे का समाधान करना

सुविधा – निर्बाध और सुगम निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं देना

इन वर्षों में स्वीप का प्रभाव

2014 के आम चुनावों की पूर्व संध्या पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन थी। यह आंकड़ा पांच साल में 75 मिलियन और बढ़ गया और लोकसभा निर्वाचन 2019 से पहले पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 910 मिलियन हो गई।

–संचारी दासगुप्ता, कार्यकारी, ई सी आई

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 63 20-03-2020 14:25:37

सरियो-सरिया का चुनौतीभरा मार्ग

भारत के सबसे दुर्गम मतदान केंद्रों में से एक, सरियो-सरिया की कठिन यात्रा, मतदान अधिकारियों के दृढ़ संकल्प 'कोई भी मतदाता न छूटे' को दिखाती है।

संकीर्ण लकड़ी से बने पुल पर गहरी घाटियों को पार करना, बेंत से बनी रस्सियों की मदद से फिसलन भरे रास्तों पर चढ़ना, चंचल नदियों को पैदल पार करना और कम्पास के बिना घने जंगलों को पार करना- 8-बामेंग विधानसभा के 40-सियारो-सरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र में पहली बार जाने वाले मतदान कर्मियों के लिए यह जोखिमपूर्ण यात्रा एक कमांडो क्रैश कोर्स है।

हाल ही में 42 वर्षीय स्कूल शिक्षक, जोर्जो यांगफो, जो पीठासीन अधिकारी के रूप में सरिया गांव गए थे, बताते हैं कि 'सड़क खड़ी, फिसलन भरी थी और कहीं-कहीं पर तो सड़क ही नहीं थी। "मैं लगभग मौत के कगार पर था, जब एक ढलान पर चढ़ते समय मेरे हाथों की पकड़ बेंत की रस्सी पर ढीली पड़ गई। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह थी कि अगले ही पल मेरे हाथ में एक मजबूत पौधा आ गया, जिसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक थी, अन्यथा मैं लगभग 500 फीट नीचे कामेंग नदी में नीचे गिर जाता। "यांगफो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उस भयानक क्षण को सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि वापसी की यात्रा भी उसी दुर्गम मार्ग से पूरी करनी थी।

जवाहर नवोदय विद्यालय, सेप्पा में एक कला शिक्षक जितेन्द्र कुमार मीणा, जो एक माइक्रो आब्जर्वर के रूप में पोलिंग टीम का हिस्सा थे, ने अपनी अत्यधिक साहसिक यात्रा को याद किया। उन्होंने बताया कि, "रास्ता बहुत डरावना था और मैं 90 डिग्री पर खड़ी एक चोटी पर चढ़ते

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 64 20-03-2020 14:25:38

समय अपने पैरों के लिए मुश्किल से जगह बना पा रहा था।" चीकूयांगफो, जो प्रथम मतदान अधिकारी थे, उन्होंने भी उनकी बात पर हामी भरी और बताया कि मीणा ने अपनी बची हुई यात्रा एक मकड़ी की तरह धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक पूरी की। एक पोर्टर ने अपना संतुलन खो दिया और उसका मुंह एक पेड़ के तने से टकराने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। मतदान दल में एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक के अलावा पांच मतदान अधिकारी, छह सुरक्षाकर्मी और 14 पोर्टर्स शामिल थे।

ट्राइब्स और ट्रैवेल

समुद्र तल से औसत 4,175 फीट की ऊंचाई पर वाल्ला नदी की घाटी में स्थित सरिया, जिसे अक्सर पड़ोसी सियारो गाँव के साथ-साथ 'सरियो-सरिया' के नाम से जाना जाता है, पूर्वी कामेंग जिले के सबसे दुर्गमतम गाँवों में से एक माना जाता है। हिमाच्छादित हिमालय से घिरा यह सुरम्य सीमावर्ती गाँव, राज्य के सबसे अविकसित जनजातियों में से एक पुरोइक या सोलंग का घर है:, जिसका निर्वाह काफी हद तक प्रकृति पर निर्भर करता है। सदियों से, इस अल्पसंख्यक समुदाय ने नियशी जनजाति से संबंधित अपने पड़ोसियों के वर्चस्व को सहा है, विशेष रूप से चुनाव के समय, जब उनके पड़ोसी उनकी 'वफादारी' का सबूत मांगते हैं।

नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार, 8/40-सरियो मतदान केंद्र में सारियो, सरिया, लांगचो और डाओ के चार गांवों को मिलाकर 210 निर्वाचक (113 पुरुष और 97 महिलाएं) दर्ज हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन चार गांवों की कुल आबादी 236 है, जिसमें से सरिया गांव में 39 व्यक्ति हैं यानि चारों गांवों में सबसे कम।

यांगफो की मतदान टीम ने कामेंग नदी बोडो नियशी गांव के पूर्वी तट पर यात्रा शुरू की जो हाल ही में कच्ची पीएमजीवाईवाई सड़क से जुड़ा है और यह सूखे के समय वाहन से पहुंचने के लिए अंतिम बिंदु है। "हमारी टीम को निरंतर पैदल चलकर के गाँव तक पहुँचने में 14 घंटे लगे। हमने अपनी यात्रा सुबह 4 बजे लामरा नामक गाँव से शुरू की। रास्ते में वीयू गाँव के बाद पास ही के एक वीरान घर में हमने थोड़ा सा विश्राम किया और पानी और बिस्कुट खाए, और उसके बाद शाम 6 बजे हम सरिया पहुंचे। यांगफो ने बताया कि, "हम अपेक्षाकृत तेज गति से पहुंचे अन्यथा वहां पैदल चलकर पहुंचने में दो दिन लगते हैं।"

पहली बार ईवीएम का प्रयोग

प्राप्ति केंद्र पर अपनी टीम के पहुंचने पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण "पहली बार ईवीएम को देखने और छूने और इसका उपयोग करके अपने मत डालकर काफी खुश थे"। विगत में, उनके नियशी पड़ोसी पोलिंग एजेंट के रूप में बूथ पर आते थे और उन्हें मतदाता रजिस्टर पर अनिवार्य हस्ताक्षर करवाकर बैलेट बटनों को दबाने के उनके अधिकार का समर्पण करने के लिए मजबूर करते थे।

यांगफो ने कहा कि "हालांकि इस बार, मैंने नियमों के अनुसार सभी राजनैतिक दलों के नियशी एजेंटों को जानकारी दी और कहा कि प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर वे सहमत हुए"। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया और टीमें दो दिन बाद सुरक्षित रूप से प्राप्ति केंद्र पर पहुंच गई, यद्यपि टीमें बुरी तरह थक गई थीं लेकिन वे अत्यधिक संतुष्ट थीं कि उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह से पूरा किया।

- सीईओ कार्यालय (अरुणाचल प्रदेश)

> "रास्ता बहुत डरावना था और मैं 90 डिग्री पर खड़ी एक चोटी पर चढ़ते समय अपने पैरों के लिए मुश्किल से जगह बना पा रहा था।"

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 65 20-03-2020 14:25:38

निर्वाचन ड्यूटी सबसे ऊपर

अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचन अधिकारियों के सामने एक चुनौती आई, जब उन्हें कर्तव्य के प्रति समर्पण और परिवार के प्रति अपने दायित्व के बीच में से एक को चुनना था।

जिस दिन अरुणाचल प्रदेश में अपने संसदीय और विधान सभा प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 11 अप्रैल, 2019 को मतदान हुआ था, इसमें निर्वाचन अधिकारियों द्वारा असाधारण समर्पण देखने को मिला।

ऐसी ही वास्तविक जीवन की दो कहानियां थियम देवराज सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), एनआईसी, जो पूर्वी सियांग मुख्यालय पासीघाट में तैनात हैं, तथा एस.एस.चौधरी, चांगलांग जिले में जयरामपुर के एडीसी और नानपोंग विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की हैं।

देवराज के पिता की मृत्यु 5 अप्रैल को हो गयी, जबकि चौधरी की मां का देहांत 31 मार्च को हो गया था। हालाँकि, देवराज अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मणिपुर के बिष्णुपुर, थियम लीकाई वापस नहीं गए और चौधरी अपनी माँ के दाह संस्कार के लिए कोलकाता नहीं गए। क्योंकि वे कर्तव्य निर्वहन की अनदेखी नही कर सके।

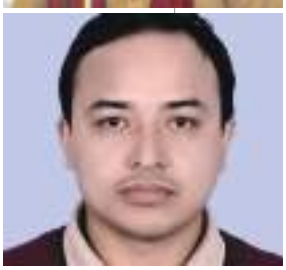

ऊपर से नीचे: ओबांग मिबांग, एस एस चौधरी और थियम देवराज सिंह

पूर्वी सियांग मुख्यालय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सिबो पासिंग ने कहा कि "मुझे देवराज जैसा सहकर्मी अधिकारी होने पर अत्यधिक गर्व है, जिसने संसदीय व विधानसभा के साथ साथ होने वाले निर्वाचनों के सफल संचालन के लिए अपने कंधों पर भारी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, वही रुकने का फैसला किया। डीआईओ वह अधिकारी होता है जो इरोनेट, सुविधा, सी-वीजिल, ईएमएस और निर्वाचन के कई और आईटी से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करता है और उसके बिना, हम उन महत्वपूर्ण क्षणों में जिला निर्वाचन कार्यालय के सुचारू कामकाज की कल्पना नहीं कर सकते थे।

पूर्व सियांग डीईओ, किनी सिंह के नेतृत्व में, सियांग गेस्टहाउस में देवराज के पिता थियम शमंगौबा सिंह, के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक शोक सभा हुई। अधिकतर अधिकारियों को अपने सहकर्मी के पिता के निधन के बारे में दो दिन बाद 7 अप्रैल को पता चला।

चांगलांग डीईओ आर.के. शर्मा ने बताया कि इस तरह की प्रतिबद्धता और बलिदान की भावना देखना दुर्लभ था। शर्मा ने बताया कि "अधिकारी (चौधरी) ने मुझे बताया था कि उसकी माँ अस्वस्थ थी, यह वह समय था, जब अधिकारी ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को निभाने का निर्णय लिया।"

इस दैनिक समाचार पत्र के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलिंग तायेंग ने कहा, "भारत निर्वाचन आयोग से लेकर संबंधित डीईओ अधिकारियों तक पूरा निर्वाचन परिवार इस अधिकारी के निस्वार्थ बलिदान और अपने कर्तव्य को दी गई प्राथमिकता की सराहना करता है।"

एक अन्य निर्वाचन अधिकारी, ओबांग मिबांग, जो ऊपरी सियांग जिले के नोडल अधिकारी सह डीएलएमटी (ईवीएम और स्वीप) हैं, ने अपने पिता को 22 मार्च, 2019 को खो दिया था, परंतु इसके बावजूद उन्होनें स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जिले में सभी जागरूकता गतिविधियों और ईवीएम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। ईवीएम-वीवीपीएटी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचे।

- सीईओ कार्यालय (अरुणाचल प्रदेश)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 66 20-03-2020 14:25:38

नारी शक्ति

जहां महिलाएं सभी क्षेत्रों में मोर्चा संभाल रहीं हैं, वहां यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि बिहार में सारण जिले की महिलाओं ने लोकसभा 2019 के निर्वाचनों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में भाग लिया।

अक्तूबर 2018 के अंतिम सप्ताह में, सुब्रत कुमार सेन, सारण, बिहार के जिला मजिस्ट्रेट, जिले के मेकर ब्लॉक के दौरे पर थे। फुलवरिया पंचायत में सरकारी कार्यों के निरीक्षण के दौरान, महादलित टोला की कुछ स्थानीय महिलाओं ने उनसे संपर्क किया था। उनके साथ बातचीत के दौरान, सेन ने महसूस किया कि महिलाएं समाज के उपेक्षित समूहों से संबंधित थीं; वे अनपढ़ थीं और मतदाता सूची में उनके नाम नहीं थे।

तत्पश्चात, जिलाधिकारी ने जीविका (ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए स्वयं-सेवी समूह) और आंगनवाड़ी केंद्र की मदद से फुलवरिया पंचायत में एक शिविर आयोजित करने की योजना बनाई। शिविर का नाम *'सशक्त शिविर'* रखा गया था, और उसके बारे में फुलवरिया पंचायत के आसपास के सभी गाँवों में खूब प्रचार किया गया।

शिविर के अंत तक, 123 महिला मतदाताओं ने अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया और 92 महिलाओं ने अपनी प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए आवेदन किया, जबकि लगभग 423 महिलाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम चेक किया। ये परिणाम सिर्फ इस एक शिविर के आयोजन से बहुत उत्साहजनक थे। इस शिविर के सफल समापन के बाद, जिले भर में और शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। परिणामस्वरूप, 29 अक्टूबर, 2018 तक, मतदाता कार्ड नामांकन के लिए महिला आवेदकों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक थी।

इस कदम से प्रेरित होकर चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 67 20-03-2020 14:25:39

आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वीप कार्यकलाप जैसे कि 'गोदभराई' और 'अन्नप्रसन्न'

इन आयोजनों ने निर्वाचन से ठीक पहले महिला मतदाताओं के बीच उत्सव और उत्साहजनक माहौल बनाया। इसने सामुदायिक स्तर पर रचनात्मक सहयोग को भी बढ़ावा दिया।

घर ले जाने के लिए राशन (टीएचआर)

आंगनवाड़ी कें द्रों में टीएचआर वितरण के दौरान, लाभार्थियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैग वितरित किए गए, जिन पर वोट करने के लिए जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए गए थे। ग्रामीण महिलाएं टीएचआर बैग प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साही थीं और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ, मतदान में भाग लेने का वचन दिया। यह गतिविधि सारण जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित की गई थी।

मॉडल मतदान केंद्र

मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉडल या मॉक पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे। चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, अत: जिले के सभी 20 ब्लॉक कार्यालयों में स्थैतिक मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए थे। खंड विकास अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने और महिला मतदाताओं के बीच निर्वाचन और मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए गए थे।

सुगमता एक्सप्रेस

सारण जिले में चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं को जोड़ने के लिए सुगमता एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इस वाहन ने ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रशिक्षण प्रदान किया और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र-वार प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी प्रदान की। इस वाहन में डॉक्टरों और थेरेपिस्ट की एक टीम के साथ-साथ ईवीएम और वीवीपैट के मास्टर ट्रेनरों को तैनात किया गया था। सुगमता एक्सप्रेस द्वारा संचालित जागरूकता गतिविधियों में ग्रामीण महिला मतदाताओं ने भी भाग लिया।

सारण जिले में दो लोक सभा क्षेत्र, 19-महाराजगंज और 20-सारण शामिल हैं। इन सभी उपायों से, सारण में पुरुषों की तुलना में काफी अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान के दिन, 53.84 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में, 59.57 प्रतिशत महिलाओं ने अपना वोट डाला और उत्साहपूर्वक अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन किया।

- सीईओ कार्यालय (बिहार)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 68 20-03-2020 14:25:39

विवाह के अवसर पर मतदान-एक विलक्षण उदाहरण

एक युवा दंपति ने विवाह के अवसर पर एक मिसाल कायम की, जिसमें लोकतंत्र का जश्न मनाया।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मनीश साहू का विवाह 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन शुरू होने के कुछ दिन पहले ही हुआ। वे 13, अप्रैल 2019 को तेजेश्वरी के साथ शादी के बंधन में बंधे और चूंकि उस समय देश में चुनावी समर चरम पर था, अतः इस दंपति ने अपने मेहमानों के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए अभिनव उपाय किए।

वधू तेजश्वरी ने अपने हाथों पर '100% मतदान' संदेश के साथ मेंहदी लगाई। उन्होंने अपनी शादी के लिए लगाए गए तम्बू के चारों ओर मतदान करने की अपील के बोर्ड लगवाए और *"आओ मिलकर मतदान करें"* और *"मेरा वोट, मेरा देश"* जैसे संदेश प्रदर्शित किए गए।

उनकी शादी में लगभग 700 अतिथि शामिल हुए थे, जो वर और वधू के निर्वाचन-संबंधी योजना से बहुत प्रभावित थे। वास्तव में, अपने घर से विदा होने से पहले, तेजश्वरी ने सुनिश्चित किया कि उसके परिवार के सभी सदस्य और मेहमान आम चुनाव में भाग लेने का संकल्प लें।

- सीईओ कार्यालय (छत्तीसगढ़)

100% वोटिंग के फेरे

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 69 20-03-2020 14:25:40

नागरिकों के टाउनहाल से #अपनी पहचान बनाने तक

निर्वाचक समुदाय, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच की दूरी को समाप्त करने से बहुत प्रभाव पड़ा।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक हिस्सा होने से हमें नागरिकों के रूप में बहुत से मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह हमारे कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी डालता है: अपने मताधिकार का प्रयोग करने का कर्तव्य और शक्ति। लोक सभा निर्वाचन 2019 में पहली बार मतदान करने वाले 130 मिलियन से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए फेसबुक इंडिया ने अखिल भारतीय अभियान-#अपनी पहचान बनाओ' को डिजाइन करने के लिए जोश टॉक्स के साथ सहयोग किया।

2018 में शुरू किए गए इस अभियान को, युवाओं को उनके मत की शक्ति के बारे में सफलतापूर्वक जागरूक बनाने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिजिटल अभियान, जिसे आठ स्थानीय भाषाओं में प्रचारित किया गया था, फेसबुक के व्यापक नेटवर्क में लाया गया और नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर लाने की उनकी शक्ति के बारे में जानकारी दी।

#अपनी पहचान बनाओ' अभियान के दूसरे चरण में, फेसबुक और जोश टॉक्स ने 'द सिटिज़न्स टाउनहॉल 'नामक एक अनूठी श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला का पहला संस्करण 21 जनवरी, 2019 को प्रकाशित किया गया, इसके बाद जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, गोवा, लखनऊ, पटना, शिलांग, आइजोल, गुवाहाटी और पंजाब के कुछ हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 'सिटिजन्स टाउनहॉल' ने हमारे विविध, प्रभावशाली समुदाय और परिवर्तनों को कार्यान्वित करने वाले नीति निर्माताओं के बीच अंतर को पाटने, विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने की अवधारणा पेश की। इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं से बातचीत करना, उन्हें जागरूक बनाना और शिक्षित करना था। टाउनहॉल के दौरान, इस अभियान में 15 राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों, 2,500 से अधिक युवा ऑफलाइन मतदाताओं, और तीन लाख से अधिक ऑनलाइन व्यक्तियों ने मिलकर काम किया।

आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया था। आशा कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। #अपनी पहचान बनाओ अभियान के दौरान, 200 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को नैतिक मतदान संबंधी प्रथाओं, झूठे समाचारों और गलत सूचनाओं को कम करने और चुनावी समग्रता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में संवेदीकृत किया गया। यह विशेष सत्र निर्वाचनों से ठीक पहले साधारण जनता तक पहुंचने में सफल रहा और, इसने एक सराहनीय छाप छोड़ी।

- सीईओ कार्यालय (दिल्ली)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 70 20-03-2020 14:25:40

नक्सल खतरे और दुर्गम भू-भाग होने के बावजूद, गढ़वा में अधिकतम मतदान हुआ

झारखंड में गढ़वा का उत्तर-पश्चिमी जिला, माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। इस घने जंगल में एक पर्वत शिखर, बुद्ध पहाड़ है, जो घने जंगल से घिरा हुआ है। यह इस क्षेत्र में नक्सलियों का मुख्य ठिकाना है। अजीबोगरीब भौगोलिक इलाके और क्षेत्र की पिछड़ी सामाजिक-राजनैतिक स्थिति के कारण, इस क्षेत्र में सुरक्षित निर्वाचन करवाना और उच्च मतदाता प्रतिशत सुनिश्चित करना एक चुनौती थी।

लोक सभा 2019 के निर्वाचनों से पहले, अत्यधिक कठिन क्षेत्रों, जिसमें सारुवत चोटी नामक एक अन्य पर्वत शिखर भी शामिल था, जिसमें मुख्य रूप से स्वीप कार्यकलापों पर जोर दिया गया था। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और खंड विकास अधिकारी ने इस पर्वत शिखर पर बूथ जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें गाँव तक पहुँचने के लिए कम से कम 100-120 मिनट की ट्रेकिंग करना अपेक्षित था। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्र के 3 किमी के भीतर एक हेलीपैड सहित सीआरपीएफ शिविर की स्थापना करके एक और प्रगति की। स्वीप कार्यकलाप और मतदान केंद्र को पुन: स्थानांतरित करने से कम से कम दूरी तय करने के परिणामस्वरूप सबसे अधिक मतदाता टर्नआउट - 72.87% - दर्ज किया गया। मतदाताओं को भी अत्यधिक सुरक्षा का अहसास हुआ था और वह स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके क्योंकि बूथ सीआरपीएफ शिविर में स्थित था।

स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित

(शीर्ष) मतदाता शपथ पेटिका; (ऊपर) सीआरपीएफ शिविर कुल्ही

> इस क्षेत्र में सुरक्षित निर्वाचन करवाना और उच्च मतदाता प्रतिशत सुनिश्चित करना एक चुनौती थी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 71 20-03-2020 14:25:41

(शीर्ष) सरुवत में चुनाव पाठशाला

किए गए। इस बूथ में चुनाव पाठशाला स्थापित की गई। चुनाव पाठशाला, चुनाव साक्षरता क्लब और कैंपस एंबेसडर की सहायता से अनेक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे हस्ताक्षर अभियान, मतदाता जागरूकता पदयात्रा और मानव श्रृंखला। एक महत्वपूर्ण पहल में इस बूथ में एक मतदाता शपथ पेटी उपलब्ध करवाई गई जिसमें मतदाताओं ने 'मतदाता शपथ पत्र' भरकर डाला और मतदान करने की शपथ ली। चुनाव पाठशाला में कलैक्टर की अपील उपलब्ध करवाई गई जिसके माध्यम से मतदाताओं को संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया और मतदान के दिन आकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया।

मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक और कार्यक्रम अर्थात मशाल (टार्च) मैराथन का आयोजन किया गया। यह अभियान ब्लॉक बरगढ़ से शुरू हुआ और पांच दिन तक विभिन्न बूथों के आस-पास के क्षेत्रों से घूमता रहा। इस मशाल ने मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी स्वीप कार्यकलापों के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्यक्रमों का प्रभाव इस बात से स्पष्ट हो रहा था कि इस मतदान केंद्र पर मतदाता टर्नआउट में 24% की वृद्धि हुई। वोटिंग प्रतिशत वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में 48% से वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 72.87% हो गया।

- सीईओ कार्यालय (झारखंड)

(नीचे) मतदाता मशाल मैराथन

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 72 20-03-2020 14:25:42

विवाह किया, अब वोट देंगे

इस नवविवाहित दंपति ने अपने विवाह के दिन वोट डाला और स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि वोट डालने के अवसर का सम्मान किया जाना चाहिए।

मतदान न करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए।

कर्नाटक के हुबली में एक दंपति ने इस कथन पर विधिवत ध्यान दिया, जो अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आए और अपनी शादी के समारोहों के समापन के तुरंत बाद अपना वोट डाला।

अमित प्रेमनाथसा कटवे और उनकी पत्नी ने 23 अप्रैल, 2019 में परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में अपनी शादी के फेरे लिए। यह वही दिन था जब शहर 17वें लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान कर रहा था।

उनका मतदान केंद्र उनके विवाह स्थल से 250 मीटर दूर था। विवाह समारोह के बाद, कटवे और उनकी नवविवाहिता पत्नी अपना वोट डालने के लिए एक विवाहित जोड़े के रूप में गए। इसके अलावा, उनके रिश्तेदार (लगभग 15 लोग), जो उसी मतदान केंद्र के ही मतदाता थे, उनके साथ वोट डालने गए। उनकी राय में, प्रत्येक मत का महत्व है और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिम्मेदारी के ऐसे सराहनीय प्रदर्शन से, उस मतदान केंद्र विशेष में 79.10 प्रतिशत मतदान हुआ था।

- सीईओ कार्यालय (कर्नाटक)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 73 20-03-2020 14:25:44

केरल के सतर्क मतदाता

सी-वीजिल एप ने कैसे अपनी महत्ता को साबित किया

लोक सभा निर्वाचन 2019 में केरल द्वारा प्रयुक्त सी-वीजिल एप ने यह प्रदर्शित किया कि निर्वाचन अवधि में प्रौद्योगिकी किस प्रकार एमसीसी उल्लंघनों के निवारण में तेजी ला सकती है और मदद कर सकती है।

केरल राज्य में 17वीं लोकसभा के निर्वाचन से पहले सी-वीजिल एप के माध्यम से 64,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिन पर कार्रवाई की गई जो देश में सबसे अधिक मामले हैं। सी-वीजिल (सतर्क नागरिक) नागरिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक एप है जो आदर्श आचार संहिता (एम सी सी) और व्यय से संबंधित उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह निर्वाचनों के दौरान एक फास्ट-ट्रैक शिकायत प्राप्ति और निवारण प्रणाली है।

इस प्रयोक्ता अनुकूल एंड्रॉइड एप का उपयोग, उप-निर्वाचन/ विधान सभा/संसदीय निर्वाचन के लिए अधिसूचना की तारीख से उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। इस एप की विशिष्टता यह है कि यह एप के भीतर से लाइव फोटो/वीडियो और आटो लोकशन लेने की सुविधा देता है ताकि उड़न दस्ते को समयबद्ध रूप से कार्रवाई करने के लिए डिजिटल साक्ष्य सुनिश्चित हो सके। इस एप का उपयोग करके नागरिक राजनैतिक कदाचार की घटना को देखते ही उसकी मिनटों में रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

केरल में की गई शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिबंध की अवधि के दौरान प्रचार अभियान चलाने, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर प्रचार करने, आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन करने, प्रलोभन देने, उपहार या कूपन वितरण, शराब और धन वितरण, पेड न्यूज, अनिवार्य घोषणा रहित पोस्टर, बिना अनुमति पोस्टर/ बैनर, संपत्ति का विरूपण, धार्मिक या सांप्रदायिक भाषण या संदेश, रैलियों के लिए लोगों को लाने-ले जाने हेतु परिवहन, मतदान के दिन मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए परिवहन, अनुमत्य समय के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग करना और बिना अनुमति के वाहन या काफिला संबंधी आदि शिकायतें शामिल थीं। रिपोर्ट किए गए अधिकतम मामले अनुमति के बिना पोस्टर/ बैनर (39,245 मामले) की श्रेणी के अंतर्गत थे उसके बाद संपत्ति का विरूपण (5699 मामले), और धार्मिक और सांप्रदायिक भाषण / संदेश (332 मामले) थे।

वास्तविक पाए गए 100% मामलों में उचित कार्रवाई की गई। निर्वाचन परिणाम आने से पहले इन मामलों को तार्किक निवारण तक ले जाया गया। संबंधित नागरिक द्वारा मामला दर्ज किए जाने पर उड़न दस्तों ने तुरंत कार्रवाई की। इसके अलावा, उड़न दस्तों ने लगभग 10.6 करोड़ रुपये नकद, लगभग एक करोड़ रुपए की शराब, 24.57 करोड़ रूपए के ड्रग्स और नशीले पदार्थ, 4 करोड़ रुपए की कीमती धातुएँ जब्त की, जो कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ रूपए की सामग्री थी। कन्नूर में सी-वीजिल के माध्यम से अधिकतम मामले (12,381 मामले) तथा इडुक्की में सबसे कम (308) मामलों की सूचना दी गई।

सी-वीजिल एप सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर और फील्ड यूनिट (उड़न दस्ते) / स्थैतिक निगरानी दलों के साथ जोड़ता है, जिससे एक त्वरित और सटीक रिपोर्टिंग, कार्रवाई और निगरानी प्रणाली तैयार होती है। बस हमें एक पिक्चर खींचनी होती है या दो मिनट का वीडियो, जिसमें एमसीसी का उल्लंघन किया गया है, बनाना होता है और शिकायत दर्ज करने से पहले इसका संक्षिप्त ब्यौरा देना होता है। शिकायत के साथ कैप्चर की गई जीआईएस सूचना स्वतः संबंधित जिला नियंत्रण कक्ष को भेज दी जाती है, जिससे उड़न दस्ते को कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर भेजा जा सकता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एप में इनबिल्ट फीचर्स भी हैं।

- सीईओ कार्यालय (केरल)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 74 20-03-2020 14:25:44

ट्रैक्टर ट्रॉली ब्रिज की कहानी

अपने मतदाता बूथ तक पहुंचने हेतु प्रतिबद्ध मतदाताओं को असाधारण परिस्थितियां भी रोक नहीं पाती।

महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन के दो दिन पहले, पुणे के बारामती तालुका में चक्रवाती वर्षा के कारण कमलेश्वर नामक गाँव में भारी जल जमाव की स्थिति बन गई। बाढ़ के कारण स्थिति और भी बुरी हो गई, क्योंकि यह गाँव नीरा नदी के तट पर स्थित है। मतदान केंद्र के क्षेत्र में चार फीट तक पानी भर गया था और इसमें प्रवेश करने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा।

इस समस्या से निपटने के लिए, स्थानीय प्रशासन ने लोगों की मदद से, एक अभिनव समाधान निकाला। उन्होंने एक पुल बनाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एक पंक्ति में एकसाथ मिलाकर खड़ा कर दिया। मतदान केंद्र से मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए 50 मीटर लंबा रास्ता तैयार करने के लिए छह ट्रॉलियों को जोड़ा गया था और तब इसके माध्यम से मतदाता अपना वोट डालने के लिए पहुँच सकते थे!

- सीईओ कार्यालय (महाराष्ट्र)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 75 20-03-2020 14:25:45

थर्मोकोल बोट पर सहज नौकायन

महाराष्ट्र के बीड में मतदाताओं ने वोट देने के लिए अपना दृढ़ संकल्प दिखाया, चाहे-कैसे भी!

मजलगाँव (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र), बीड जिला, महाराष्ट्र में भीम नायक टांडा के 14 मतदाताओं के लिए यह मुश्किल था, लगभग असंभव। यह आदिवासियों का एक सुदूर निवास स्थान है, जिन्हें मतदान केंद्र 131- जेडपी स्कूल खलवात-लिमगांव तक पहुंचना था। शायद भाग्य में यही लिखा था, मतदान के दिन इस क्षेत्र में 64 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। देव नदी पूरे शबाब पर थी जिससे मतदान केंद्र तक कोई पहुंच नहीं बन पा रही थी। असहाय मतदाता, जिनमें महिलाएं, पुरुष, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे, फंसे हुए थे।

उसी समय सुरेखा स्वामी, तहसीलदार, वाडवानी, आगे आईं। मंडल अधिकारी (बोर्ड अधिकारियों) की मदद से, मतदान केंद्र तक मतदाताओं को पहुँचने में उनकी मदद करने के लिए वे भोई समुदाय के लोगों से थर्मोकोल से बनी एक हाथ से चलने वाली नाव की व्यवस्था करने में कामयाब रही।

मतदाताओं के लिए यह एक असामान्य अनुभव था, लेकिन इससे भी अधिक इसने प्रशासन के साथ-साथ मतदाताओं के अतुलनीय समर्पण को प्रदर्शित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मतदाता न छूटे!

- सीईओ कार्यालय (महाराष्ट्र)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 76 20-03-2020 14:25:45

मेघालय में हरित निर्वाचन का आयोजन किया गया।

हरित निर्वाचन अभियान को सफल बनाने के लिए मेघालय में एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक खतरा है और आने वाले वर्षों के लिए हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना आवश्यक है। मेघालय राज्य ने भारत निर्वाचन अयोग (आयोग) के हरित निर्वाचन अभियान की एडवाइजरी का अक्षरश: पालन करने के उपाय किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), मेघालय के कार्यालय ने गैर-बायोडिग्रेडेबल और पॉलीथीन उत्पादों तथा पैराफर्नेलिया के स्थान पर स्वदेशी जैविक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाने के बारे में जनता के साथ चर्चा करके जागरूकता बढ़ाई। यह अभियान छह मोर्चों पर आधारित था:

जन जागरूकता

उप-विभागीय अधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 को मतदान स्वयंसेवकों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीईओ ने जनता, राजनैतिक दलों और सभी निर्वाचन हितधारकों से आग्रह किया कि हरित निर्वाचन के संबंध में ग्रीन प्रोटोकॉल का ध्यानपूर्वक पालन करके पर्यावरण को प्रमुखता प्रदान करें। उन्होंने दर्शकों, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल थे, को भी आयोग की पहल के बारे में बताया ताकि हरित मतदान केंद्रों में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और पर्यावरण अनुकूल प्रचार सामग्री का उपयोग करके निर्वाचन सुनिश्चित किए जा सकें।

सीईओ कार्यालय ने रेडियो मिर्ची के आरजे मैडबॉय निकी जे. जैसे विभिन्न ग्रीन एंबेसडर के साथ प्रभावी रूप से भागीदारी भी की, जिन्होंने प्लास्टिक के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई। आरजे, जो पहले से ही एक प्रसिद्ध ग्रीन चैंपियन थे, उन्होंने मनोरंजक तरीके से विभिन्न हरित प्रयासों का उल्लेख किया।

सीईओ, मेघालय सभा को संबोधित करते हुए

आरजे निकी जे (बाह मानिक) ग्रीन प्रोटोकॉल पर बोलते हुए

एसडीओ (सिवी) हरित मतदान के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 77 20-03-2020 14:25:46

हरित निर्वाचन और सुगम निर्वाचन पर सत्र का संचालन करते हुए इलेक्शन आइकॉन किट शांगप्लियांग

गायक-गीतकार लवली खरियाम और कार्मो नरोन्हा सुगम निर्वाचन पर बोलते हुए

(बाएं) टाइम्स ऑफ इंडिया कवरेज (दाएं) शेला उप-निर्वाचन: प्रथम हरित निर्वाचन की रंग-बिरंगी झलकियां

निर्वाचन आइकन किट शांगप्लियांग भी इस आयोजन का एक हिस्सा थे और उन्होने युवा भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। दोनों ने एक-दूसरे से और सत्र में मौजूद लोगों के साथ बातचीत की और गैर-जिम्मेदाराना ढंग से प्लास्टिक उपयोग करने के खतरों से सभी को प्रभावी ढंग से अवगत कराया। उन्होंने सभा को हरित निर्वाचन के माध्यम से एक मिसाल कायम करने का आग्रह किया।

हरित निर्वाचन लोगो

स्थानीय बारीकियों के आधार पर हरित निर्वाचन अभियान के निर्माण के लिए एक लोगो की संकल्पना की गई थी। प्रकृति का सम्मान करने तथा इसके साथ मिलकर रहने के प्रतीक के रूप में इसमें प्रतिष्ठित "सजीव जड़ों से बने पुल" को शामिल किया गया था। हरित निर्वाचनों के महत्व को संप्रेषित करने के लिए पूरे 26-शेला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस लोगो का उपयोग किया गया था।

ग्रीन संदेश

सार्वजनिक संदेशों ने हरित निर्वाचन के अभियान को अपनाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया, ताकि प्रत्येक नागरिक प्रकृति का सम्मान करते हुए निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक सार्थक भूमिका निभा सके। हर मतदाता को याद दिलाया गया कि प्रत्येक मतदाता का मत उसके गाँव, परिवार और पूरे समुदाय के लिए 'परिवर्तन' ला सकता है।

बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग

सीईओ और टीम ने सुनिश्चित किया कि सभी निर्वाचन स्टेकहोल्डर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करें। नमूनों को लकड़ी, कपड़े और बांस से बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित विचार हर स्तर पर दिखाई दें। ईवीएम-वीवीपीएटी या सुगम निर्वाचन को कवर करने वाली निर्वाचन जागरूकता सामग्री, तख्तों और मिटटी से रंगकर तैयार की गई थी। दूसरी उल्लेखनीय पर्यावरण अनुकूल

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 78 20-03-2020 14:25:47

सामग्रियों में अन्य चीजों के साथ-साथ खूबसूरती से तैयार किए गए बांस से बने डस्टबिन, बीजों सहित पेपर पेन और बायोडिग्रेडेबल बैग शामिल थे। सीड पेन का उपयोग मतदान अधिकारियों ने पेड़ लगाने के लिए किया और अत्यधिक प्रतीकात्मक वृक्षारोपणीय हरित पेन का उपयोग प्रभावी और प्रतीकात्मक दोनों सिद्ध हुए और इसका संदेश व्यापक और दूरगामी था।

राजनैतिक दलों को शामिल करना

राजनैतिक दलों को इस अभियान में शामिल करना बहुत सार्थक प्रयास था। हर निर्वाचन में राजनैतिक दल प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, और कई टन सामग्री मुद्रित और प्रकाशित करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कई वर्षों से एक खतरा रहा है, लेकिन इस वर्ष शेला उप-निर्वाचन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में असाधारण रूप से कमी आई और राजनैतिक दलों ने सहयोग करने की इच्छा जताई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित निर्वाचन का विचार सफल रहा।

हरित स्वयंसेवियों (ग्रीन वालंटियर्स) का प्रशिक्षण

ग्रीन वॉलंटियर्स को कचरे का रखरखाव सही ढंग से करने और मतदाताओं एवं आम जनता को मतदान के दिन मतदान केंद्रों में अनुपालनार्थ हरित प्रोटोकाल के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों को उन स्थितियों से निपटने के लिए सुग्राही बनाया गया और तैयार किया गया, जहां मतदाता मतदाता ग्रीन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे।

संयुक्त प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि मतदाता समुदाय हरित निर्वाचनों की सकारात्मक विचारधारा और प्रथा को अपनाने के लिए आगे आ सकता है। इस विचार को उन युवाओं से व्यवस्थित समर्थन प्राप्त हुआ जो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से संबंधित सभी मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं। हरित निर्वाचन अभियान ने भावी प्रयासों के लिए एक आदर्श मॉडल और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।

- सीईओ कार्यालय (मेघालय)

26-शेला (अजजा) विधानसभा के हरित निर्वाचन हेतु प्रयुक्त सामग्री

पहले प्लास्टिक की सामग्री प्रयुक्त होती थी	अब इसके स्थान पर गैर-प्लास्टिक, पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग होता है
प्लास्टिक की बाल्टी और मग	स्टील की बाल्टी और मग
पाउच आईडी कार्ड (प्लास्टिक)	प्लास्टिक रहित पाउच आईडी कार्ड
अमिट स्याही का कप	अमिट स्याही के लिए मिट्टी का कप (क्ले कप)
काले लिफाफे वाला प्लास्टिक कंटेनर	काले लिफाफे वाला लकड़ी का कंटेनर
प्लास्टिक पिजन होल	लकड़ी के कंटेनर वाला पिजन होल
पानी पीने के लिए गिलास	बोरोसिल ग्लास
पेन	सीड पेन
गनी बैग	कपड़े के गनी बैग
प्लास्टिक फाइल	चमड़े और जूट की फाइल
कपड़े के बैग	जूट के बैग
ट्रे	गैर-प्लास्टिक ट्रे
प्लास्टिक स्केल / रूलर	मेटल स्केल/रूलर
रद्दी कागज से बनी छोटी टोकरी	बांस से बनी रद्दी कागज की टोकरी
कैरी बैग (प्लास्टिक)	कैरी बैग (जूट)
सबसे पहले आने वाले पांच वोटरों के लिए स्मृति चिन्ह (प्लास्टिक)	सबसे पहले आने वाले पांच वोटरों के लिए स्मृति चिन्ह (गैर-प्लास्टिक)

(ऊपर) अमिट स्याही के लिए मिट्टी के बर्तन के कंटेनर का प्रयोग (दाहिने) हरित स्वयंसेवी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 79 20-03-2020 14:25:48

लोकतंत्र हेतु बढ़ते कदम

दुर्गम को सुगम बनाना। ओडिशा में किए गए अनेक उपायों ने निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के संचालन के लिए मतदान अधिकारियों को संघर्षरत, अगम्य क्षेत्रों में पहुंचने में मदद की।

अभिनेता राजकुमार राव की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म *'न्यूटन'* एक ऐसे सरकारी क्लर्क पर आधारित थी, जिसे मध्य भारत के नक्सल प्रभावित और संघर्ष-ग्रस्त जंगलों में निर्वाचन ड्यूटी पर भेजा गया था। वहां, वह नक्सलियों द्वारा छापामार हमलों के भय के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जो उन घने जंगलों में विद्यमान खतरे को देखकर हैरान थे।

यह फिल्म ऐसे नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में निर्वाचन करवाने की अनेक वास्तविक घटनाओं से प्रेरित थी। ओडिशा के कुछ कुख्यात इलाकों में निर्वाचनों के दौरान नक्सली संगठनों द्वारा पूर्व में की गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन प्रबंधन के हिस्से के रूप में सुदृढ़ और सतर्क योजनाएं कार्यान्वित की गईं। निर्वाचन को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए बीएसएफ, डीवीएफ और एसओजी के जवानों का कड़ा सुरक्षा घेरा भी बनाया गया था।

हालांकि, सभी सावधानियों के बावजूद, 10 अप्रैल, 2019 की सुबह प्राप्त हुई विशिष्ट खुफिया सूचना ने सारा ध्यान मुदुलिपाड़ा क्षेत्र की बोंडा पहाड़ियों की ओर मोड़ दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, मलकानगिरी ने तुरंत ट्रांजिट हाउस का दौरा किया और मतदान दलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी देर तक बातचीत की, क्योंकि मतदान दल घबराए हुए नजर आ रहे थे। तत्पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी भी संभावित घटना को विफल करने के लिए मौके पर एक विस्तृत कार्यनीतिगत योजना तैयार की गई थी।

> "किसी भी संभावित घटना को विफल करने के लिए एक विस्तृत कार्यनीतिक योजना मौके पर तैयार की गई थी"

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 80 20-03-2020 14:25:48

इस योजना के एक भाग के रूप में, मतदान दलों की आवाजाही का रास्ता साफ करने के लिए कुछ धावकों की पहचान की गई और उनको यह कार्य सौंपा गया। धावकों को 10 अप्रैल को शाम 5 बजे मोटर साइकिल से बोंडा पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा गया और वे सात घंटे बाद आधी रात को खैरपुट से मुदुलिपाड़ा के रास्ते की क्लीयरेंस की जानकारी लेकर लौटे। इसके बाद ही मतदान दलों को 11 अप्रैल को देर रात के दौरान संबंधित मतदान केंद्रों तक अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि सभी मतदान दलों के प्रस्थान तक उस समय बहुत अधिक जोखिम था, लेकिन किसी भी सदस्य द्वारा इसे महसूस नहीं होने दिया गया था।

परिणामस्वरूप, सभी मतदान कर्मी बिना किसी डर के मतदान केंद्र पर जाने और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए उत्साहित हो गए। संबंधित सेक्टर अधिकारियों ने अपने वाहन में अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ पार्टी को गंतव्य तक पहुंचाया। निर्वाचन संपन्न हो जाने के बाद, जिला प्रशासन के सामने असली चुनौती मतदान कर्मियों और मतदान की हुई ईवीएम तथा वीवीपैट को सुरक्षित रूप से वापस लाने की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्यनीति के एक भाग के रूप में, 40 कर्मियों वाले सभी छह मतदान दलों को, सुरक्षा कर्मियों की कड़ी सुरक्षा के तहत, 15 किलोमीटर तक ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाया गया।

इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मानव संसाधन को बिल्कुल भी नुकसान न हो और ईवीएम और अन्य मशीनरी को भी कोई क्षति न पहुंचे। इस प्रकार, मलकानगिरी जिले के दुर्गम क्षेत्रों को सुगम बनाया गया और 'सुगम्य निर्वाचन' का नारा सही अर्थों में हर किसी के दिमाग में प्रभावी रूप से अंकित हो गया था।

- सीईओ कार्यालय (ओडिशा)

> धावकों को मोटरसाइकिल से 10 अप्रैल को शाम 5 बजे बोंडा पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा गया और वे सात घंटे बाद आधी रात को खैरपुट से मुदुलीपाड़ा तक के रास्ते की क्लियरेंस की सूचना के साथ लौटे। उसके बाद ही मतदान दलों को देर रात के दौरान संबंधित मतदान केंद्रों के लिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए अनुमति दी गई

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 81 20-03-2020 14:25:50

जय जवान! जय मतदान!

युवा नागरिकों और जवानों ने सीमा पर मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए हाथ मिलाया।

राजस्थान में स्थित मुनाबाओ गांव भारत के उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतिम रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय थार एक्सप्रेस ट्रेन, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है, का अंतिम रेलवे स्टेशन भी है। इस गांव में, एक अद्वितीय स्वीप सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पड़ोसी बाड़मेर के युवा और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान एक साथ आए। 27 अप्रैल, 2019 को बीएसएफ की पश्चिमी कमान के सहयोग से जिला प्रशासन, बाड़मेर द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के दूरवर्ती सीमाओं पर मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना था।

युवा छात्र, जिनमें से ज्यादातर जय नारायण व्यास बी.एड. गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर, में अध्ययनरत लड़कियां थी,

पश्चिमी सीमा पर मना लोकतंत्र का उत्सव

आमजन को मतदान करने का संदेश, सामान्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक ने भी की हॉसला अफजाई

बीएसएफ के जवानों के साथ देशव्यापी 'देश का महात्यौहार' (इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए इसका नाम बदलकर 'सरहद पर लोकतंत्र का उत्सव' किया गया था) मनाने के लिए हर तरफ यात्रा की। अन्य प्रतिभागियों को स्काउट्स और गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और एनसीसी कैडेट्स से लिया गया था। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय जनरल ऑब्जर्वर श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

सीजीओ ने बीएसएफ जवानों की साहसी भावना को सलाम किया, और सभी बाहरी खतरों से सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए देश के लोगों की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के योगदान को उनके आधिकारिक आदर्श वाक्य 'जीवन पर्यन्त कर्तव्य' अर्थात- आजीवन कर्तव्य, में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में मनाए जा रहे इस अनूठे आयोजन में देश के सभी हिस्सों में स्वीप संदेश को प्रसारित करने और यह कि स्वीप की भावना को भारत के सुदूरतम कोने तक आत्मसात किया जाएगा, की क्षमता थी। सीजीओ ने कहा कि "यह हमारी सीमा के बहादुर पहरेदार हैं जो हमें बारहो मास बाहरी खतरों से सुरक्षित रखते हैं, और हमें उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए।"

श्री कुमार ने युवाओं को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और बलिदान से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, जो उनके देश और देशवासियों दोनों की मदद करेगा। उन्होंने बाड़मेर के मतदाताओं से एक अपील की कि वे 29 अप्रैल, 2019 को मतदान के दिन, बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें। उन्होंने

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 82 20-03-2020 14:25:50

भरोसा जताया कि केवल संकेंद्रित व सामूहिक प्रयासों से ही आयोग के नारे 'कोई भी मतदाता न छूटे' के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

निर्वाचकीय अंतर्दृष्टि के अलावा, कुमार ने सीमा पार अंतरराष्ट्रीय थार एक्सप्रेस के संचालन (इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय सीमा में थार एक्सप्रेस के लिए मुनाबाओ अंतिम स्टेशन है) के बारे में भी बताया। 240 किलोमीटर की बाड़मेर-पाकिस्तान सीमा (भारत-पाकिस्तान की कुल 1048 किमी आईबी लंबाई में से) भेद्यता से परिपूर्ण और संवेदनशील है, और बीएसएफ को यह देखने के लिए लगातार सतर्क रहना होता है कि कोई प्रतिबंधित सामान (जैसे नकली मुद्रा, जाली दस्तावेज और हथियार गोला बारूद) सीमा पार ट्रेन के माध्यम से देश में प्रवेश न करे। यह सुनिश्चित करने के लिए, किसी को भी मुनाबाओ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं है (सरकार के आदेशों के अनुसार)।

सीजीओ ने मिले-जुले लोगों की इस सभा को अपनी मूल गढ़वाली भाषा में देशभक्ति गीत 'हमरी धरती गढ़वाली' से निहाल कर दिया। सम्मेलन हॉल में व्यक्तिगत भावना और अहसास की भावना से ओत-प्रोत उनके गायन की जोर-शोर से सराहना की गई।

बीएसएफ के द्वितीय कमांडेंट, अनिल सिंह रावत, ने भी युवा प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने पहले 'निर्वाचन और मतदाता भागीदारी' के विषय पर सभा को प्रबुद्ध किया, और बाद में मातृभूमि के लिए साहस और बलिदान की भावना से भरे बीएसएफ को युवाओं के लिए एक महान कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए कई कैरियर टिप्स भी दी।

कुछ अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बारी-बारी से भाग लिया। बीएसएफ के जवान रामेश्वर चौधरी ने "हे जवान" शीर्षक से एक कविता सुनाई, जबकि एक अन्य बीएसएफ जवान मांगी दान बरहट ने "मन के भाव" शीर्षक वाली कविता सुनाई। अंत में, युवा प्रतिभागियों ने बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर मुनाबाओ सम्मेलन हॉल के विशाल परिसर में भारत का 150 फीट x 150 फीट का नक्शा जमीन पर बनाया।

यह वास्तव में एक सहयोगी समारोह था।

- सीईओ कार्यालय (राजस्थान)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 83 20-03-2020 14:25:51

जोगाजोग: एक कुशल और प्रभावी संचार प्रणाली

मोबाइल एप और वेब पोर्टल ने न केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर तेजी से संचार करना आसान बनाया, बल्कि निर्वाचन के दौरान व्यापक संचार के लिए एक सुलभ और व्यापक मंच की स्थापना की।

एक प्रभावी संचार प्रणाली निर्वाचन के दिनों में चुनौतियों से निपटने में मतदाता की सहायता करती है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की निर्वाचन मशीनरी ने इन समस्याओं का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वाचकों के सामने आ रही कठिनाईयों से निपटने और एक सुगम, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीआईएस-आधारित संचार सुविधा की जरूरत थी।

जीआईएस-आधारित यह मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसका नाम **'जोगाजोग'** (एक बंगाली शब्द जिसका अर्थ है संचार) है। यह एप निम्नलिखित कारणों से विकसित किया गया:

- यह निर्वाचकों को मतदान केंद्र के स्थान की जानकारी तक प्रभावी पहुँच उपलब्ध कराता है और वास्तविक समय के आधार पर दिशा की जानकारी प्रदान करता है।
- इस मोबाइल एप का उपयोग करके मतदाता, केवल कुछ कंट्रोल रूम नंबर रखने के बजाए अपनी आवश्यकताओं/शिकायतों के प्रकार के आधार पर सीधे निर्वाचन अधिकारियों के एक बड़े समूह को कॉल कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। इसमें बूथ स्तर के संपर्क व्यक्ति से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक शामिल होते हैं। मतदान कर्मियों सहित निर्वाचन अधिकारियों के लगभग 40,000 संपर्क नंबरों और मतदान केंद्रों के जीआईएस-आधारित स्थलों की जानकारी के साथ यह एक प्रामाणिक डिजिटल निर्वाचन निर्देशिका बन गई। इससे निर्वाचन अधिकारियों को इस एप या वेब पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन संबंधी किसी भी तरह की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली।
- निर्वाचन अधिकारियों के स्तर की संवेदनशीलता के आधार पर, उपयोगकर्ताओं को आंशिक रूप से संपर्क नंबर उपलब्ध कराने के लिए एडमिन यूजर द्वारा डेटाबेस नियंत्रित किया गया था।

जोगाजोग: एप

- यह एंड्रॉयड-आधारित एप सभी को मुफ्त प्रदान किया गया था। नागरिक और निर्वाचन अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर इस एप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते थे। हालांकि, वेब पोर्टल और इस तक पहुंच निर्वाचन अधिकारियों जैसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/प्रकोष्ठ प्रभारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रेक्षक और कंट्रोल रूम तक सीमित थी।
- एप्लिकेशन में एक एसएमएस गेटवे को एकीकृत किया गया था, ताकि एसएमएस भेजने के लिए कोई शुल्क न लगे। नेटवर्क यातायात संकुलन की कोई सीमा नहीं थी और एक से अधिक उपयोगकर्ता तुरन्त कॉल कर सकते थे।
- इस प्लेटफार्म में जीआईएस मैप और लोकेशन सर्च सिस्टम को एकीकृत किया गया था। यह महसूस किया गया कि नए मतदाता विशेष रूप से शहरी मतदाता अपने मतदान केंद्र के स्थानों से अनजान थे। कोई भी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 84 20-03-2020 14:25:51

निर्वाचक या मतदान कर्मी किसी भी मतदान केंद्र की खोज कर सकता था और मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए इस जीआईएस-आधारित मार्ग मानचित्र का उपयोग किया जा सकता था। इससे नए निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को बिना किसी समस्या के मतदान केंद्र तक पहुंचने में काफी मदद मिली।

- एप ने पेपर फोनबुक की आवश्यकता को बहुत कम कर दिया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म महज एक्सेल शीट या पीडीएफ फाइल नहीं थी, लेकिन इसके बजाय फ़िल्टर विकल्प के माध्यम से किसी विशेष स्थिति के लिए उपयुक्त निर्वाचन अधिकारी की खोज करने के लिए स्मार्ट तरीके से विकसित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस था। वेब पेज में या मोबाइल एप पेज पर उपयुक्त अधिकारी पर एक क्लिक से उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन से स्वत: कॉल हो जाती थी या एक एसएमएस भेज दिया जाता था।
- वेब पोर्टल के उपयोग के दौरान, स्मार्टफोन को कॉल सेंटर नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेस्कटॉप से जोड़ा जा सकता था। इससे उपयोगकर्ता को कॉल करने के लिए नंबर डायल करने की बजाय डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्लिक करके सीधे कॉल करने में मदद मिली।
- इस ई-सर्च एप्लिकेशन में दो प्रकार के उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म थे:

1. **एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन**, जो सभी डेटाबेस पर नियंत्रण रखता है।
2. **सिटिजन लॉगिन**, रियल टाइम मतदान केंद्र स्थल, मतदान कें द्रों के लिए दिशा के प्रति अभिगम्यता, और मतदान कर्मियों को छोड़कर सभी स्तरों के निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क नंबरों के साथ।

- निर्वाचन अधिकारी खुद को पोर्टल/मोबाइल एप में पंजीकृत कर सकते हैं और एआरओ या आरओ अपनी मास्टर आईडी का उपयोग करके उस उपयोगकर्ता को अनुमोदित कर सकते हैं। इस तरह, केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना सकते थे।
- यदि किसी मतदान केंद्र के किसी विशेष क्षेत्र के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो या कार्रवाई की जानी होती थी तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/सर्किल अधिकारी दो तरीकों से उचित निर्वाचन अधिकारी का पता लगा सकते थे:

1. क्षेत्र की खोज करना और यह देखना कि क्या वह मतदान केंद्र के किसी भी हिस्से के पते से मेल खा रहा है, सभी संबंधित जानकारी/संपर्क नंबर आसानी से स्क्रीन पर दिख जाएंगे।
2. सर्च डाउन विकल्प के माध्यम से उपयुक्त निर्वाचन अधिकारी का पता लगाना।

- कॉल लॉग निर्देशिका, उपयोगकर्ता स्तर की गतिविधि की जाँच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और इसने उपयोगकर्ता स्तर की जानकारी को रिकॉर्ड करने में मदद की।
- एप ने मतदान के 3 दिन पहले से मतदान के 1 दिन बाद तक दुर्घटना संकट प्रबंधक के रूप में काम किया क्योंकि इन दिनों हजारों कॉल प्राप्त हुईं। इन सभी कॉल्स को सूचना देकर या किसी अधिकारी को उक्त कार्य करने के लिए निर्देशित करके संभालने, और बाद में फीडबैक प्राप्त करना एक अत्यंत कठिन काम था, और इस एप ने डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर एक क्लिक के साथ इसे बहुत आसान बना दिया।

मतदान पूरा होने के बाद, कॉल लॉग की जाँच की गई और पाया गया कि इस वेब प्लेटफॉर्म/मोबाइल एप का उपयोग करके मतदान से 1 दिन पहले और मतदान के दिन के वल दो दिनों में ही लगभग 4,000 कॉल किए गए या प्राप्त किए गए और 500 एसएमएस भेजा गया। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और जिला नियंत्रण कक्ष ने मतदान के दिन इस मंच का बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया और इसे नागरिक शिकायतों के शीघ्र निपटान का एक प्रभावी साधन बनाया।

- सीईओ का कार्यालय (पश्चिम बंगाल)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 85 20-03-2020 14:25:52

निर्वाचक साक्षरता को मुख्य धारा में लाना

कोई मतदाता न छूटे

निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी)

रोचक कार्यकलापों और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से निर्वाचक साक्षरता को सुविधाजनक बनाने का एक प्लेटफार्म

कुल निर्वाचक साक्षरता क्लब लगभग 6.8 लाख

सोपानित प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक → जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक → स्थान पर मौजूद संयोजक

निर्वाचक साक्षरता क्लब

स्कूलों में ईएलसी

भावी मतदाता

कक्षा IX-XII
14-17 वर्ष

लगभग 1.2 लाख
स्कूलों में
प्रचालनरत

निर्वाचक साक्षरता क्लब

कॉलेजों में ईएलसी

नए मतदाता

18-21 वर्ष

लगभग 37 हजार
स्कूलों में
प्रचालनरत

चुनाव पाठशाला

चुनाव पाठशाला

सामुदायिक
सदस्य

लगभग 4.7 लाख
मतदान केंद्रों
में गठित

मतदाता जागरूकता मंच

मतदाता जागरूकता मंच (वीएएफ)

लगभग 58 हजार सरकारी संस्थानों, कारपोरेट संगठनों आदि में गठित

रोचक संसाधन

प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ एक से अधिक बार परामर्श करने के बाद, लगभग 25 रोचक और विचारोद्दीपक कार्यकलापों को डिजाइन किया गया है। प्रत्येक विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है। विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए 8 संसाधन गाइडों में कार्यकलापों का वर्णन किया गया है।

स्कूल

कक्षा IX के लिए ईएलसी संसाधन गाइड

कक्षा X के लिए ईएलसी संसाधन गाइड

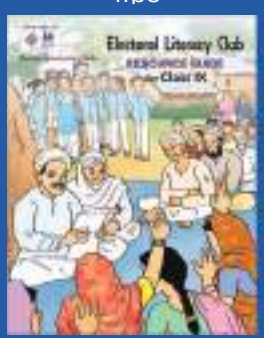

कक्षा XI के लिए ईएलसी संसाधन गाइड

कक्षा XII के लिए ईएलसी संसाधन गाइड

कालेज

चुनाव पाठशाला

सामान्य एफएक्यू हैंडबुक

मतदाता जागरूकता मंच

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 87 20-03-2020 14:26:07

‘कोई भी मतदाता न छूटे’
समावेशी और सुगम निर्वाचन

सभी के लिए सुगमता केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त अधिदेश की मूल भावना है। लोकतंत्र का सार प्रत्येक पात्र मतदाता को गले लगाने में है, और विशेष रूप से उन लोगों को, जो दिव्यांगता की वजह से बाधित हो सकते हैं। यहाँ उन अनेक स्थानों के हृदय-स्पर्शी विवरण दिए गए हैं जहां सुगमता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए लोकसभा निर्वाचन 2019 में एक मर्मस्पर्शी, प्रेरक और उत्साहवर्धक वास्तविकता बन गई थी।

दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुगम बनाना

2019 में संसदीय चुनावों के दौरान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को समावेशी और सहभागी बनाने के लिए उत्तर और मध्य अंडमान जिले में सुगम निर्वाचनों के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन किया गया था। मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित और आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करने के लिए उनका पोलिंग-बूथ-वार आकलन किया गया था।

समाज कल्याण विभाग के तहत ‘आंगनवाड़ी सेविका’ नामक एक विशेष पहल शुरू की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा दी जा सके। सभी मतदान केंद्र पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर से सुसज्जित थे और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मतदान कें द्रों में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मजबूत रैंपो का निर्माण किया गया हो। निर्वाचन कर्मियों को भी दिव्यांग मतदाताओं को सहायता देने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था ताकि वे उनके लिए मतदान प्रक्रिया को सहज एवं सुचारू बना सकें। दिव्यांग मतदाताओं की विशिष्ट जरूरतों के बारे में मतदान कर्मियों के सुग्राहीकरण पर विशेष जोर दिया गया था। दिव्यांग मतदाताओं के लिए संबंधित मतदान कें द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर ब्रेल संकेतक लगाए गए थे।

मतदाताओं को निर्वाचन में भाग लेने के लिए मनाने हेतु रंगात तहसील के बनगांव, वारफ्तर क्रीक और मकारती घाटी जैसे सुदूर स्थित मतदान कें द्रों में ‘कोई भी मतदाता न छूटे’ विषय के तहत एक और मतदाता जागरूकता पहल शुरू की गई थी।

मतदान कर्मियों के प्रत्येक कठिन परिश्रम का फल प्राप्त हुआ जब 85% से भी अधिक दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 88 20-03-2020 14:26:08

पूर्ण सुगमता के लिए टीम वर्क

यह 11 अप्रैल, 2019 था – यानि अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में लोकसभा निर्वाचन का दिन। यिली मेमे खुशी के साथ मुस्कराई जब उन्होंने देखा कि सुगम निर्वाचन टीम के सदस्य मतदान कराने के लिए उनको एस्कॉर्ट करने तथा सहायता देने के लिए उनके घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने मतदान केंद्र तक पहुंचने में समस्याओं के कारण मतदान नहीं किया था। इस बार, टीम ने व्हीलचेयर के साथ उनकी सहायता की और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम रहीं।

लोकसभा 2019 चुनावों का उद्देश्य 'कोई भी मतदाता न छूटे' के साथ निर्वाचन से कई महीने पहले सुगम निर्वाचन टीम का गठन करके दिव्यांग लोगों को शामिल करने का मिशन शुरू किया गया था। दिव्यांगजनों को यथापेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु दिव्यांगजनों की सही संख्या और उनकी दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी लेने के लिए नोडल अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसने बीएलओ, एनजीओ और स्थानीय ग्रामवासियों की सहायता से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया।

दिबांग में दिव्यांगजनों की जनसंख्या कुल मतदाताओं की आबादी का केवल 1 प्रतिशत है। बहरहाल, दिव्यांगजनों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता और न ही मतदान के उनके अधिकार से समझौता किया जा सकता है।

टीम की सहायता के लिए स्काउट और गाइड कैडेट को शामिल किया गया था। टीम कई दिव्यांग मतदाताओं को उनका वोट डालने के लिए उनके निवास स्थान से मतदान केंद्रों तक ले आने और उनके घरों में वापस पहुंचाने में सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट करने में सक्षम रही थी।

दिव्यांग मतदाता और जिला आइकॉन, अर्जुन मेमे ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन अपना मत देने के लिए प्रोत्साहित करते समय उनका भरोसा जीतने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार कभी-कभी, इस प्रक्रिया में शामिल स्वयंसेवकों पर यह संदेह किया जाता है कि उनकी किसी राजनैतिक दल विशेष से आत्मीयता है, परंतु ऐसा निश्चित रूप से सही नहीं है।

सुगम निर्वाचन के नोडल अधिकारी टी. मोदी, ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुख्य बाधा दिव्यांग मतदाताओं के परिवार के सदस्यों की उनकी अक्षमताओं को लेकर है। कई परिवार अपने दिव्यांग सदस्य को उस समय मतदान केंद्र पर ले जाना उचित समझते हैं जब अन्य मतदाता जा चुके हों और बूथ लगभग खाली हो चुका हो।

सभी बाधाओं के बावजूद, सुगम निर्वाचन टीम ने अपना प्रभाव छोड़ा और दिव्यांग मतदाताओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। लोअर दिबांग वैली में सामान्य 81.3 प्रतिशत मतदाता प्रतिशत की तुलना में दिव्यांग मतदाता प्रतिशत 92.06 रहा - जिले के कुल 126 दिव्यांग मतदाताओं में से 116 दिव्यांग मतदाताओं ने अपना वोट डाला।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 89 20-03-2020 14:26:08

दिव्यांगजनों ने प्रेरित किया

असम के गोलपारा जिले में 23 अप्रैल, 2019 को मतदान के दिन सुबह का समय था। मतदान केंद्रों के आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और चारों तरफ लोगों में उत्साह का माहौल था। मतदान शुरू हो गया था और जिला निर्वाचन अधिकारी, वर्णाली डेका, भोर के समय से मामलों को संभालने तथा सभी मामलों का समाधान करने के लिए अधिकारियों, मास्टर प्रशिक्षकों, इंजीनियर और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए एक पैर पर खड़ी थीं। जिला निर्वाचन मशीनरी का ध्यान मुद्दों का त्वरित समाधान करने पर था। चूंकि जिले में कई मतदान केंद्र दूरदराज और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में थे, इसलिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर ईवीएम / वीवीपीएटी, इंजीनियरों, फील्ड स्टाफ, मास्टर ट्रेनरों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी।

मतदान के दिन जिले के लिए एक विशेष केंद्र बिंदु, दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करना था। सभी चिह्नित दिव्यांग मतदाताओं की सहायता करने के लिए यात्रा की योजनाओं को चाक-चौबंद किया गया था, विशेष आवश्यकताओं के मूल्यांकन और निवारण का काम पूरा कर लिया गया था, और मतदान स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था- संक्षेप में भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य 'कोई भी मतदाता न छूटे' के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में सभी दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकताओं का व्यापक रूप से अलग-अलग आकलन किया गया था।

जब जिला निर्वाचन अधिकारी सुबह के समय मतदान केंद्रों का दौरा कर रही थीं, तो उन्हें जानकारी मिली कि एक युवा दिव्यांग मतदाता, आरती पॉल, घर पर थीं और मतदान के लिए उत्सुक थीं। चूंकि उनका आवास निकट ही था इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं उस दिव्यांग मतदाता के घर गईं। आरती के अभिभावकों के आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना नही रहा जब जिला निर्वाचन अधिकारी उस युवा मतदाता को अपने वाहन से मतदान केंद्र ले गईं। रास्ते में, जिला निर्वाचन अधिकारी को पता चला कि आरती लगभग 90 प्रतिशत लोकोमोटर-विकलांग थी। उसने कक्षा दस तक पढ़ाई की थी जब वह एक तंत्रिका विकार से प्रभावित हुई थीं जो उसके मूवमेंट को उत्तरोत्तर प्रभावित करता गया।

'व्हीलचेयर सहायता की आवश्यकता वाले लोकोमोटर अक्षम मतदाताओं' के रूप में चिह्नित मतदान केंद्र पर एक व्हीलचेयर को पहले से तैयार रखा गया था। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही जिला निर्वाचन अधिकारी तुरंत उस युवा दिव्यांग मतदाता को परिसर में लेकर गई।

आरती आसानी से और आत्मविश्वास से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती थीं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अगले मतदान केंद्र तक जाने के रास्ते में उसे वापस घर छोड़ दिया। उसे पारंपरिक 'गमोसा' से भी सम्मानित किया गया और पारंपरिक सुगंधयुक्त विशेष गुडी बैग दिया गया।

यह निर्वाचन प्रक्रिया में सुगमता के कई उदाहरणों में से केवल एक था। जिले में पहली बार, एक मतदान केंद्र दिव्यांग मतदान कर्मियों की एक टीम द्वारा संचालित किया गया था, जो सकारात्मक आत्मविश्वास भरने वाला उपाय था और जिसे लोगों और मीडिया द्वारा बहुत सराहा गया। दिव्यांग मतदान कर्मियों को सराहना स्वरूप टी-शर्ट दी गई थीं और इससे ऐसी परिस्थिति में रहने वाले लोगों को बाहर निकलकर मतदान करने में प्रोत्साहन मिला।

युवा दिव्यांग मतदाता आरती पॉल की सहायता करती जिला निर्वाचन अधिकारी

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 90 20-03-2020 14:26:08

गुजरात के पाटन में लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत

बहुत सारे प्रचार अभियान हैं जिनमें लोगों से बाहर आने और अपना वोट डालने का आग्रह किया जाता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों का क्या, जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं? अगर मैं चाहूं तो भी मैं वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती!" दिव्यांगजनों के लिए नोडल अधिकारी से फोन पर एक निराशा भरी आवाज में यह शिकायत की गई। कॉल करने वाली, 3-पाटन संसदीय क्षेत्र की एक पंजीकृत मतदाता रश्मिकाबेन पटेल थीं।

अपनी शारीरिक विकलांगता और सीमित गतिशीलता के परिणामस्वरूप, रश्मिकाबेन पिछले किसी भी निर्वाचन में अपना वोट नहीं डाल पाई थीं। जब भी वह नागरिकों के लोकतांत्रिक कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में पढ़ती, वह हमेशा इससे बाहर हुई महसूस करती थीं लेकिन लोकसभा निर्वाचन 2019 ने उनके लिए यह सब बदल दिया।

रश्मिकाबेन को भारत निर्वाचन आयोग के विज्ञापनों और जागरूकता अभियानों के बारे में जानकारी हुई जिसमें दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मत डालने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया गया। इन्ही विज्ञापनों से उन्हे दिव्यांगजनों के नोडल अधिकारी का नंबर मिला और उन्होंने फोन किया।

कॉल रिसीव करने पर, नोडल अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि टीम उसे वोट डालने में मदद करने के लिए सभी संभव सुविधाएं प्रदान करेगी। टीम को मतदान के दिन व्हीलचेयर के साथ उनके निवास पर भेजा गया। हालांकि, उनके घर पहुंचने पर, टीम को पता चला कि रश्मिकाबेन इसमें नहीं बैठ पाएंगी।

तुरंत, उनके लिए एक विशेष वाहन की व्यवस्था की गई और उन्हे मतदान केंद्र पर ले जाया गया, जहां स्वयंसेवकों ने उनको अपना वोट डालने में सहायता प्रदान की, जिसके बाद उसे फिर से अत्यंत सावधानी के साथ घर वापस ले जाया गया।

भावुक रश्मिकाबेन ने कहा कि "मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी दिव्यांगता के कारण मैं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले पाऊंगी और मतदान करने में सक्षम हो पाऊंगी।" "लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेष रूप से मतदान केंद्र पर परिवहन, व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों की उपलब्धता वास्तव में बहुत प्रंशसनीय है। मैं इन सुविधाओं के कारण अपना वोट डाल सकी हूं और मैं सभी संबंधित लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूं क्योंकि इतने सालों बाद मैं अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू कर पाई हूं।

दो अनोखी बहनों की विशेष कहानी

19 मई को लोकसभा निर्वाचन, 2019 में मतदान केंद्र संख्या 97, समनपुरा, दीघा विधानसभा क्षेत्र, पटना में उन लोगों के लिए अद्भुत अनुभव सामने आया। सबा और फराह, आपस में जुड़ी जुड़वाँ बहनों की जोड़ी मतदान करने आई। उनके आपस में जुड़े होने से अधिक, लोग उनकी हिम्मत, उत्साह और साहस को देखकर आश्चर्यचकित थे।

बूथ स्तर के एक अधिकारी, शेरुन्निशा ने बताया कि सबा और फराह ने बिहार विधानसभा निर्वाचन 2015 में पहली बार एकल मतदाता पहचान-पत्र पर सबा-फराह नाम से एक मतदाता के रूप में अपना वोट डाला था।

हालांकि, इस बार पहली बार, इन जुड़ी बहनों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग माना गया और वे स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालने में सक्षम थीं।

सबा और फराह ने अपने भावनात्मक अनुभव को साझा किया और कहा, "हम एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से जुड़े हुए खुश हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है, लेकिन हम हमेशा स्वतंत्र रूप से पहचाने जाने के लिए अपनी अलग पहचान रखना चाहती थीं। दो अलग-अलग मतदाताओं के रूप में मतदान करना हमारी अलग-अलग मौजूदगी को स्वीकार करने के बराबर है, जो हमारे लिए बहुत ही रोमांचक और सुखद अनुभव है।" यह उनके सपने सच होने से तनिक भी कम नहीं था जब उन्हें देश के दो अलग-अलग नागरिकों के रूप में मान्यता दी गई जो समान रूप से वोट देने के अपने अधिकार का आनंद उठा सकते थे।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 91 20-03-2020 14:26:09

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुपर 'सीढ़ी'

एक ऐसे व्हीलचेयर की कल्पना करें जिसे सीढ़ियों पर ले जाया जा सकता है, नीचे लाया जा सकता है और सुरक्षित रूप से बीच में रोका जा सकता है! यह सुनने में जितना अद्भुत है वास्तव में यह ऐसा ही है, इस विचार को वी सिटिजन एक्शन नेटवर्क (वीकैन) नामक एक सामाजिक संगठन द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन 2019 में सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था, जिसका उद्देश्य निर्वाचनों में दिव्यांग मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना था।

'सीढ़ी' के रूप में ब्रांडेड, यह सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए डिज़ाइन की गई एक आसानी से उपयोग वाली पोर्टेबल व्हीलचेयर है। 'सीढ़ी' में एक शक्तिशाली मोटर है जो अपेक्षाकृत छोटे परिचर को बड़े यात्री को सीढ़ियों से सुरक्षित रूप से लाने और ले जाने की सुविधा देती है। 'सीढ़ी' सार्वजनिक भवनों के साथ-साथ निजी घरों में भी इनडोर या आउटडोर दोनों प्रकार के उपयोग के लिए उपयुक्त है।

मुंबई-उपनगरीय और मुंबई सिटी जिलों के साथ साथ नागपुर में अनेक अभिचिह्नित मतदान केंद्रों में इस तरह की सुविधा का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त थी, और इसमें व्हीलचेयर के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित कर्मचारी भी तैनात किया गया था। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को उचित सहायता प्रदान करने के लिए 'सीढ़ी' व्हीलचेयर का विशेष रूप से उपयोग किया गया था।

SEEDEE for elderly & differently abled

Senior citizens and differently abled voters will be able to use special battery-operated wheelchair, called SEEDEE, to ride up and down stairs at polling centres on Monday. A video of Nilesh Singit, the election commission's person with disabilities icon of Maharashtra, using the SEEDEE went viral on Sunday. VCAN has facilitated its use for the assembly polls. ...

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 92 20-03-2020 14:26:09

360 डिग्री समावेशन

भारत निर्वाचन आयोग सुगम निर्वाचनों पर अत्यधिक जोर देता है और जिला प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रियाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास किया।

दिव्यांग व्यक्तियों वाले मतदान कर्मियों की एक पूरी टीम ने इंफाल, मानपुर में वांगखेई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत लामलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र में मतदान संपन्न करवाया। मतदान प्रक्रिया में उनका प्रदर्शन सराहनीय था और इससे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को सकारात्मक बढ़ावा और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ।

दिव्यांग व्यक्तियों वाले मतदान कर्मियों की पूरी टीम, ने वांगखेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत लामलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र में एक मतदान केंद्र का संचालन किया।

इस तरह की पहल, कल्याण उपायों से बढ़कर है, क्योंकि इससे दिव्यांगजनों को लगता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वे समान रूप से सक्षम और समर्थ हैं। उन्होने निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला और इससे उनके प्रति व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण में अधिक समानता को प्रोत्साहन मिलता हैं। निर्वाचन प्रणाली में दिव्यांगजनों की सहभागिता से लोकतंत्र के प्रति भारत के अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता को नया अर्थ मिलता है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 93 20-03-2020 14:26:13

सबसे आगे

यह अप्रैल 2019 में एक गर्म दोपहर थी जब पुद्दुचेरी के मुथू रथना आरंगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता पर एक रैली को हरी झंडी दिखाई गई। एक अप्रत्याशित दृश्य पुदुचेरी के लोगों का इंतजार कर रहा था।

जोसेफ, जो एक दिव्यांग था, रैली का नेतृत्व कर रहा था। उसने सभी नागरिकों को आगामी निर्वाचनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

जोसेफ एक स्वयंसेवक है जो एक छोटी सी दुकान चलाता है, जहां रबड़ की मोहरें बनाई जाती हैं और किताबों की बाइंडिंग की जाती है, इसके अलावा वे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। हालांकि वे एक स्कूल ड्रॉपआउट हैं, फिर भी वे हमेशा अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं और अच्छे काम करते हैं और इसके लिए वे अपने आस-पड़ोस में बहुत लोकप्रिय हैं।

उन्होंने न केवल छात्रों की रैली का नेतृत्व किया, बल्कि '100 फीसदी मतदान' को बढ़ावा देकर पुद्दुचेरीवासियों के मन में एक उमंग' पैदा की। स्वयंसेवक के रूप मे काम करने का उनका उत्साह और अपने साथी नागरिकों को आगे आने और अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करने का उनका नेक इरादा बेहद सराहनीय था।

जोसेफ जैसे लोग, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और प्रदर्शन करते हैं, निर्वाचन संस्थानों और जनता के बीच संयोजन की शक्ति हैं। जोसेफ का काम इस बात का एक आदर्श चित्रण था कि कै से स्वीप का समाज पर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव, एक जिम्मेदार नागरिक सभी के लिए एक अनुकरणीय प्रसिद्ध उदाहरण बन सकता है।

हम होंगे कामयाब – सुगमता के साथ

हेमा, अमृतसर, पंजाब, की एक 28 वर्षीय नेत्रहीन नागरिक, लोकसभा निर्वाचन 2019 से पहले खुद को एक मतदाता के रूप में नामांकित करना चाहती थी, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं था। उन्होने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से मदद मांगी और उसके बाद, उन्हें कॉल सेंटर के कर्मचारी द्वारा न के वल सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई, बल्कि बूथ स्तर के एक अधिकारी (बीएलओ) ने फॉर्म 6 भरने में उनकी मदद करने के लिए उनके घर का दौरा भी किया। उन्हे समय पर अपना निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र (एपिक) प्राप्त हुआ और मतदान के दिन पिक-एंड-ड्रॉप की भी सुविधा दी गई।

हेमा जैसे दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावों को पूरी तरह से समावेशी, सुलभ और बाधामुक्त बनाने के लिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कई पहल की गई थीं। इन प्रयासों में निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को शामिल करने में आने वाली बाधाओं या कमियों की पहचान करने से लेकर उनके द्व ारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना शामिल था। इन कार्यकलापों और स्वीप पहलों ने दिव्यांग मतदाताओं को विश्वास दिलाया कि उनकी दिव्यांगता उनके वोट डालने में बाधा नहीं बनेगी।

सुगमता के लिए किए गए उपायों में 10,274 ब्रेल मतदाता एपिक और इतनी ही ब्रेल मतदाता स्लिप और 6,171 ब्रेल मतदाता गाइडों को शामिल करना सम्मिलित था, ताकि दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए मतदान का सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा-मुक्त और समावेशी अनुभव प्रदान करने के लिए दिव्यांग मतदाताओं को उनके घरों से मतदान केंद्र तक ले जाने और वापस उनके घर छोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ में कम से कम एक व्हीलचेयर उपलब्ध थी।

दिव्यांगों के लिए विशेष वाहन, जिन्हें दिव्यांग रथ का नाम दिया गया था, को दिव्यांग मतदाता के निवास और मतदान केंद्र के बीच आने और जाने के लिए उपलब्ध करवाया गया था। कुल 1.7 लाख छात्र स्वयंसेवकों को दिव्यांगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शामिल किया गया था और वे पोलिंग बूथों पर हेल्प डेस्क पर मतदाताओं को सर्वोत्तम तरीके से सहायता करने के लिए मौजूद थे।

निर्वाचन प्रक्रिया में अपने अधिकार का प्रयोग करने में हेमा जैसे कई दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पहले झेली गई उदासीनता और बाधाओं को सफलतापूर्वक दूर कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हुए, सुलभ जानकारी और एक सहायक वातावरण के अलावा, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिदेश की वास्तविक भावना के अनुरूप दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनके अ धिकारों की रक्षा हो।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 94 20-03-2020 14:26:13

सोशल मीडिया @ECI

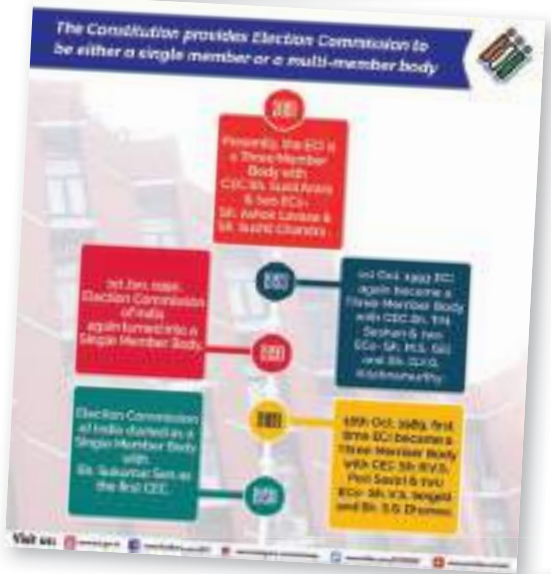

हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें

- @ECI
- @ECISVEEP
- @ECISVEEP

उम्र सिर्फ एक संख्या है!

वे उत्सुक और नियमित मतदाता हैं, वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए दृढ़संकल्प हैं, नागरिकों के रूप में, और वे सभी 100 नाट आऊट हैं! आइए देश भर के शतायु मतदाताओं से मिलें...

स्वाभिमानी नागरिक और मतदाता

दिल्ली: चुनाव में डाला गया हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है। 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान, पश्चिमी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शतायु मतदाताओं का एक विशिष्ट खेमा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी पसंद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत उत्साहित था।

सभी तीनों मतदाता देश में हुए पहले चुनावों के बाद से अपना वोट डालते रहे हैं। वे 111 वर्षीय जसबीर सिंह, 101 वर्षीय दयाल चंद तनेजा और 103 वर्षीय संपति देवी हैं। उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के मूल्यों का सम्मान किया है और 2019 के लोकसभा चुनावों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इन नागरिकों के परिवारों ने ये अनुभव साझा किया कि उन्हें वोट देने के अपने मौलिक अधिकार पर गर्व है।

उन्होंने न के वल सुबह-सुबह अपना वोट डाला, बल्कि अपने परिवार और समुदाय में अगली पीढ़ियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने एक वोट की शक्ति और मूल्य का महत्व बताया और यह कि मतदान न के वल भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, बल्कि उसका कर्तव्य भी है।

"प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान करना चाहिए"

111 साल की उम्र में **दयाल चंद तनेजा** ने उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण वोट देना बंद कर दिया था। लेकिन सीईओ, दिल्ली के कार्यालय द्वारा दी गई सुविधाओं ने उन्हें 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के दौरान मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मतदान के दिन घर से मतदान केंद्र के बीच आने और जाने की परिवहन सुविधा की सराहना की और कहा कि उनको अपने इस भरोसे को पूरा करने में सहायता मिली कि हमारे लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को निर्वाचन में मतदान करना चाहिए।

चुनाव में डाला गया हर एक वोट कीमती होता है।

अब मतपत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है

पश्चिम बंगाल: 17वीं लोकसभा निर्वाचन के दौरान 164 बेलाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में आठ बूथ शामिल थे। मतदाताओं की एक लंबी कतार अपने वोट डालने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। यह लगभग 3 बजे दोपहर बाद का समय था, और सेक्टर अधिकारी मतदान परिसर से निकलने ही वाले थे। तभी, उन्होंने मतदान परिसर के मुख्य द्वार के पास व्हीलचेयर पर एक वृद्ध महिला को देखा। सेक्टर अधिकारी जल्दी से अपनी कार से बाहर निकले और महिला की मद्द करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने वहां हेल्पडेस्क का संचालन करने वाले व्यक्ति को भी बुलाया। महिला की मदद के लिए सशस्त्र कर्मी भी आए। सेक्टर अधिकारी और अन्य लोगों ने प्राथमिकता मतदान के कार्य में महिला की सहायता की।

महिला ने अपना वोट डाला और बूथ से बाहर आने के बाद, सेक्टर अधिकारी ने उनकी उम्र पूछी, जिस पर उन्होने उत्तर दिया, "मैनें स्वतंत्रता के बाद के सभी निर्वाचनों में अपना मत डाला है। इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई। "सेक्टर अधिकारी समझ गए कि उनको थोड़ा कम सुनाई देता है। उनके बेटे ने जवाब दिया कि वह लगभग 100 साल की हो गई हैं और अक्सर बीमार रहती हैं। वास्तव में, उस दिन भी डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर में आराम करने के लिए कहा था। हालांकि, इस बात से भी उच्च-उत्साही महिला को मतदान के शुभ दिन पर अपने

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 96 20-03-2020 14:26:16

कलिम्पोंग की ग्रैंड ओल्ड लेडी

जय शोवा राय, जो 104 साल की हैं, याद करती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बार मतदान किया है और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते रहने के लिए खुश हैं। वे यह भी बताती हैं कि वे आगामी चुनावों में मतदान करेंगी और जब तक जीवित रहेंगी, तब तक मतदान करते रहने के लिए दृढ़संकल्प हैं।

उनको अच्छी तरह से याद है कि कैसे सालों पहले उन्हें अपना वोट डालने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हाल के दिनों में सुगम मतदान ने बुजुर्ग मतदाता के रूप में उन्हें प्राथमिकता दी है और उन्हें अब कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता है।

गौरवान्वित शतायु मतदाता को अच्छी तरह से याद है कि जब उन्होनें पहली बार मत डाला था तो उन्होंने मतपत्र पर मत डाला था। बाद के वर्षों में, वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके मतदान करके खुश हो गईं, जहां वे एक बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकती हैं। पिछले निर्वाचनों में उन्होनें पाया कि बटन को पुश करने के बाद एक नए बॉक्स जैसी मशीन में पेपर स्लिप दिखाई देती है।

माननीय महिला आगे याद करती हैं कि कुछ 20-30 साल पहले उन्हें एक नया फोटो-पहचान पत्र मिला और वे इसे पाने के लिए बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह उनके पास एकमात्र सरकारी दस्तावेज था जिसमें उनकी एक तस्वीर थी!

इतनी बड़ी उम्र में भी जय शोवा राय, काफी ऊर्जावान और सक्रिय हैं, और निर्वाचन में भागीदारी करने की उनकी दृढ इच्छा सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

कर्तव्य को पूरा करने से नहीं रोका जा सका। उन्होने आग्रह किया कि "चाहे कुछ भी हो, मैं अपना वोट जरूर डालूंगी। इस देश के लोगों को उनका मताधिकार बहुत अधिक बलिदानों के बाद मिला है और मैं अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने के किसी अवसर को नहीं छोड़ूँगी।"

इस घटना से यही अभिव्यक्त होता है कि एक मतदाता हृदय, मन और विचार से सदैव युवा रहता है। लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता करने के लिए उम्र कभी रोड़ा नहीं हो सकती है।

मतदाता-अनुकूल प्रणाली की सराहना

कर्नाटक: बसप्पा, जिनकी उम्र 102 साल है, तुमकुरु जिले के चिकनक्याकन्नहल्ली में जे.सी. पुरा गाँव, जहाँ वे अपने छह बेटों और उनके परिवार के साथ रहते हैं और अपने छोटे से व्यवसाय को चलाते हैं।

बसप्पा ने 1951 में पहले साधारण निर्वाचन के दौरान अपना पहला वोट तब डाला था जब वे चौंतीस वर्ष के थे। इसके बाद, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले सभी चुनावों में भाग लिया। वे कहते हैं, "देश में कई अच्छे निर्वाचन सुधार पेश किए गए हैं। सामाजिक न्याय और लोगों का कल्याण जनता के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। भोजन, आश्रय, पीने का पानी, स्वास्थ्य, कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतें सभी के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए हमें एक अच्छी और स्थिर सरकार की आवश्यकता है।" उनके अनुसार, सभी मतदाताओं को बेहतर सार्वजनिक सेवा के लिए एक अच्छे और प्रख्यात उम्मीदवार के लिए मतदान करना चाहिए और किसी भी मतदाता को मतदान

बसप्पा, जिनकी उम्र 102 साल है

करने से नहीं चूकना चाहिए। उन्होने अंत में बताया कि "निर्वाचनों की वर्तमान प्रणाली मतदाता अनुकूल है और इसे लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है।"

> "निर्वाचनों की वर्तमान प्रणाली मतदाता अनुकूल है और इसे लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। —बसप्पा"

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 97 20-03-2020 14:26:17

प्रत्येक मत और प्रत्येक गांव महत्वपूर्ण है

> “स्वयंसेवक मुझे मेरे निर्धारित मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए आए और मैं वहां मतदान करने वाली पहली मतदाता थी।”
> — घूंगरा देवी

उत्तराखंड: गाँव भदधर की 102 वर्षीय महिला घुंगरा देवी ने 1962 के चुनावों में पहली बार मतदान किया। पिछले निर्वाचन में जब 2019 में उन्होने मतदान किया था, इस बारे में वे बताती है कि “लोकसभा 2019 के निर्वाचन में मतदान करना बहुत सुखद अनुभव था। मैं अपना वोट डालने के लिए उत्साहित थी। मैं सुबह जल्दी तैयार हो गई। स्वयंसेवक मुझे अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए आए और मैं वहां मतदान करने वाली पहली मतदाता थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं हर निर्वाचन में मतदान करती हूं और सभी लोगों से देश के बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने का अनुरोध करना चाहती हूं।

“आला जोखना गांव के किसान गुलाबी राम ने अपना वोट तब डाला जब भारत ने 1952 में अपना पहला निर्वाचन संचालित किया और तब से वे निर्वाचन प्रणाली में भाग ले रहे हैं। उन्होनें बताया कि 2019 के लोक सभा निर्वाचन में उन्होने पहली बार ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से मतदान किया और सफल मतदान होने पर इसकी एक कापी भी प्राप्त की। यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है। मुझे लगता है कि यह मतदान प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और उत्तरदायी है। मैं आयोग द्वारा दिव्यांगजनों और मेरे जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्वाचन को इतना सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए सभी प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मैं हर नागरिक से बिना किसी भय और लालच के मतदान करने अनुरोध करना चाहता हूं।”

गुलाबी राम

मतदान का सफर

ओडिशा: जब 100 साल से अधिक उम्र की महिला, व्हीलचेयर पर बैठकर, अपना वोट डालने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची, तो अपनी जिंदादिली से उन्होने सबको चकित कर दिया। वह ओडिशा के बीजापुर की मतदाता लोचन नाइक थीं। 21 अक्टूबर, 2019 को राज्य उपनिर्वाचन में भाग लेने के उनके प्रयास के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशक द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

चाहे यह संसदीय, विधानसभा या जिला निर्वाचन हो, नाइक ने हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस उपनिर्वाचन से पहले उनका पैर घायल हो गया था। बहरहाल, उनकी चोट या बुढ़ापे ने उनके लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने की उनकी इच्छा को कम नहीं किया।

औपचारिक शिक्षा भी न होने के बावजूद वे लोकतंत्र में अपने मत का मूल्य समझती हैं और आज वे मतदाताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। वे मानती है कि किसी को अधिकारों का केवल तभी अधिकार है जब वह राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाए।

लोचन नाइक, बीजापुर, ओडिशा

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 98 20-03-2020 14:26:18

निर्वाचन के दिन जिनको रोका न जा सका

वे आत्मविश्वासी महिला गाँव में महिलाओं के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करने तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचनों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरणास्रोत रही हैं।

अरुणाचल प्रदेश: नाथोंग सवेन, जिनकी उम्र 107 साल है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के यतदाम सर्कल के तहत एक पहाड़ी की चोटी पर बसे सुदूरतम गाँव जोंगोफेट की निवासी हैं। इस शतायु मतदाता ने 53-चांगलांग उत्तर (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा निर्वाचन 2019 में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वे अपने दो बेटों के साथ रहती हैं जो क्रमशः 63 और 61 साल के हैं।

हालाँकि वे कमज़ोर और क्षीण दिखती हैं, और उनमें हिलने-डुलने या ज़्यादा बात करने लायक ऊर्जा नहीं बची है, फिर भी वे राज्य के गठन के बाद इसके पहले निर्वाचन में अपनी सहभागिता को याद रखने में सक्षम है। वे कहती हैं, "हम अपना वोट डालने के लिए कई मील पैदल चलकर जाया करते थे क्योंकि गाँव तक कोई सड़क नहीं थी।" वे बताती हैं कि 1977 में राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद वे प्रत्येक निर्वाचन में मतदान करती रहीं हैं चाहे यह लोकसभा निर्वाचन हो, विधान सभा निर्वाचन हो या पंचायत के चुनाव हों।

नाथोंग सवेन, 107 वर्षीय

तथापि, वे पिछले 10 वर्षों से मतदान केंद्र जाने के लिए पूरी तरह से अपने पुत्रों पर निर्भर हैं। उनके पुत्र अपनी पीठ पर लेकर उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाते हैं जो उनके घर से लगभग 300 मीटर नीचे पहाड़ी पर स्थित है। वे आत्मविश्वासी महिला गाँव में महिलाओं के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करने तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचनों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरणास्रोत रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 11 अप्रैल, 2019 को साथ-साथ आयोजित निर्वाचनों में गांव में शत-प्रतिशत महिला मतदान दर्ज किया गया।

लोकतंत्र की भावना

गुजरात: उनका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा तनकर खड़ी है! गुजरात में सूरत जिले के बारडोली तालुका के सर्भोन गाँव की 101 वर्षीय खिरनबीबी पीरमदाम शेख छड़ी या चश्मे का उपयोग नहीं करती हैं। वे अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित, अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर चलकर जाती हैं।

जब उनसे पूछा गया कि इस उम्र में उनको मतदान करने के लिए क्या प्रेरित करता है। वे उत्तर देती हैं कि "जब तक ईश्वर उनको जिंदा रखेंगे तब तक हम अपना कोई कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ेंगे।" एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मतदान हमारा कर्तव्य है और हम जब तक जीएं, हमें तब तक अपना मत डालना चाहिए।"

खिरनबीबी पीरमदाम शेख

खैरनबीबी संभवतः अपने गांव की सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं, और वयस्क होने के बाद उन्होंने आयोजित लगभग हर निर्वाचन में मतदान किया है। वे बहुत अधिक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य विशेष श्रेणी के मतदाताओं को प्रदान की गई सुविधाओं से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की सुविधाओं का विस्तार उन लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा जो शारीरिक बाधाओं के कारण अन्यथा मतदान नहीं कर सकते थे।

> **"एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मतदान हमारा कर्तव्य है और हम जब तक जीएं, हमें तब तक अपना मत डालना चाहिए।"**
>
> —खैरनबीबी पीरमेहमाद शेख

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 99 20-03-2020 14:26:18

सबसे आगे महिलाएं

पुडुचेरी: पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पहले निर्वाचन के बाद से मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे तीन शतायु मतदाता, एक मजबूत लोकतंत्र के प्रतीक हैं।

सोरपेट गांव की 101 वर्षीय वेदावल्ली, पुडुचेरी के 1962 में भारत का हिस्सा बनने के बाद 1964 में हुए पहले निर्वाचन के समय से मतदाता के रूप में अपने अनुभव को याद करती हैं।

इन सभी वर्षों के बाद, उन्होंने नियमित रूप से मतदान किया है और यहां तक कि

101 वर्षीय वेदावल्ली

ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रणाली में हुई तकनीकी प्रगति के साथ भी सहज हो गई हैं। वेदावल्ली ने कहा कि सभी चुनावों में भाग लेने पर वे गर्व महसूस करती हैं और हमेशा दूसरों की मदद के बिना मतदान केंद्र तक पहुंचने में कामयाब रहीं हैं।

दिल को छू लेने वाली एक और मिसाल मदुकराय के 102 वर्षीय के. अन्नामलाई की है। वे लोकसभा साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू नई सुविधाओं से रोमांचित हैं। वे गर्व से दावा करते हैं कि वे पहले भारतीय चुनावों से लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आशा करते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक ऐसा ही करे। उन्होंने कहा कि स्वीप के स्वयंसेवकों ने उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की।

और इसके बाद तीसरी शतायु मतदाता पुडुचेरी के एक तटीय गाँव वीरमपट्टिनम की हैं। अपने दुखद अतीत को साझा करते हुए, श्रीमती पूंगवानम याद करती हैं कि 2006 के विधानसभा निर्वाचन के दौरान जब उनके गांव के लोग अभी भी सुनामी में मृतक पीड़ितों का शोक मना रहे थे तब भी उन्होंने अपना वोट डाला और अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी आयु और शारीरिक बीमारियों के बावजूद, शतायु मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रत्येक निर्वाचन में वोट डालने के अपने मौलिक कर्तव्य को पूरा किया। उनके जैसे मतदाता एक मजबूत लोकतंत्र की ताकत हैं और पुडुचेरी में औसतन 80 प्रतिशत और उससे अधिक का मतदाता प्रतिशत देखने को मिला।

> "2006 के विधानसभा निर्वाचन के दौरान जब उनके गांव के लोग अभी भी सुनामी में मृतक पीड़ितों का शोक मना रहे थे तब भी उन्होंने अपना वोट डाला और अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा किया।" —पूंगवानम

निडर होकर मतदान करें

उत्तराखंड: अंबिका देवी 101 वर्ष की हैं और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की निवासी हैं। वे अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में एक किसान और एक गृहिणी के रूप में रही हैं। अंबिका देवी ने गर्व के साथ कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के पहले निर्वाचन

> अंबिका देवी ने स्वतंत्रता के बाद देश के पहले निर्वाचनों में मतदान किया

101 वर्षीय वृद्धा अंबिका देवी

में मतदान किया था। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन 2019 में भाग लेने के प्रति अपने उत्साह को साझा किया। वे कहती हैं, "निर्वाचन आयोग ने ईवीएम-वीवीपैट मशीनों का प्रयोग शुरू करके निर्वाचन प्रक्रिया को बहुत सुचारू बना दिया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य भी सराहनीय हैं। मैं अपने गांव और देश के सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूं कि वे बिना किसी भय के मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करें।'

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 100 20-03-2020 14:26:19

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) की चौथी जनरल असेम्बली

भारत ने 2019 से 2021 की अवधि के लिए ए-वेब की अध्यक्षता ग्रहण की

भारत निर्वाचन आयोग ने 3 सितंबर, 2019 को बेंगलुरू, कर्नाटक में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) की चौथी महासभा की मेजबानी की। बेंगलुरू में 2 से 4 सितंबर, 2019 तक आयोजित इस बैठक में विश्व के 50 से अधिक देशों के लगभग 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ए-वेब के बारे में

एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) पूरी दुनिया में निर्वाचन प्रबंध निकायों (ईएमबी) का सबसे बड़ा संघ है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) की स्थापना 14 अक्टूबर, 2013 को सांग-डो, दक्षिण कोरिया में हुई। ए-वेब का स्थायी सचिवालय सियोल में है। ए-वेब का उद्देश्य पूरी दुनिया में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहभागी निर्वाचनों के संचालन में दक्षता एवं कारगरता को बढ़ावा देना है। इसकी गतिविधियां लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रबंध एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं में नवीनतम रुझानों, चुनौतियों एवं प्रगति की पहचान करने तथा पूरी दुनिया में निर्वाचकीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सदस्यों में अनुभव एवं सुविज्ञता

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 101 20-03-2020 14:26:24

के उपयुक्त आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए इसके मिशन द्वारा मार्गदर्शित हैं।

भारत निर्वाचन आयोग 2011-12 से ए-वेब के गठन की प्रक्रिया से बहुत निकटता से जुड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग, अक्टूबर 2013 में ए-वेब की शुरुआत से लगातार दो बार (2013-15 और 2015-17) इसके कार्यपालक बोर्ड का सदस्य रहा है। 31 अगस्त, 2017 को बुखारेस्ट में आयोजित ए-वेब की पिछली महासभा में रोमानिया ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की और भारत निर्वाचन आयोग को सर्वसम्मति से 2017-19 के लिए ए-वेब का उपाध्यक्ष चुना गया। अब भारत ने 2019-21 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है।

इस समय, ए-वेब के सदस्य के रूप में 115 निर्वाचन प्रबंध निकाय और सहयोगी सदस्य के रूप में 16 संगठन/संघ हैं। इसमें ए-वेब के सदस्य के रूप में एशिया से 24, अफ्रीका से 27 और अमेरिका से 31, यूरोप से 17 और ओशेनिया से 6 निर्वाचन प्रबंध निकाय शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ए-वेब के आसन्न पूर्व अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता से वर्ष 2021-23 के लिए ए-वेब के कार्यपालक बोर्ड में बना रहेगा।

ए-वेब 2017-19 के वर्तमान कार्यपालक बोर्ड के 21 सदस्य हैं तथा डोमिनिकन गणराज्य ठीक पहले इसका अध्यक्ष था। इसके सदस्य के रूप में अफ्रीका से 5 सदस्य : बुर्किना फासो, गिनी, केन्या, मालावी और ट्यूनीशिया; अमेरिका से 4 सदस्य : अर्जेंटीना, कोलंबिया, अलसल्वाडोर और पराग्वे; एशिया से 4 सदस्य : बंगलादेश, फिलिस्तीन, ताइवान और उजबेकिस्तान; यूरोप से 3 सदस्य : अल्बानिया, बेलारूस, क्रोएशिया; ओशेनिया से सदस्य के रूप में फिजी हैं।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 102 20-03-2020 14:26:25

2 सितंबर, 2019

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने बेंगलुरू में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यपालक बोर्ड के असाधारण सत्र को संबोधित किया। श्री अरोड़ा ने स्मरण दिलाया कि भारत निर्वाचन आयोग 2011-12 के दौरान ए-वेब की गठन प्रक्रिया से घनिष्ठता से जुड़ा था और अक्टूबर 2013 में ए-वेब के संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत 2013 से कार्यपालक बोर्ड का सदस्य रहा है तथा 2017-19 के दौरान ए-वेब के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। भारत पूरी दुनिया के निर्वाचन प्रबंध निकायों (ईएमबी) के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए पूरे जोश से ए-वेब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि ए-वेब की संघटक इकाइयां विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंध निकाय (ईएमबी) हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं तथा एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं एवं अनुभवों से सीख लेते हैं। इसके सदस्य के रूप में 106 देशों से 115 ईएमबी और सहयोगी सदस्य के रूप में 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ए-वेब सही मायने में गैर आक्रामक ढंग से निर्वाचन प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संगठन बन गया है।

ए-वेब के कार्यपालक बोर्ड के सदस्य के रूप में इयॉन मिंकू राइलेसू, सलाहकार, स्थायी निर्वाचन प्राधिकरण, रोमानिया, जो ए-वेब के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तथा बंगलादेश, बुर्किना फासो, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, फिजी, केन्या, मालावी, फिलीस्तीन, पराग्वे, ट्यूनीशिया और उजबेकिस्तान के निर्वाचन प्रबंध निकायों के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक

> इसके सदस्यों के रूप में 106 देशों से 115 ईएमबी और सहयोगी सदस्य के रूप में 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ए-वेब सही मायने में वैश्विक संगठन बन गया है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 103 20-03-2020 14:26:29

में कैमरून और इक्वाडोर के निर्वाचन प्रबंध निकायों के अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी ए-वेब की जांच एवं लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में भाग लिया। सत्र में वर्तमान महासचिव यांग ही किम तथा ए-वेब और ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

3 सितंबर, 2019

3 सितंबर को, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2019-21 की अवधि के लिए ए-वेब की अध्यक्षता ग्रहण की क्योंकि भारत ने रोमानिया से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। भारत को 2017 में बुखारेस्ट में आयोजित पिछली महासभा में ए-वेब के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से नामित किया गया था। निवर्तमान अध्यक्ष, इयान मिंकू राडूलेसू, सलाहकार, स्थायी निर्वाचन प्राधिकरण, रोमानिया के प्रतिनिधि द्वारा नए अध्यक्ष, श्री सुनील अरोड़ा को ए-वेब का ध्वज सौंपा गया। यह ध्वज 2021 तक दो साल की अवधि के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पास रहेगा।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 104 20-03-2020 14:26:36

माननीय श्री अरोड़ा जी ने घोषणा की कि प्रलेखन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण; सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने; तथा संघ के ईएमबी सदस्यों में क्षमता निर्माण करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में एक ए-वेब सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान 96 देशों से 1165 से अधिक निर्वाचन अधिकारियों के लिए 62 अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा भारत में 27,000 से अधिक निर्वाचन अधिकारियों के लिए 750 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर चुका है।

4 सितंबर, 2019

'निर्वाचनों में सोशल मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी की पहल और चुनौतियां' पर 4 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। (11) देशों अर्थात बेनिन, भूटान, बोस्निया हर्जेगोविना, कैमरून, मालावी, मारीशस, फिलिस्तीन, रोमानिया, रूस, सियरा लियोन और टोगो ने इस विषय पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।

'निर्वाचनों में सोशल मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी की पहल और चुनौतियां' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 105 20-03-2020 14:26:51

सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

पिछले कुछ वर्षों में निर्वाचनों को सबके लिए सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असंख्य कदम उठाए गए हैं। 'कोई भी मतदाता न छूटे' के ध्येय का अनुसरण करते हुए आयोग ने 19 सितंबर, 2019 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में 'सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन किया।

वर्ष 2018 में 'सुगम निर्वाचन' को 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर अनेक परामर्शों का आयोजन किया गया, जांच समितियों की स्थापना की गई तथा दिव्यांगता समन्वयकों एवं सुगमता प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई – ये सभी कदम प्रतिभागी एवं सुगम निर्वाचन के लिए उठाए गए।

दिव्यांग मतदाताओं की व्यापक मैपिंग से लेकर परिवहन की सुविधाएं, विशेष वालंटियर, आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं जैसे कि रैंप, व्हील चेयर, साइन लैंग्वेज की सुविधा, पोलिंग स्टेशन पर ब्रेल में ईवीएम की सुविधा प्रदान करने तथा हाल ही में दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान करने तक भारत निर्वाचन आयोग ने 'कोई भी मतदाता न छूटे' के सिद्धांत का पालन करने का अथक प्रयास किया है।

सुगम निर्वाचन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों, सभ्य समाज के संगठनों, सरकारी विभागों, एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चार विषय आधारित प्रस्तुतियों के बाद, प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने दोहराया, ''बुनियादी स्तर पर अधिकाधिक जागरूकता लाना और उस दिशा में कार्य करना हमारा लक्ष्य है। बूथ स्तरीय अधिकारियों से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक प्रत्येक व्यक्ति को 'कोई भी मतदाता न छूटे' के हमारे ध्येय को साकार करने में मिलकर काम करना

बुनियादी स्तर पर अधिकाधिक जागरूकता लाना और उस दिशा में कार्य करना हमारा लक्ष्य है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 106 20-03-2020 14:26:53

चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने प्रयासों और कार्यकलापों में इस ढंग से वृद्धि करें कि सुगमता के मुद्दों का एक साथ निवारण किया जा सके और हमारे निर्वाचन सही मायने में समावेशी हों।''

भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा, ''हमारे प्रयासों के आधारभूत सिद्धांत इस उद्धरण में निहित हैं कि दिव्यांगता समस्या नहीं है, पहुंच बनाना समस्या है। हमें पूरी दुनिया से सीख लेनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आगे क्या है और ऐसे ठोस उपायों की पहचान करनी चाहिए जो हमें पर्याप्त परिवर्तन करने के लिए सशक्त बनाएंगे।''

निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने दिव्यांगजनों के निर्वाचकीय अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया और इस क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

पूरे भारत से उपस्थित स्टेकहोल्डरों के साथ आयोजित तकनीकी सत्रों में पहले से

हमारे प्रयासों के आधारभूत सिद्धांत इस उद्धरण में निहित हैं कि दिव्यांगता समस्या नहीं है, पहुँच बनाना समस्या है।

निर्धारित विषयों जैसे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और निर्वाचक सूची की मैपिंग, पोलिंग स्टेशन पर सहायता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता, सुगम मतदाता शिक्षा और संचार कार्यनीतियों तथा सुगम निर्वाचन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर समूह कार्य तथा विचार-विमर्श शामिल था।

प्रतिभागियों ने विषयपरक प्रस्तुतियां, जो आयोग के समक्ष दी गई, के भाग के रूप में वर्तमान चुनौतियों का मूल्यांकन करने, लागू की गई पहल का विश्लेषण करने तथा समाधान करने पर

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 107 20-03-2020 14:26:55

काम किया।

दिए गए विषयों पर प्रस्तुतियों के बाद महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्वाचन तंत्र, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा बुनियादी स्तर पर अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रयासों की सराहना की।

उप निर्वाचन आयुक्त श्री चंद्रभूषण कुमार ने पूरे देश से स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सिफारिशों के महत्व को दोहराया क्योंकि इनसे सभी भावी निर्वाचनों को सही मायने में समावेशी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उनका संदेश ''आपके हस्तक्षेपों से महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटा जा सकता है'' था। उन्होंने सूचित किया कि 92.43 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों ने झारखंड विधान सभा चुनाव में मतदान किया जो सुगम निर्वाचन की दिशा में अथक प्रयासों की देन है।

लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में भाग लेने के लिए सभी बाधाओं को पार करने वाले मतदाताओं की विशिष्ट संख्या के आधार पर आयोग ने 'क्रासिंग दि बैरियर्स – आई गॉट इंक्ड' नामक एक पुस्तिका भी जारी की। कार्यशाला के प्रतिभागियों को अब तक किए गए कार्य, हाल की पहल तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए सुगमता रिपोर्ट 2019 नामक एक व्यापक दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया जिसमें सुगम निर्वाचन की नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन किया गया।

92.43 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों ने झारखंड विधान सभा चुनाव में मतदान किया।

स्वयंसेवकों की सहायता, साइन भाषा के द्विभाषियों, रैंप तथा स्क्रीन रीडर एक्सेस के माध्यम से कार्यशाला में पहुँच बनाना सुनिश्चित किया गया, जो प्रदर्शित करता है कि आयोग सही मायने में और हमेशा सबको शामिल करने के प्रति कितना प्रतिबद्ध है।

कार्यशाला में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के अलावा सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी संगठनों तथा एएडीआई, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ डीफ, एनसीपीईडीपी नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क, सक्षम, ईकोतत्व, एनआईईपीवीडी, पीडीयूएनआईपीपीडी, बीपीए अहमदाबाद तथा आईएसएलआरटीसी सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।.

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 108 20-03-2020 14:26:57

आईआईआईडीईएम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण का संचालन

संघीय म्यांमार निर्वाचन आयोग (यूसीईएम) के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंध संस्थान (आईआईआईडीईएम) ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की प्रायोजकता के अधीन यूसीईएम के साथ हस्ताक्षरित नौ कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंग के रूप में यूईसीएम के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया। 10 से 14 जून 2019 तक म्यांमार में निर्वाचन आयोजना पर पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईआईआईडीईएम के पूर्व निदेशक विवेक खरे, आईआईआईडीईएम के सचिव एस बी जोशी, भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एन एन बुटोलिया और आईआईआईडीईएम के परामर्शदाता डा. नूर मोहम्मद ने यूईसीएम के 25 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में निर्वाचन के सभी महत्वपूर्ण पहलू तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजना की कार्यनीतियां शामिल थीं।

यूईसीएम के अधिकारियों के लिए बेहतर निर्वाचन प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर केन्द्रित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन म्यांमार में 21 से 27 जून 2019 तक किया गया। कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम परिपाटियां शामिल की गई तथा निर्वाचन प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण में 25 प्रतिभागियों को लोक सभा निर्वाचन, 2019 के आ योजन में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग तथा निर्वाचन प्रक्रिया में विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग पर निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा तथा महानिदेशक श्री धीरेंद्र ओझा द्वारा भी संबोधित किया गया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 109 20-03-2020 14:26:58

मालदीव से शिष्टमंडल का दौरा

आईआईआईडीईएम ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) मसूरी, उत्तराखंड द्वारा आयोजित फील्ड प्रेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में 26 सितंबर, 2019 को मालदीव के सिविल अधिकारियों के शिष्टमंडल की मेजबानी की। प्रतिभागियों को निर्वाचन प्रक्रियाओं में नई पहल, भारत में पिछले वर्षों में किए गए निर्वाचन सुधारों, अपनाई गई सर्वोत्तम अभिशासन परिपाटियों तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन में सिविल अधिकारियों की भूमिका में प्रशिक्षित किया गया।

आईटीईसी के साझेदार देशों के लिए मतदाता पंजीकरण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आईआईआईडीईएम ने 22 से 27 सितंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आईटीईसी के साझेदार देशों के निर्वाचन अधिकारियों के लिए मतदाता पंजीकरण पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बंगलादेश, भूटान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिजी, मारीशस, मैक्सिको, मंगोलिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, त्रिनीडाड और टोबैगो, टर्की, उजबेकिस्तान, जांबिया और जिंबाब्वे के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसने सटीक एवं समावेशी मतदाता रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रतिभागियों को तैयार करने के संबंध में मतदाता रजिस्ट्रेशन पर जानकारी प्रदान की। शामिल किए गए विषय थे: मतदाता रजिस्ट्रेशन का महत्व, मतदाता रजिस्ट्रेशन के मार्गदर्शक सिद्धांत, मतदाता रजिस्टर, प्रचालन के प्रमुख उपाय, रजिस्ट्रेशन डाटा तथा भारत में मतदाता रजिस्ट्रेशन` प्रक्रिया।

कार्यक्रम में सटीक एवं समावेशी मतदाता रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को तैयार करने के संबंध में मतदाता रजिस्ट्रेशन पर जानकारी प्रदान की।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 110 20-03-2020 14:26:59

इंडिपेन्डेन्ट इलेक्टोरल कम्प्लेन्ट्स कमीशन ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

इंडिपेन्डेन्ट इलेक्टोरल कम्प्लेन्ट्स कमीशन ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 19 से 21 अगस्त 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को हितधारकों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया तथा शामिल किए गए क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र और निर्वाचन याचिकाएं, मतदान के दिन निगरानी एवं चौकसी, मतदान के दिन कपटपूर्ण गतिविधियों की पहचान करने एवं रोकने के लिए मतदान कार्मिकों की क्षमता का विकास, शिकायतों के निर्णयन के लिए दृष्टिकोण, मतों की गणना तथा परिणामों का पारेषण शामिल थे।

प्रतिभागियों को स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 111 20-03-2020 14:27:03

निर्वाचक साक्षरता क्लबों (ईएलसी) पर कार्यशालाएं

निर्वाचक साक्षरता क्लबों या ईएलसी की पाठ्यचर्या पर भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों तथा स्वीप के नोडल अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ईएलसी रोचक गतिविधियों तथा व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं एवं भावी मतदाताओं में निर्वाचक भागीदारी की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए प्लेटफार्म है।

2019 के सितंबर माह में ईएलसी की प्रभावी स्थापना एवं कामकाज तथा आगे की राह पर कार्यनीति तैयार करने के लिए तीन ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पहली कार्यशाला 23-24 सितंबर और दूसरी कार्यशाला 26-27 सितंबर को आयोजित की गई। तीसरी कार्यशाला 30 सितंबर 2019 से आईआईआईडीईएम कैंपस, नई दिल्ली में दो दिन तक चली।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा द्वारा ईएलसी प्रदर्शनी का भ्रमण किया गया। आयोग को ईएलसी के संसाधनों के साथ कार्यशालाओं में ईएलसी द्वारा संचालित गतिविधियों की झांकियां दिखाई गईं।

इसके बाद कार्यशाला के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा, ''ऐतिहासिक टर्नआउट प्राप्त करने के बावजूद हमें सभी समुदायों के लोगों को जागरूक करने तथा सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए स्थायी एवं समर्पित प्रयास करने चाहिए।'' प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ''आप सभी ईसीआई के स्वीप कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। इस विशाल कार्य का भाग होने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के साथ मेरा आपसे फील्ड में ईएलसी आयोजना का अग्रदूत होने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह है कि अमिट स्याही की शक्ति सबका प्रतिनिधित्व करे।'' इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महासचिव श्री उमेश सिन्हा और आईआईआईडीईएम के महानिदेशक श्री धर्मेन्द्र शर्मा भी उपस्थित थे।

ईएलसी परियोजना पर जानकारी प्रदान करते हुए महासचिव उमेश सिन्हा ने यह कहते हुए मजबूत नींव होने की अहमियत पर जोर दिया कि ''जब तक आपकी जड़ें सही नहीं होंगी तब तक घास नहीं उगेगी।" हमारा उद्देश्य यह है कि निर्वाचक नामावली में सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण हो और यह सुनिश्चित हो कि यह 100 प्रतिशत सटीक है ताकि हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हो सके। मतदाता शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक एवं नैतिक बनाना तथा उनकी सहभागिता बढ़ाने में मदद करना है।'' उन्होंने यह भी कहा कि ईएलसी परियोजना के लिए स्कूलों, कालेजों, समुदायों, संगठनों आदि से संपर्क स्थापित करके सभी उपस्थित लोगों द्वारा दृढ़ अभियान चलाने की आवश्यकता है। श्री सिन्हा जी ने यह भी कहा कि ईएलसी विश्व में सबसे बड़ा निर्वाचक साक्षरता आंदोलन होगा और इसके माध्यम से हम 'कोई भी मतदाता न छूटे' के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 112 20-03-2020 14:27:07

'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)' नामक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से निर्वाचक साक्षरता को मुख्य धारा में लाने की परियोजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत प्रत्येक शैक्षिक संस्था में निर्वाचक साक्षरता क्लब और प्रत्येक बूथ पर चुनाव पाठशाला स्थापित करने की परिकल्पना है ताकि उनको भी शामिल किया जा सके, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। 25 जनवरी, 2018 को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को शुरू किए गए ईएलसी व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से निर्वाचकों की सहभागिता की संस्कृति का विकास करने और सुदृढ़ करने के लिए निर्वाचक साक्षरता के व्यावसायिक (वाइब्रेंट) हब के रूप में काम करेंगे। अब तक देश में 580620 ईएलसी स्थापित किए गए हैं।

पूरी परियोजना युवाओं और भावी मतदाताओं के लिए अनेक सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर विधियों के माध्यम से मतदाता शिक्षा को प्रासंगिक एवं व्यावहारिक बनाने के इर्द-गिर्द घूमती है। संयोजक द्वारा संसाधन गाइड का प्रयोग करके ईएलसी तथा चुनाव पाठशाला की गतिविधियां संचालित की जाती हैं जहां प्रत्येक गतिविधि के संचालन के लिए चरण दर चरण अनुदेश दिए जाते हैं। कक्षा 9 से 12, कालेजों और समुदायों के लिए अलग-अलग संसाधन पुस्तकें तैयार की गई हैं। वर्ष में गतिविधियों के कलेंडर का भी उल्लेख किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल 6-8 गतिविधियों की पहचान की गई है, जिनके लिए विशिष्ट अधिगम परिणाम निर्धारित किए गए हैं जो लगभग कुल चार घंटे के लिए संचालित होंगी।

इस कार्यशाला का प्रयोजन प्रतिभागियों को ईएलसी की गतिविधियों की जानकारी (रिफ्रेशर) प्रदान करना है ताकि परवर्ती प्रशिक्षण के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित हो सके, जो जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के साथ आयोजित किए जाएंगे। आयोग का प्रयास ईएलसी परियोजना को संपोषणीय बनाना तथा 2 लाख माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, 27 हजार कालेजों एवं विश्वविद्यालयों तथा 10 लाख मतदान केंद्रों में 1.5 मिलियन ईएलसी स्थापित करने के सपने को साकार करना है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 113 20-03-2020 14:27:11

डाक मत-पत्र

सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू की गई

आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार विभिन्न कदम उठाए गए हैं कि प्रत्येक निर्वाचक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा निर्वाचन को सही मायने में सहभागी बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाए। मतदान प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए अतीत में दृष्टि बाधित निर्वाचकों के लाभ के लिए ब्रेल बैलेट शीट, रैंप, व्हील चेयर, स्पेशल वालंटियर जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह पाया गया कि वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के अलावा, ऐसे कई निर्वाचक हैं जो आवश्यक सेवा में तैनात किए गए हैं और उनकी नौकरी की अनिवार्यता के कारण उन्हें मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित होने के लिए अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

इस दिशा में उपाय के रूप में निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 27ए को हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है ताकि अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस संशोधन में आवश्यक सेवाओं में तैनात निर्वाचकों, 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग के रूप में चिह्नित निर्वाचकों को अनुपस्थित मतदाता के रूप में परिभाषित किया गया है।

आयोग ने प्रायोगिक तौर पर झारखंड विधान सभा चुनाव में 7 विधान सभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा प्रदान की। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के निवास स्थान पर पोलिंग अधिकारियों का दल भेजने की योजना थी जिन्होंने नए प्रावधान के अंतर्गत पोस्टल बैलेट की सुविधा मांगी है। पोलिंग अधिकारी इन निर्वाचकों के निवास पर जाकर पोस्टल बैलेट जारी करेंगे और उनकी पहचान के घोषणा-पत्र को सत्यापित भी करेंगे। इसके बाद वे निर्वाचक द्वारा मतदान करने की प्रतीक्षा करेंगे तथा चिह्नित बैलेट पेपर वाले सीलबंद लिफाफे को साथ लेकर आएंगे। निर्वाचकों को मतदान अधिकारियों की टीम के दौरे की तिथि एवं सन्निकट समय के बारे में पूर्व सूचना दी जाती है।

आवश्यक सेवाओं में तैनात निर्वाचकों के लिए, जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पोस्टल मतदान केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो मतदान के दिन से पूर्व कुछ दिन के लिए खुला रहेगा। निर्वाचक किसी भी निर्दिष्ट तिथि को ऐसे केन्द्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 114 20-03-2020 14:27:11

राजनैतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (पीपीआरटीएमएस)

राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रबंधन

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होता है। उक्त धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के इच्छुक संगठन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार गठन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर आयोग के पास आवेदन दाखिल करना होता है।

आवेदन के स्टेटस का पता लगाने में आवेदक को समर्थ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 'राजनैतिक दल रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग प्रबंध सिस्टम' (पीपीआरटीएमएस) शुरू किया है। पीपीआरटीएमएस की प्रमुख विशेषता यह है कि आवेदक जो दल के पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, अपने आवेदन की प्रगति का जायजा लेने में समर्थ होगा और एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से स्थिति (स्टेटस) के बारे में अपडेट प्राप्त करेगा। आयोग के पोर्टल https://pprtms.eci.gov.in/ पर स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

.

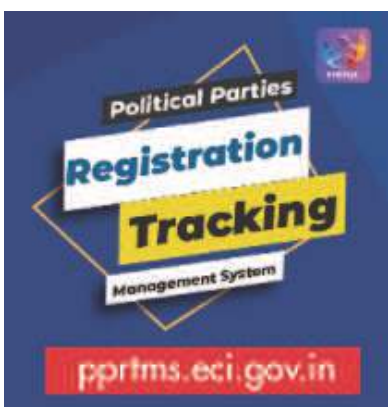

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 115 20-03-2020 14:27:12

निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी)

मतदाताओं की समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान

भारत निर्वाचन आयोग सही एवं अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी वजह से सही एवं अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए इसने हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड तथा महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1 सितंबर, 2019 को दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम – निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) शुरू किया है।

दिल्ली में तथा सभी अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2019 तक निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा निर्वाचक नामावली में समग्र सुधार के लिए यह अभियान 30 नवंबर 2019 तक जारी रहा।

अभियान के रूप में यह कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य निर्वाचकों तथा भारत निर्वाचन आयोग के बीच दो दिवसीय सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रव्यापी सटीक एवं अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार करना था।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर अभियान के रूप में इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया है। पहली बार निर्वाचक नामावली के लिए इस तरह का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है और यह देश के हर कोने तक पहुंचा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों से निर्वाचक सूची में अपने ब्यौरों का सत्यापन करके पूरे देश के निर्वाचकों ने ईवीपी का बड़े पैमाने पर लाभ उठाया।

निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम के छह प्रमुख

88-119 MVM- Hindi.indd 116 20-03-2020 16:05:13

त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करना

निर्वाचक सूची को अपडेट करना पूरे वर्ष चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की 'त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली शुद्ध लोकतांत्रिक निर्वाचन का आधार है' के सिद्धांत का अनुसरण करता है। पहले निर्वाचक नामावली से मृत निर्वाचकों की प्रविष्टियां हटाने के लिए जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय में केवल मैनुअल प्रविष्टियों का प्रयोग होता था तथापि, गलतियों एवं कमियों को न्यूनतम करने तथा सटीक डाटा तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अब आयोग मैनुअल तथा ऑनलाइन, दोनों प्रक्रियाओं में दो चरणीय सत्यापन प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देता है। संबंधित क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्रों को कार्यान्वित करते हैं तथा मासिक आधार पर नियमित रूप से निर्वाचक डाटा का सत्यापन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की विविध सत्यापन प्रणाली है जिसमें शामिल हैं: (1) मृत निर्वाचकों के परिवार के सदस्यों / रिश्तेदारों / पड़ोसियों से फार्म 7 प्राप्त करना और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ऐसी सूचना के आधार पर सत्यापित मृत निर्वाचक का नाम हटाना; (2) मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल एप (एंड्रायड मोबाइल फोन) के माध्यम से तथा अपनी स्वयं की लॉगइन आईडी द्वारा एनवीएसपी पर शवदाह गृह के प्रभारी से ऐसे ब्यौरों का सत्यापन करना; और (3) ऐसी सूचना प्राप्त करने के तुरंत बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा ईआरओ नेट डैशबोर्ड में ऐसे डाटा की प्रविष्टि करना।

उद्देश्य थे (i) निर्वाचक के ब्यौरों का सत्यापन करना और ब्यौरों में सुधार, यदि कोई हो, का उल्लेख करना, जिसमें उसकी फोटो तथा प्रविष्टि का अधिप्रमाणन शामिल है; (ii) उसके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा प्राप्त करना और उनकी प्रविष्टियों का सत्यापन करना; (iii) बेहतर निर्वाचक सेवाएं प्रदान करने के लिए (स्मार्ट फोन के साथ) संपर्क का ब्यौरा / जीआईएस निर्देशांक प्राप्त करना; (iv) मौजूदा/संभावित पोलिंग स्टेशनों के बारे में इनपुट प्राप्त करना; (v) निर्वाचक नामावली की वस्तुस्थिति में सुधार लाना और (vi) निर्वाचक सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाना।

निर्वाचक नामावली में नागरिकों के मौजूदा ब्यौरों के अधिप्रमाणन एवं सत्यापन के लिए नागरिकों के लिए 10 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए गए। ये दस्तावेज हैं : (i) भारतीय पासपोर्ट; (ii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iii) आधार; (iv) राशन कार्ड; (v) सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र; (vi)

पहली बार निर्वाचक नामावली के संबंध में ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया गया तथा यह देश के हर कोने में पहुंचा।

बैंक की पासबुक; (vii) किसान पहचान पत्र; (viii) पैन कार्ड; (ix) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड; और (x) आवेदक के नाम में अथवा उसके सन्निकट रिश्तेदार जैसे कि माता-पिता आदि के नाम में उस पते के लिए पानी/टेलीफोन/ बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल।

कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन उसे मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से किया जा सकता है – इस अभियान के माध्यम से 1 सितंबर से 1 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल 76,22,95,111 अनुरोध प्राप्त हुए। अभियान संचालित किए जाने की 91 दिन की अवधि के दौरान इस एप के माध्यम से कुल 73,00,50,926 प्रविष्टियों को ठीक करने की सूचना प्रदान की गई। कुल मिलाकर ईवीपी बहुत बहुमूल्य एवं सफल अभियान था।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 117 20-03-2020 14:27:16

सहभागी निर्वाचनों के लिए
डिजिटल प्रौद्योगिकी

मतदाताओं को जोड़ने में मोबाइल प्रौद्योगिकी के समावेशन और आंतरिक आयोजना ने लोक सभा आम चुनाव 2019 में प्रमुख भूमिका निभाई। आईसीटी उपकरणों ने भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुगम निर्वाचन के संचालन में अधिक दक्षता, व्यापक पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करने में समर्थ बनाया।

भारत निर्वाचन आयोग ने अपेक्षाकृत कम समय में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करते हुए मानवीय त्रुटियों तथा विस्तारित प्रयासों को कम करने के लिए सक्रियता से मोबाइल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना शुरू किया है। निर्वाचकों तथा निर्वाचन अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रयोग के अनुरूप आवश्यकता आधारित एप्लीकेशन, जो विशिष्ट मुद्दों का समाधान करते हैं, विकसित किए गए हैं। हाल ही में आयोग ने बूथ एप नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका प्रयोग निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बेहतर निर्वाचन प्रबंधन के लिए किया जाएगा। **ईसीआई ने मौजूदा एप अर्थात सी-विजिल, वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर टर्नआउट एप में कुछ नए फीचर्स भी अपडेट किए हैं** तथा इन सबका उद्देश्य निर्वाचन को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है।

सी-विजिल

2019 के संसदीय चुनाव के दौरान सी-विजिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1,40,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। उल्लेखनीय है कि इन शिकायतों में से 80 प्रतिशत शिकायतें सही पाई गईं। शुरू में आयोग ने विधान सभा चुनावों के दौरान नवंबर 2018 में सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन का बीटा वर्जन लांच किया था जिसका उद्देश्य निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन तथा निर्वाचन संबंधी किसी कदाचार की सूचना प्रदान करने में नागरिकों की मदद करना था। इस एप की प्रमुख विशेषता संबंधित प्राधिकारियों द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई तथा 100 मिनट की निर्धारित अवधि के अंदर आश्वस्त स्टेटस रिपोर्ट है। इस एप में साक्ष्य के रूप में रियल टाइम फोटो और वीडियो खींचकर और अपलोड करके एमसीसी के उल्लंघन तथा व्यय के मामलों की सूचना प्रदान करने का फीचर शामिल किया गया। एप्लीकेशन की सफलता और प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ नए फीचर भी शामिल किए गए हैं जैसे कि साक्ष्यस्वरूप वॉयस रिकार्डिंग प्रस्तुत करने, राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों की अनुमति स्थिति की जांच करने और चल रहे निर्वाचन के दौरान संबंधित जिले में पंजीकृत मामलों की संख्या की जांच करने की सुविधा आदि।

वोटर हेल्पलाइन एप

वोटर हेल्पलाइन एप पहली बार अगस्त-2018 में लांच किया गया और पूरे देश में मतदाताओं को सेवा एवं सूचना प्रदायगी का एक स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में संचालित आम चुनाव और विधान सभा चुनावों में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया। इस एप का प्रयोग करके प्रयोक्ता निर्वाचक नामावली में

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 118 20-03-2020 14:27:19

अपनी निजी सूचना के लिए सर्च सहित निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आनलाइन फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, निर्वाचनों पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और परिणामों के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में अपने ब्यौरों का सत्यापन करने हेतु प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एप्लीकेशन में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) अभियान भी शामिल किया गया। हाल ही में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधान सभा चुनावों के दौरान कुछ नए फीचर भी शामिल किए गए, जो इस प्रकार हैं:

क्यूआर कोड आधारित डिजिटल मतदाता पर्ची के लिए **पर्सनल वाल्ट,** जो कागजी मतदाता पर्ची का प्रतिस्थापन है और मोबाइल फोन पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

'माई पोलिंग स्टेशन क्यू' फीचर, जिसका प्रयोग करके मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन में कतार का स्टेटस चेक कर सकते हैं और तद्नुसार वहां जाने की योजना बना सकते हैं।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के परिणामों को देखने के लिए मोबाइल एप के माध्यम से प्रयोक्ता के एपिक नंबर को स्कैन करके परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अद्यतन वोटर टर्नआउट एप और वेबसाइट

राज्य, लिंग और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं के अनुमानित टर्नआउट को प्रदर्शित करने के लिए 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले वोटर टर्नआउट एप लांच किया गया। हाल ही में इस एप में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं जिसके माध्यम से नागरिक चरणवार अनुमानित टर्नआउट रिपोर्ट देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड विधान सभा चुनाव के दौरान मीडियाकर्मियों तथा आम नागरिकों, दोनों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ईसीआई की मुख्य वेबसाइट पर उस रिपोर्ट का घंटेवार अपडेट भी उपलब्ध कराया गया है।

बूथ एप

ईसीआई ने बूथ स्तरीय अधिकारियों तथा पोलिंग स्टाफ के लिए एक नया सरलीकृत मोबाइल एप लांच किया है जो पोलिंग स्टाफ द्वारा निर्वाचकों का नाम और ब्यौरा ढूंढने की प्रक्रिया में सुधार करता है जिससे अन्यथा अपेक्षित समय एवं प्रयास कम होता है और मतदाता की पहचान करने तथा वोटर की रियल टाइम उपस्थिति या टर्नआउट डाटा दर्ज करने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के उप चुनाव तथा महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब के तीन विधान सभा क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर इस एप का परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण के बाद बूथ एप हाल ही में संचालित झारखंड विधान चुनाव के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में दिसंबर 2019 में पूर्णत: प्रयुक्त किया गया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के ऐसे सामयिक एवं एकनिष्ठ प्रयोग से ईसीआई ने अधिकतम संभव पहुंच तथा निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की अधिक भागीदारी के युग में कदम रखा है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 119 20-03-2020 14:27:22

विधान सभा चुनाव

हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधान सभा चुनाव 2019 का संचालन

निर्वाचनों का सफल समापन निर्वाचन तंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और ताकत को बहाल करता है। हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में संपन्न होने वाले विधान सभा चुनाव भी इसके अपवाद नहीं थे। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपने विशाल निर्वाचन तंत्र और विभिन्न पहल के माध्यम से समावेशी, सुगम, विश्वसनीय तथा नैतिक विधान सभा निर्वाचन होना सुनिश्चित किया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं कार्यों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने तीन राज्यों में नई विधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव की अनुसूची घोषित की। आयोग ने विधान सभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राज्यों में नई विधान सभाओं के गठन के लिए आम चुनावों का आयोजन किया। हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 सितंबर, 2019 को तथा झारखंड में 1 नवंबर, 2019 को इन राज्यों में चुनावों की घोषणा के साथ तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।

निर्वाचक नामावली को किसी विश्वसनीय चुनाव की बुनियाद के रूप में माना जाता है। इन निर्वाचनों के दौरान भी लोगों ने विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन विधियों के माध्यम से निर्वाचक नामावली में अपना पंजीकरण कराया, अपने ब्यौरों को अपडेट कराया। निर्वाचकों को पंजीकरण की सरल और त्वरित विधि प्रदान करने में ईसीआई का वोटर हेल्पलाइन एप काफी सफल रहा। इन तीन विधान सभा चुनावों में ऊपर उल्लिखित निर्वाचकों की काफी संख्या के साथ नामावली सशक्त एवं प्रामाणिक साबित हुई।

मतदाता जागरूकता

सभी हितधारकों तक पहुंचने तथा निर्वाचक पंजीकरण एवं मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु साझेदारियों का निर्माण करने के लिए राज्यों द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण भी अपनाया गया। मेंहदी, रंगोली, मतदाता धुन, सेल्फी प्वाइंट, रैली, कैंडल मार्च, मानव श्रृंखला, मैराथन, हस्ताक्षर अभियान, क्रिकेट टूर्नामेंट, टॉक शो, फुटबाल मैच, साइकिल रैली, लोक मंच, जागरूकता रथ, जागरूकता बैलून,

निर्वाचनों की अनुसूची

राज्य	चरणों की संख्या	मतदान की तारीख	मतगणना की तारीख
हरियाणा	1	21 अक्टूबर 2019	24 अक्टूबर 2019
महाराष्ट्र	1	21 अक्टूबर 2019	24 अक्टूबर 2019
झारखंड	5	चरण 1 : 30 नवंबर 2019 चरण 2 : 7 दिसंबर 2019 चरण 3 : 12 दिसंबर 2019 चरण 4 : 16 दिसंबर 2019 चरण 5 : 20 दिसंबर 2019	23 दिसंबर 2019

मतदान सांख्यिकी

राज्य	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	पोलिंग स्टेशन	निर्वाचक	चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या
हरियाणा	90	19578	18282570	1169
महाराष्ट्र	288	96661	89722019	3237
झारखंड	81	77972	23016656	1216

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 120 20-03-2020 14:27:22

संकल्प पत्र वितरण आदि जैसी पहल का आयोजन किया गया। ग्रामीण आबादी को आकृष्ट करने के लिए स्थानीय बोलियों में जागरूकता सामग्री तैयार की गई तथा मतदान करने के संदेश के साथ टेलीविजन ऐड, बैनर, सोशल मीडिया के माध्यम से राज्यों के आइकन और दूत घर-घर पहुंचे। महाराष्ट्र में निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए माधुरी दीक्षित और सुभाष घई जैसी प्रख्यात हस्तियों की सेवाएं प्राप्त की गईं।

विधान सभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा एक व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया। स्वीप अभियान में राज्य के 125 विधान सभा क्षेत्रों के 20 जिलों में 1500 स्थानों पर 9 सचल प्रदर्शनी वाहन तथा लाइव परफार्मेंस शामिल थे जिसका उद्देश्य **'मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी'** के उद्देश्य को साकार करना था। इस अभियान को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाई।

चुनौतियां तथा निर्वाचन के लिए तैयारी

सभी तीनों राज्यों के अपने-अपने सरोकार और

कठिनाइयां थीं तथा इन अनोखी चुनौतियों को ध्यान में रखकर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उदाहरण के लिए झारखंड वाम उग्रवाद प्रभावित राज्य है तथा स्वतंत्र निष्पक्ष, और शांतिपूर्ण चुनाव का आयोजन कराना बड़ी चुनौती थी। इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 2912 मतदान कें द्रों के मतदान कार्मिकों को मतदान की तिथि से 2 दिन पहले पोलिंग के स्थान पर भेजा गया और पोलिंग के एक दिन बाद 3404 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग कार्मिकों को प्राप्ति के न्द्र पर वापस लाया गया। दुर्गम क्षेत्रों में पोलिंग कार्मिकों को भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हेलीकाप्टरों का भी प्रयोग किया गया।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वेबकास्ट का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। वास्तव में सीएपीएफ की तैनाती और वेब कास्टिंग के बीच काफी तालमेल था और सभी संवेदनशील पोलिंग स्टेशन (नक्सली और गैर नक्सली दोनों) को सीएपीएफ या एसएपी या वेबकास्टिंग द्वारा कवर किया गया जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की गई।

क्या आप जानते हैं?

झारखंड में 16 जिलों में 529 मतदान केंद्रों के 1174 मतदान कार्मिकों को हेलीकाप्टर से ड्रॉप और लिफ्ट किया गया।

बेहतर निर्वाचन प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधान सभा चुनावों की एक उल्लेखनीय विशेषता प्रौद्योगिकी का

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 121 20-03-2020 14:27:22

करनाल, हरियाणा में 'सुगम्य' पोलिंग बूथ ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए पूर्ण सुगमता सुनिश्चित की। टैक्टाइल फ्लोरिंग टाइल, एर्गोनामिक हैंडरेलिंग और दिव्यांग अनुकूल शौचालय जैसे नवाचारी सुगमता उपकरणों पर बल दिया जा रहा है। डमी ब्रेल बैलेट पेपर प्रदान करने के अलावा पोलिंग बूथ में साइन लैंग्वेज में मतदाता सुगमता वीडियो भी प्रदर्शित किया गया तथा श्रवण बाधित मतदाताओं हेतु मतदान को सरल बनाने के लिए साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञ तैनात किए गए।

नवाचारी प्रयोग है, उदाहरण के लिए सुगमता हेतु वोटर हेल्पलाइन एप, पीडब्ल्यूडी एप, सुविधा या वोटर टर्नआउट एप, सतर्कता एवं निर्वाचन संबंधी उल्लंघन की सूचना प्रदान करने के लिए सी-विजल।

पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े मतदाताओं की संख्या के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए झारखंड के 10 विधान सभा क्षेत्रों में आईटी नवाचार के रूप में बूथ एप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया।

हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न घटनाओं की निगरानी के लिए क्रमश: मतदान निगरानी ई-डैशबोर्ड तथा पीडीएमएस अर्थात मतदान दिवस प्रबंध प्रणाली जैसे एप्लीकेशन का विकास किया गया जिसमें मतदान के दिन घंटेवार वोटर टर्नआउट शामिल था और राज्य एवं विधान

संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संपन्न होने पर ईसीआई द्वारा अंतिम परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया गया तथा मतगणना केन्द्रों पर परिणामों की घोषणा के साथ रियल टाइम में मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया।

हरियाणा के परिणामों की स्थिति	
दल	**जीत**
भारतीय जनता पार्टी	40
हरियाणा लोकहित पार्टी	1
निर्दलीय	7
इंडियन नेशनल कांग्रेस	31
इंडियन नेशनल लोकदल	1
जननायक जनता पार्टी	10
कुल	**90**

- एएएपी (0.48%)
- एआईएफबी (0.01%)
- बीजेपी (36.49%)
- बीएसपी (4.14%)
- सीपीआई (0.03%)
- सीपीआईएम (0.07%)
- आईएनसी (28.08%)
- आईएनएलडी (2.44%)
- जेडीयू (0.01%)
- एनसीपी (0.02%)
- एनओटीए (0.52%)
- एसएडी (0.38%)
- एसएचएस (0.01%)
- एसपी (0.01%)
- अन्य (27.31%)

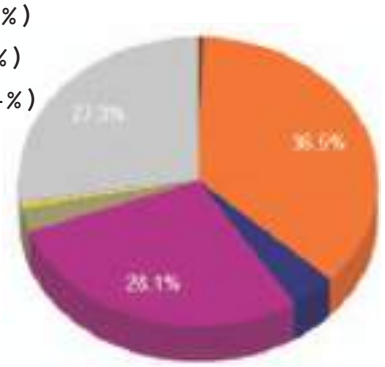

महाराष्ट्र के परिणामों की स्थिति	
दल	**जीत**
आल इंडिया मजलिसे –ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन	2
बहुजन विकास अघाड़ी	3
भारतीय जनता पार्टी	105
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	1
निर्दलीय	13
इंडियन नेशनल कांग्रेस	44
जन सुराज्य शक्ति	1
क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	1
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	1
नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी	54
पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया	1
प्रहर जनशक्ति पार्टी	2
राष्ट्रीय समाज पक्ष	1
समाजवादी पार्टी	2
शिवसेना	56
स्वाभिमानी पक्ष	1
कुल	**288**

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 122 20-03-2020 14:27:23

सभा क्षेत्र स्तर पर संक्षिप्त सूचना शामिल थी। यह एप बूथ स्तर तक रियल टाइम निगरानी के लिए बहुत उपयोगी था।

नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने और अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से उसकी निगरानी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए आपले सरकार नामक एक वेब पोर्टल का सृजन किया गया।

सुगम्य निर्वाचन के लिए प्रतिबद्धता के साथ नियत दिन को सभी पोलिंग स्टेशनों पर पेयजल, शेड, रैंप, व्हील चेयर, प्राथमिक उपचार की सुविधाएं तथा मतदान करने के स्थान तक मतदाताओं को सहायता प्रदान करने के लिए वालंटियर उपलब्ध कराए गए।

अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट

निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 में संशोधन के बाद झारखंड में कुल 7 विधान सभा क्षेत्रों के दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को देश में पहली बार अनुपस्थित मतदाता स्टेटस की सुविधा प्रदान की गई। राज्य के इन 7 विधान सभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की इस सुविधा का प्रयोग करके कुल 2018 दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

- एएएपी (0.10%)
- एआईएफबी (0.00%)
- एआईएमआईएम (1.34%)
- बीजेपी (25.75%)
- बीएसपी (0.92%)
- सीपीआई (0.06%)
- सीपीआईएम (0.37%)
- आईएनसी (15.87%)
- आईयूएमएल (0.01%)
- जेडी (एस) (0.01%)
- एमएनएस (2.25%)
- एनसीपी (16.71%)
- नोटा (1.35%)
- एसएचएस (16.41%)
- एसपी (0.22%)
- अन्य (18.62%)

झारखंड के परिणामों की स्थिति	
दल	**जीत**
आजसू पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	25
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	1
निर्दलीय	2
इंडियन नेशनल कांग्रेस	16
झारखंड मुक्ति मोर्चा	30
झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)	3
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1
राष्ट्रीय जनता दल	1
कुल	81

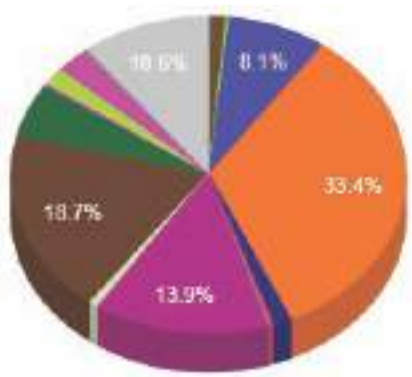

- एएएपी (0.23%)
- एआईएफबी (0.04%)
- एआईएमआईएम (1.16%)
- एआईटीसी (0.29%)
- एजेएसयूपी (8.10%)
- बीजेपी (33.37%)
- बीएलएसपी (0.01%)
- बीएसपी (1.53%)
- सीपीआई (0.46%)
- सीपीआईएम (0.32%)
- आईएनसी (13.88%)
- आईयूएमएल (0.03%)
- जेडी (एस) (0.01%)
- जेडीयू (0.73%)
- जेएमएम (18.72%)
- जेवीएम (5.45%)
- एलजेपी (0.30%)
- एनसीपी (0.42%)
- नोटा (1.36%)
- एनपीईपी (0.01%)

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 123 20-03-2020 14:27:23

अद्यतन सूचना

आयोग ने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन शेषन की याद में एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया

भारत निर्वाचन आयोग अपने 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन के निधन पर गहन शोक व्यक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील अरोड़ा ने कहा कि शेषन राष्ट्र के लिए हमेशा आइकन बने रहेंगे। उन्होंने शेषन की तारीफ की और कहा कि वह तमिलनाडु संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1955 बैच के मेधावी अधिकारी थे।

शेषन ने इस पद के लिए उच्च कीर्तिमान स्थापित किया और अपने जीवनकाल में लीजेंड बन गए तथा हमारे लिए और आने वाले सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्तों एवं निर्वाचन आयुक्तों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। उन्होंने बुजुर्गों के साथ-साथ युवा मतदाताओं को भी मंत्रमुग्ध किया हैं।

युवा एवं आकांक्षी भारत के साथ उनके विशेष लगाव को यादगार बनाने के लिए ईसीआई ने 2020 से 2025 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंध संस्थान (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली के पाठ्यचर्या विकास केन्द्र में निर्वाचन अध्ययन के प्रति अंतर-विषयक दृष्टिकोण पर एक अतिथि चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी द्वारा इस चेयर की मेंटरिंग की जाएगी।

हाल की घटनाएं

नियुक्तियां	
राज्य का नाम	**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**
अरुणाचल प्रदेश	जुही मुखर्जी, आईएएस (एजीएमयूटी: 2007)
छत्तीसगढ़	कांगले रीना बाबाशाहेद, आईएएस (सीजी: 2003)
कार्यमुक्त	
महानिदेशक, व्यय नीति	दिलीप शर्मा, आईआरएस

स्वैच्छिक आचार संहिता

26 सितंबर, 2019 को अपने सदस्यों की ओर से इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) सभी निर्वाचनों के दौरान 'स्वैच्छिक आचार' संहिता का पालन करने तथा अबाध एवं निष्पक्ष निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। 2019 के लोक सभा चुनाव के दौरान पहली बार सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा भारत में उनके औद्योगिक निकाय, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक मंच पर एकत्र हुए और आपस में मिलकर स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की और उसे अपनाया। यह आचार संहिता सोशल मीडिया के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ ईसीआई के लगातार प्रयासों और विचार-विमर्श की देन है।

स्वैच्छिक आचार संहिता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) सोशल मीडिया प्लेटफार्म निर्वाचन संबंधी कानूनों और अन्य संबद्ध अनुदेशों सहित जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान स्वेच्छा से संचालित करेंगे।

(ii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने ईसीआई द्वारा सूचित मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले एक समर्पित शिकायत निवारण चैनल का सृजन किया है।

(iii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और ईसीआई ने एक अधिसूचना तंत्र का विकास किया है जिसके माध्यम से ईसीआई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए संगत प्लेटफार्म अधिसूचित कर सकता है।

(iv) प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्लेटफार्मों पर सभी राजनैतिक विज्ञापन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मीडिया प्रमाणन एवं जांच समितियों से पूर्व प्रमाणित हैं।

(v) प्रतिभागी प्लेटफार्म सशुल्क राजनैतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता का सुनिश्चय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें ऐसे विज्ञापनों के लिए उनके पहले से मौजूद लेबल / प्रकटन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 124 20-03-2020 14:27:26

राजनैतिक दलों का पंजीकरण

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधान के अंतर्गत कुल 41 राजनैतिक दलों का पंजीकरण किया गया है तथा 1 राजनैतिक दल अर्थात जननायक जनता पार्टी को हरियाणा राज्यीय में राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

हिंदी दिवस समारोह

प्रत्येक वर्ष की तरह भारत निर्वाचन आयोग ने काफी उत्साह के साथ 1 से 15 सितंबर 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग में रुचि पैदा करने के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता, राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता और हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पखवाड़े की समाप्ति 20 सितंबर 2019 को हिंदी दिवस समारोह के साथ हुई जिसमें माननीय आयोग ने राजभाषा प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर वर्ष भर में हिंदी में किए गए प्रमुख कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए श्रीमती रचना गुप्ता, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि उक्तावाधि में 20 पुस्तकों/ प्रकाशनों का अनुवाद किया गया तथा ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

महासचिव उमेश सिन्हा और महानिदेशक धीरेंद्र ओझा ने हिंदी भाषा के प्रयोग एवं महत्व पर बहुमूल्य सुझाव दिए। व्यक्तिगत विजेताओं को पुरस्कृत करने के अलावा हिंदी में अपना अधिकांश सरकारी कार्य करने वाले प्रभागों को भी पुरस्कार दिए गए।

आयोग ने न केवल पखवाड़े के दौरान अपितु रूटीन कार्य में भी हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने और इस प्रकार संघ की राजभाषा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 125 20-03-2020 14:27:31

विभिन्न निर्वाचन प्रबंध निकायों (ईएमबी) के प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण दौरे

विभिन्न निर्वाचन प्रबंध संस्थाओं (ईएमबी) के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में स्थित ईसीआई मुख्यालय का दौरा किया। आयोग तथा इसके अधिकारियों ने भी विभिन्न देशों में निर्वाचन प्रबंध से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इन बैठकों में से कुछ की झलकियां यहां नीचे दी गई हैं।

पापुआ न्यू गिनी से 7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 5 सितंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर लीबिया एवं फिलिस्तीन से 34 राजनयिकों ने 11 सितंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

20 देशों से 47 संसदीय अधिकारियों ने 18 सितंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर विभिन्न 55 देशों से 56 विदेशी राजनयिकों ने 20 सितंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

भारत में उजबेकिस्तान के राजदूत फरहोद अरजीव ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करने के लिए 23 सितंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 126 20-03-2020 14:27:32

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर आसियान देशों से 12 विदेशी राजनयिकों ने 22 अक्टूबर, 2019 को विदेश मंत्रालय का दौरा किया।

निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और महानिदेशक धर्मेन्द्र शर्मा ने आस्ट्रेलिया में 30 अक्टूबर, 2019 को एससीयू पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए 29 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2019 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर अफगानिस्तान से 12 राजनयिकों ने 20 नवंबर, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया।

5 से 9 नवंबर, 2019 तक आयोजित ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस की तीसरी प्लेनरी असेम्बली में भाग लेने तथा एनआरआई प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के लिए निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र तथा महानिदेशक धीरेंद्र ओझा ने 29 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2019 तक मैक्सिको का दौरा किया।

बेहतर निर्वाचन प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

निर्वाचन के लिए तैयारी तथा निर्वाचनों के संचालन में शामिल कार्यों की जटिलता कई गुना बढ़ गई है। इस कार्य में शामिल अधिकारियों को आवश्यक दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है ताकि वे प्रवीणतापूर्वक और अचूक ढंग से कार्य निष्पादित कर सकें। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंध संस्थान (आईआईआईडीईएम) 'प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण' की अनेक और बहुस्तरीय गतिविधियों का संचालन करता है ताकि ईसीआई के जनशक्ति संसाधन की उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

आईआईआईडीईएम ने 2019 के साधारण लोक सभा चुनाव के लिए विभिन्न अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रशिक्षण के अगले चक्र का उद्देश्य आईआईआईडीईएम के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण की गतिविधियों तथा 2019-20 में चुनाव में जाने वाले राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना था। इस श्रेणी में शामिल राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली थे। इन कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया है :

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का सम्मेलन :
2019 के आम चुनावों के बाद 3 जून, 2019 को सीईओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान 9 कार्यकारी समूहों जिसमें ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारी तथा सीईओ शामिल थे, ने उनके

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 127 20-03-2020 14:27:32

सुझावों पर विचार विमर्श किया, सर्वोत्तम प्रथाओं और 2019 के आम चुनाव से लिए गए सबकों का उल्लेख किया।

राष्ट्रस्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एनएलएमटी) कार्यशाला :
आईआईआईडीईएम ने 23 जुलाई से 6 अगस्त, 2019 तक 216 राष्ट्रस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान ईसीआई से प्रशिक्षकों ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया जिसके बाद ईसीआई के विषय विशेषज्ञों ने एनएलएमटी का मूल्यांकन किया।

राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) कार्यशाला :
राज्य विधान सभाओं के आम चुनाव के लिए तैयारी के अंग के रूप में आईआईआईडीईएम ने 7 अगस्त से 9 अगस्त, 2019 तक 142 राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एसएलएमटी के एक संसाधन पूल का निर्माण करना था जो जिला और विधान सभा क्षेत्र स्तर पर अपनी दक्षता एवं कौशल हस्तांतरित कर सकते हैं।

रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम :
निर्वाचन प्रक्रिया में आरओ की केन्द्रीय भूमिका होती है और वे निर्वाचन के सभी चरणों में शामिल होते हैं। राज्यों में विधान सभा चुनावों पर केन्द्रित प्रमाणन एवं प्रशिक्षण चक्र का पहला चरण महाराष्ट्र से 274 प्रतिभागियों के लिए 20 से 30 अगस्त, 2019 तक आयोजित किया गया।

विधान सभा चुनाव से पूर्व हरियाणा, झारखंड और दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

हरियाणा और झारखंड के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के लिए कार्यशाला :
यह विधान सभा चुनावों के लिए आईआईआईडीईएम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दूसरा चरण था। डीईओ निर्वाचनों की तैयारी और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी अहमियत पर विचार करते हुए उनके लिए 16 सितंबर 2019 को एक दिवसीय इंटरएक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्रों का संचालन प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा किया गया तथा ये सत्र मुख्य रूप से प्रायोगिक अधिगम, समकक्ष चर्चा, सुझावों के आदान-प्रदान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श से संबंधित थे। इस कार्यक्रम में 15 डीईओ ने भाग लिया।

दिल्ली के राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी), जिलास्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (डीएलएमटी) और जिला सूचना अधिकारियों (डीआईओ) के लिए ईवीएम/वीवीपैट पर कार्यशाला :
दिल्ली से 43 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए 5 अक्टूबर, 2019 को विशिष्ट एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षकों तथा सुविधा प्रदाताओं के लिए ब्रिज प्रशिक्षण :
इंटरनेशनल आइडिया के साथ मिलकर आईआईआईडीईएम ने आईआईआईडीईएम कैंपस, नई दिल्ली में एनएलएमटी/ईसीआई तथा आईआईआईडीईएम के स्टाफ सदस्यों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इंटरनेशनल आइडिया से अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान-साधन व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को ब्रिज प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का पाठ पढ़ाया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 128 20-03-2020 14:27:33

समावेशी एवं नैतिक निर्वाचन

पहली बार बने सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अनुभवों की झलकियां

अंतः मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (6-केराओ और 7 अन्ड्रो विधान सभा क्षेत्र) के 2 विधान सभा क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त करके मैं अभिभूत और हताश था परंतु साथ ही लोक सभा चुनाव 2019 के संचालन में मेरी टीम से आउटपुट की जिस मात्रा और अच्छे परिणामों की उम्मीद की गई थी उसको लेकर उत्साहित भी था।

स्मार्ट वोटर तैयार करना चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि मेरे दोनों विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में थे। नामांकन के लिए स्वीप अभियान तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के बारे में जागरूकता पैदा करना सफल, समावेशी और नैतिक निर्वाचन के संचालन के लिए प्राथमिक समाधान थे। मतदाताओं को वीवीपैट मशीनों को हैंडल करने और ईवीएम पर अपने हाथ रखकर आजमाने की अनुमति देकर सभी पोलिंग स्टेशन पर संचालित व्यावहारिक जागरूकता अभियान काफी सफल रहा और इससे वास्तव में बहुत फायदा हुआ क्योंकि अंततः वोटर टर्नआउट पिछले लोक सभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक रहा।

पहला स्वीप अभियान छात्रों (भावी मतदाता) के लिए था तथा निर्वाचन मशीनरी में उनकी रुचि ने मेरी टीम को वास्तव में प्रेरित किया। दूसरे तथा परवर्ती स्वीप अभियान भी समान रूप से उत्साहवर्धक थे और सबसे सकारात्मक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह थी कि एक मुस्लिम ट्रांसजेंडर ने हमारे अभियान के माध्यम से पंजीकरण कराया। उन्होंने कहा, ''मैं पिछले 3-4 साल से मतदाता बनने का प्रयास कर रही थी परंतु मेरा यह मानना था कि मेरा फार्म सही व्यक्ति तक नहीं पहुँचेगा। आज मुझे यहां आने और नामांकन में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं थी। आपकी प्रेरणा ने मुझे एक और बार फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया। कृपया मुझे भी मतदाता बनाएं।'' अंततः वह मतदाता बन गई।

दिव्यांग मतदाताओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अभियान चलाए गए तथा पोलिंग बूथ पर उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं। जब स्वयंसेवक संबंधित पोलिंग स्टेशन पर उनको पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचे, तो उनका उत्साह और प्रशंसा देखते ही बनती थी।

***(बाएं)* नई पंजीकृत ट्रांसजेंडर के साथ**

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 129 20-03-2020 14:27:33

दिव्यांग मतदाताओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अभियान चलाए गए तथा पोलिंग बूथ पर उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई।

प्रत्येक शिविर में सही उम्मीदवार को चुनने में मतदाताओं की भूमिका के संबंध में उनमें जागरूकता पैदा करने पर बल दिया गया तथा उनको निर्वाचन से जुड़े शब्दों एवं शब्दावली जैसे कि लोकतंत्र, मताधिकार, आजादी, अधिकार और घोषणा पत्र के बारे में बताया गया। ये शब्द कहीं और भी सुनने को मिल सकते हैं परंतु दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्रों में इतने अधिक लोकप्रिय नहीं हैं।

प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए यादगार और प्रतीक के रूप में एक पर्यावरण हितैषी पेन दिया गया।

मतदान के दिन, पहचान पत्रों का ब्यौरा दर्ज करने और मतदाता रजिस्टर में आखिरी चार अंक लिखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश का अनुसरण करना मेरे लिए संतोष का क्षण था। सभी पीठासीन अधिकारियों तथा ड्यूटी पर तैनात अन्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इसकी सराहना की गई। वे सभी कर्मठतापूर्वक अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए समर्थ महसूस कर रहे थे जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिली।

मेरी टीम के प्रत्येक सदस्य ने जिस तरह कड़ी मेहनत की और सफल चुनाव के लिए मतदान की तारीख को और उससे पहले जिस तरह का माहौल सृजित करने का हमने प्रयास किया वह अपने आपमें हममें से प्रत्येक के लिए एक महान घटना है और मैं लोकतंत्र के ऐसे भव्य उत्सव का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता हूँ। पहली बार एआरओ के रूप में मेरा यह विश्वास है कि ''लोकतांत्रिक देश में पैदा होना सभी इंसानों के लिए एक वरदान ही है।'' साथ ही लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह मतदाताओं को नैतिक मतदान का महत्व समझाए और हमेशा इस पथ पर चले।

–युमनाम नेलसन सिंह, *एआरओ 1 –अंत: मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*

***(नीचे)* मतदान के दिन स्मार्ट वोटरों की कुछ तस्वीरें और समावेशी, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा नैतिक मतदान अर्थात लोकतंत्र के लिए निर्वाचन के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रत्येक मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियाँ**

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 130 20-03-2020 14:27:34

निर्वाचक साक्षरता क्लब: समय की मांग

भारत लोकतांत्रिक देश है तथा लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन के महत्व की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत, ब्रिटिश महारानी के संवैधानिक राजतंत्र के अधीन था और कोई स्वशासन नहीं था। तथापि, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश, सरकार, जो इसके नागरिकों द्वारा चुनी जाती है, के साथ लोकतांत्रिक गणतंत्र बना।

निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक मतदान के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करते हैं और सार्वजनिक पदों पर भेजने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। निर्वाचन को लोकतंत्र का आधार माना जाता है क्योंकि निर्वाचन यह सुनिश्चित करता है कि इसके माध्यम से चुनी गई सरकार लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, किसी देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षणों को दर्शाता है। निर्वाचन के माध्यम से देश के नागरिक, सरकार की नीतियों और कामकाज पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त करते हैं।

इस संदर्भ में पूरे देश में निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्थापित किए गए हैं।

रोचक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने तथा ईएलसी के मुख्य ध्येय ''यदि आप उनको बताएंगे तो वे भूल जाएंगे। यदि आप उनको पढ़ाएंगे तो वे याद रखेंगे। यदि आप उनको शामिल करेंगे तो वे सीखेंगे'' के अनुसार व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए लगभग 5,60,000 ईएलसी हैं।

ईएलसी देश के विभिन्न भागों में मास्टर स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी संचालन करते हैं जिनसे अच्छी संख्या में योग्य प्रशिक्षक तैयार होते हैं। उसके बाद ये प्रशिक्षक स्कूलों और कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार वे शिक्षकों को अपने छात्रों तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। स्कूलों में कक्षा 9 से 12 या 14 से 17 वर्ष के छात्र तथा कालेजों में 18 से 21 वर्ष के छात्र इसके अंग हैं और ग्रामीण समुदाय (चुनाव पाठशाला) भी इसके अंग हैं तथा इसमें गांव के सभी सदस्य शामिल हैं।

ईएलसी मुख्य रूप से मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित प्रक्रियाओं; ईवीएम तथा वीवीपैट की जानकारी प्रदान करने,

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 131 20-03-2020 14:27:35

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के घोषणा-पत्रों तथा उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जागरूकता पैदा करने; इसे आगे बढ़ाने के लिए ईएलसी के सदस्यों की क्षमता का उपयोग करने; जिन मतदाताओं का पंजीकरण नहीं हुआ है उनके पंजीकरण में सहायता प्रदान करने पर बल देते हैं।

ईएलसी, मतदान के महत्व के बारे में भी लोगों को शिक्षित करते हैं तथा बताते हैं कि कैसे वे अपने कल्याण, विकास और प्रगति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह राजनैतिक दलों के लोक लुभावन एवं भ्रामक चुनाव प्रचार के बारे में जागरूक करते हैं तथा समझाते हैं कि किस तरह अपने वोट के बदले में नकदी, शराब या उपहार के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए।

इस प्रकार ईएलसी में सदस्य, रोचक तथा विचारोत्पादक, अधिकांशतः शिक्षण कक्ष आधारित गतिविधियों और खेलों का हिस्सा होंगे। लगभग 25 ऐसी गतिविधियां और 6 खेल हैं जिन्हें विशिष्ट सीख प्रदान करने के लिए ध्यान से तैयार किया गया है जो 'सशक्त मतदाता' बनने में उनकी मदद करेंगे।

कहा जा सकता है कि इन ईएलसी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य युवाओं तथा भावी मतदाताओं में निर्वाचन में भाग लेने की संस्कृति को सुदृढ़ करना है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि ईएलसी, भारत में निर्वाचन, जिसे 'लोकतंत्र का उत्सव' माना जाता है, के संबंध में अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को अपार शक्ति प्रदान करता है जिससे किसी राष्ट्र की नियति बदल सकती है और निर्वाचन ऐसा प्लेटफार्म भी है जिसके माध्यम से मतदाता देश के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए आशा की एक नई किरण देखते हैं।

प्रत्येक वोट की बहुत अहमियत होती है और यह जरूरी है कि वोट सही उम्मीदवार को समझदारी के साथ पड़े।

इसलिए निर्वाचन के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा मतदान की शक्ति के बारे में उनको समझाना देश के युवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है और तभी हम सही मायने में लोकतंत्र का महत्व समझ सकते हैं।

***–राघवेंद्र एच एस** और **स्पूर्ति,** बेंगलोर पॉलिटकल एक्शन कमिटी*

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 132 20-03-2020 14:27:35

देश के लिए: लोकतंत्र की धड़कन

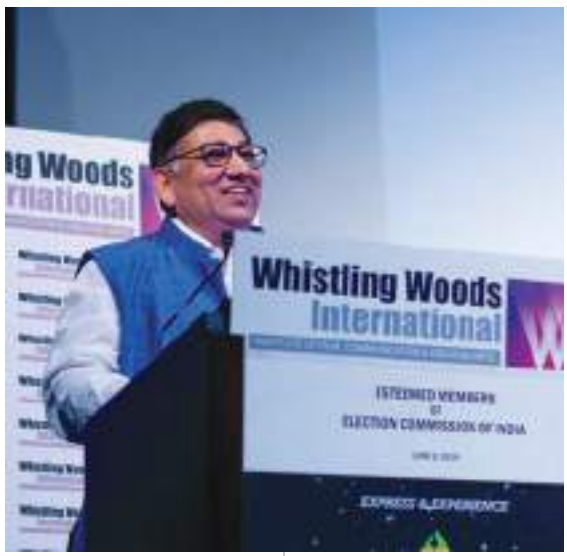

2019 के लोक सभा चुनाव में लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में अनेक स्टेकहोल्डरों ने योगदान दिया। प्रख्यात फिल्म निर्माता और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के संस्थापक सुभाष घई ने लोक सभा 2019 अभियान में महती भूमिका निभाई। लोकतंत्र की आत्मा को सुंदर धुन में पिरोते हुए व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के छात्रों के साथ सुभाष घई ने *'देश के लिए'* नामक एक गीत की रचना की जिसने लाखों लोगों के दिल को छू लिया।

यह गीत लोक सभा अभियान के दौरान टेलीविजन और रेडियो पर भी चलाया गया तथा इसने खूब प्रशंसा बटोरी। यह मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से सेलेब्रिटीज के साथ भारतीय विविधता के उत्सव का प्रदर्शन करता है।

अभियान में उनके अपार योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से एक दल ने व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के परिसर का दौरा किया। छात्रों को स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता) के विभिन्न उपायों तथा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

उमेश सिन्हा, महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वीप कार्यक्रम की जानकारी रखने और अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों, दोस्तों और परिवार को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने सुभाष घई और उनकी टीम को सुनील अरोड़ा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से एक प्रशस्ति पत्र एवं फलक प्रदान किया।

व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के छात्रों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति के साथ सत्र समाप्त हुआ।

–आराधना, *एग्ज़िक्यूटिव, भा.नि.आ.*

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 133 20-03-2020 14:27:36

धुन के पक्के

भारत निर्वाचन आयोग का ध्येय 'कोई भी मतदाता न छूटे' हम पर यह सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी डालता है कि सभी पात्र नागरिक, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग, शारीरिक नि:शक्तताएं या योग्यता जो भी हो, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ हों। पिछले दो वर्षों में हम हर दृष्टि से निर्वाचनों को समावेशी एवं सुगम बनाने में निर्वाचन मशीनरी के व्यापक सामूहिक प्रयास के साक्षी हैं। इस प्रयास के दौरान ऐसे असाधारण नागरिकों की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने, सभी व्यक्तिगत चुनौतियों से पार पाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है। अरविंद पवार ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनकी जीवन-यात्रा मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरित करती है।

अरविंद पवार रोहिणी, दिल्ली में रहने वाले सफल व्यवसायी हैं तथा रंक से राजा बनने की उनकी कहानी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म जयपुर, राजस्थान में 1 सितंबर 1965 को हुआ। वह जन्म से ही ऑर्थोपेडिक बीमारी से ग्रस्त थे जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें काम नहीं करती हैं। उनके लिए जीवन आसान नहीं था तथा परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उन पर बहुत जल्दी आ गई। उन्होंने जयपुर में फेरीवाले के रूप में रेडीमेड गारमेंट्स का स्टाल लगाकर अपने परिवार की मदद करना शुरू किया। वर्ष 2002 में वह दिल्ली चले आए जहां उन्होंने अपने दम पर धीरे-धीरे ट्रांसपोर्ट कैब का व्यवसाय स्थापित किया।

ईमानदारी से की गई मेहनत का हमेशा फल मिलता है। पवार के ट्रांसपोर्ट कैब में आज लगभग दस वाहन हैं। इनके कार्य की शुरुआत प्रात:काल से होती है और वह पूरे दिन अपने ड्राइवरों की निगरानी करते रहते हैं। उनका प्रबंध कौशल इतना दक्ष है कि वह अपने परिवार के लिए तथा अपनी स्वयं की चिकित्सा देखरेख एवं उपचार के लिए भी समय निकाल लेते हैं। इसके अलावा अपनी सभी बाध्यताओं और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने दिल्ली में किसी चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का अवसर कभी नहीं गंवाया। इनके दृढ निश्चय को देखते हुए आयोग ने इनको वोटर आइकन के रूप में पहचान प्रदान की है। यह इसलिए किया गया है कि अन्य विकलांग मतदाता भी उनसे प्रेरणा लें और आयोग द्वारा उनके लिए प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाएं तथा अपना वोट डालें।

पवार ने जनवरी 2020 में सुगम निर्वाचन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिनिधि और वोटर आइकन के रूप में भाग लिया तथा विचार-विमर्श के दौरान दिव्यांग के रूप में अपने विचार एवं परिप्रेक्ष्य रखे। दिल्ली विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद पवार एक बार फिर जिम्मेदार वोटर के रूप में अपने अधिकार और ड्यूटी का प्रयोग करने के लिए पूर्णत: तैयार हैं।

–अपूर्व तिवारी, *एग्ज़िक्यूटिव, भा.नि.आ.*

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 134 20-03-2020 14:27:38

सुगमता रिपोर्ट 2019

निर्वाचनों का संचालन करते समय सुगम निर्वाचन, आयोग की प्रतिबद्धता की नींव रही है। 2019 के लोक सभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने ब्रेल एपिक, पोलिंग स्टेशन तक आने जाने के लिए परिवहन, आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं तथा व्यापक राष्ट्रव्यापी मल्टीमीडिया अभियान जैसी अनेक पहल की ताकि सुनिश्चित हो कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य अर्थात 'कोई भी मतदाता न छूटे' सही मायने में पूरा हो सके।

इस रिपोर्ट में सुगम निर्वाचनों पर पूरे राष्ट्र में गठित राज्य समितियों से प्राप्त फीडबैक शामिल किया गया है। आगामी निर्वाचनों में दिव्यांगों के लिए बेहतर सुविधाओं का सुनिश्चय करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ भावी विचार विमर्श के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

महत्वपूर्ण है मत मेरा – खंड I अंक 3

वर्ष 2019 में 17वीं लोक सभा के लिए महान चुनाव संपन्न हुए। 'महत्वपूर्ण है मत मेरा' के इस अंक में मुख्य रूप से साधारण निर्वाचन 2019 के लिए पहल और तैयारियों का वर्णन किया गया है। भारत के विस्तार तथा इसके भूभाग की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम वोटर प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अद्वितीय प्रयास किए गए।

इस अंक के मुख्य अंश के रूप में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की अंतर्दृष्टि, फील्ड में तैनात पोलिंग स्टाफ का अनुभव तथा निर्वाचन को समावेशी तथा सबके लिए सुगम बनाने के लिए स्वीप की गतिविधियां हैं।

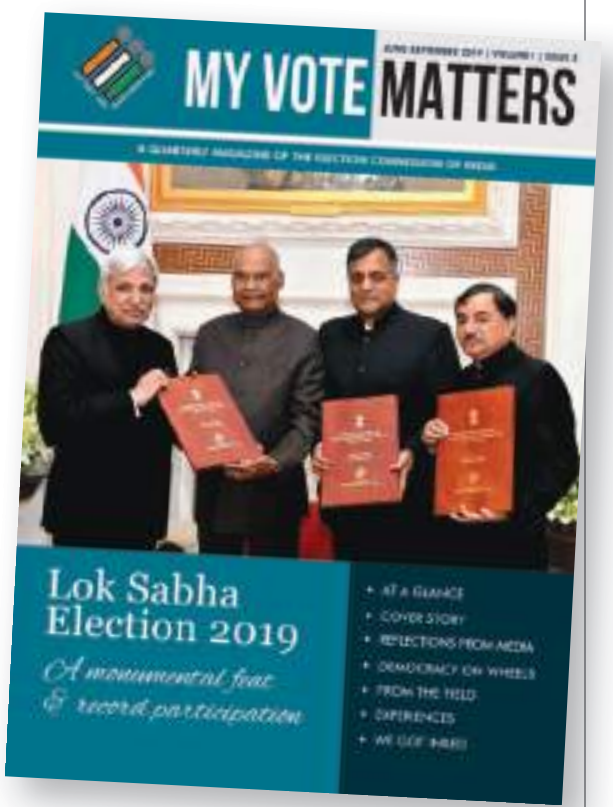

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 135 20-03-2020 14:27:39

वॉयस इंटरनेशनल – खंड III अंक 3

वॉयस इंटरनेशनल के इस अंक में 'मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं, नवाचार और पहल' पर विभिन्न ईएमबी के अनुभव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदाताओं की सभी श्रेणियों का समावेशन; और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी निर्वाचन जैसी बुनियादी विशेषताएं हैं जो लोकतंत्र का आधार हैं, इन सभी का उल्लेख किया गया है। अधिकतम निर्वाचक पंजीकरण और त्रुटिमुक्त एवं साफ-सुथरी निर्वाचक नामावली के माध्यम से लोकतंत्र का विस्तार करना और निर्वाचन में सुविज्ञ, समावेशी तथा नैतिक भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को और दुरुस्त करना निर्वाचन प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं।

इस अंक में जार्जिया, रूस, आईएफईएस (यूक्रेन), किर्गिस्तान, लेबनान, नेपाल, ट्यूनीशिया तथा अन्य देशों से अत्यंत बहुमूल्य अनुभव प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, इस अंक में पूरे विश्व से निर्वाचन अपडेट तथा अनेक अन्य संबंधित रोचक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

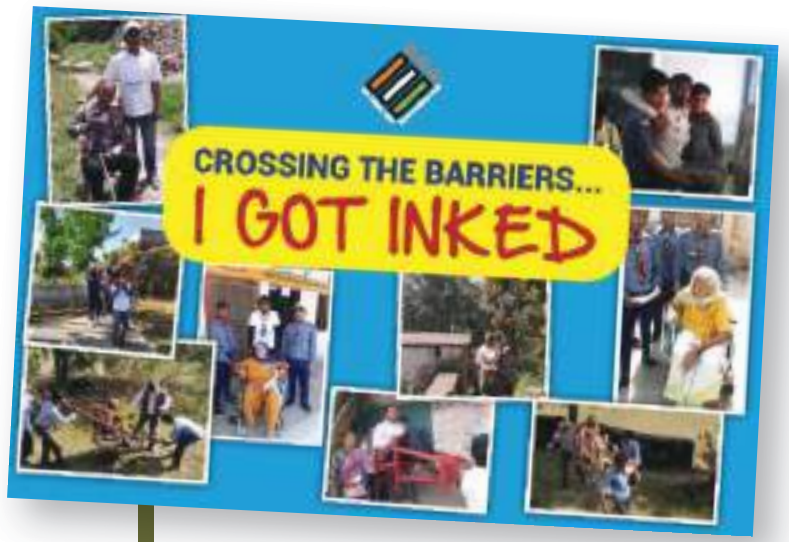

बाधाओं को पार करके... ...मैंने वोट किया

भारत निर्वाचन आयोग 'कोई भी मतदाता न छूटे' के ध्येय के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी हासिल करने का प्रयास करता है। निर्वाचन प्रक्रिया को सही मायने में समावेशी और सुगम बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा चुनाव 2019 में अनेक पहल की गईं।

इस पुस्तिका में ऐसे मतदाताओं के कुछ अनोखे विवरण तथा मीडिया रिपोर्टें हैं जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव *'देश का महात्यौहार'* में भाग लेने के लिए सभी बाधाओं को पार किया।

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 136 20-03-2020 14:27:40

निर्वाचक साक्षरता

मजबूत लोकतंत्र

10वां
राष्ट्रीय मतदाता दिवस

25 जनवरी, 2020

मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्वाचक साक्षरता

कोई मतदाता न छूटे

MVM-Hindi-Jan 2020.indb 137 20-03-2020 14:27:49

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

Design & Print : Mode Advertising

भारत निर्वाचन आयोग

www.eci.gov.in

FB.com/ECI @ECISVEEP @ECISVEEP Youtube.com/ECI